



UPLK010125982025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या 1008/2025

राज्य द्वारा श्री राधारमण सिंह, क्षेत्राधिकारी, विभूतिखण्ड, लखनऊ, उ०प्र०।
.....अभियोजन।

बनाम

1-परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट, उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व० हरीशचन्द्र, निवासी
हुसड़िया म०नं० 619/95 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2-पूजा रावत, पुत्री पैताडू, निवासिनी सहजनवा, जिला गोरखपुर। हाल पता
विनयखण्ड, हुसैड़िया, म०नं० 2/293 जिला लखनऊ।
.....अभियुक्तगण।

धारा: 217/49,248/49 बी०एन०एस०
धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट
थाना विभूतिखण्ड, जिला-लखनऊ।

उपस्थित : विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, एच० जे० एस० (पीठासीन)
अभियोजन की ओर से-श्री अरविन्द मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक
बचाव पक्ष की ओर से-अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवाकेट, (स्वयं के लिए),
श्री रमाशंकर द्विवेदी, न्यायमित्र (अभियुक्ता पूजा रावत के
लिए),

उद्धृत वाद:- (1) विहारी तथा अन्य बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य 2024ए०एच०सी०153816
निर्णीत दिनांक 18.09.2024 (2) मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह 2003 सी०आर०एल०जे० 4339
सु०को०

निर्णय

डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० भीम राव अम्बेडकर, सरदार बल्लभ भाई पटेल,

पं० मोतीलाल नहेरू आदि प्रातःस्मरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं विधि वेत्ताओं को अपना आदर्श मानने वाले अधिवक्ता समुदाय के सम्मान को, उनके ही बीच में छिपे आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ सदस्य, किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह प्रकरण इसका एक समसामयिक उदाहरण है।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद, अभियुक्त पूजा रावत द्वारा उसकी ओर से पूर्व में दर्ज कराये गये मुकदमें अ०सं० 40/2025 सरकार बनाम राजेश आदि अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में विवेचक श्री राधारमण सिंह, ए०सी०पी०, विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा विवेचनोपरांत यह पाये जाने पर कि वादी पूजा रावत, के द्वारा मु०अ०सं० 40/2025 में झूठी एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी, न्यायालय में उसे दण्डित कराने हेतु प्रेषित परिवाद पर संस्थित किया गया है। इसी परिवाद में यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा एस०सी०/एस०टी० की महिला पूजा रावत को आपराधिक षड़यंत्र के माध्यम से इस आधार पर दुष्प्रेरित किया गया, क्योंकि परमानन्द गुप्ता की पत्नी की सम्पत्ति का मामला अरविन्द यादव आदि के परिवार से चल रहा था, अतः परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट का भी विचारण किया जाये।

परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ए०सी०पी०, विभूतिखण्ड, लखनऊ, श्री राधारमण सिंह के द्वारा यह परिवाद अंतर्गत धारा 217, 248 बी०एन०एस० में इस आशय की प्रेषित की गयी कि “सादर अवगत कराना है कि दि० 18.01.2025 को मा० न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 173 (4) बीएनएसएस के अनुपालन में आवेदिका पूजा रावत पुत्री पैताडू निवासिनी हुसेडिया गाव थाना गोमतीनगर लखनऊ ग्राम सिरवापार, पोस्ट महता तहसील सहजनवा गोरखपुर के प्रार्थना पत्र पर थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ पर दिनांक 30.01.2025 को धारा-64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बीएनएसएस व 66डी आई०टी० ऐक्ट विरुद्ध अरविन्द यादव व अवधेश यादव पुत्रगण रामलखन

यादव निवासीगण तखवा कठौता विराजखण्ड-05 गोमतीनगर लखनऊ पंजीकृत होकर, अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना अतिरिक्त निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह द्वारा ग्रहण कर सम्पादित करते हुए नकल चिक नकल रपट, बयान एफआईआर लेखक, बयान वादिनी अन्तर्गत धारा-180 बीएनएसएस, अवलोकन चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट जिसमें वादिनी मुकदमा द्वारा चिकित्सीय आन्तरिक परीक्षण न कराये जाने के संबंध में चिकित्साधिकारी के समक्ष बताया जाना अंकित तत्पश्चात वादिनी मुकदमा पूजा रावत के जाति प्रमाण पत्र का अवलोकन के अनुसार वादिनी अनुसूचित जाति (पासी) बिरादरी की पाये जाने पर अभियोग में धारा-3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट की बढ़ोत्तरी अभियोग की विवेचना एससी/एसटी ऐक्ट की होने के कारण मुझ सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड लखनऊ को संदर्भित की गयी। जिसको मुझ सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा ग्रहण कर विवेचना एवं साध्य संकलन के क्रम में पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी अभियोग दैनिकी एवं साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए साध्य संकलन की कार्यवाही कर विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित की गयी। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादिनी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाहान आदि से पाया जा रहा है कि वादिनी मुकदमा पूजा रावत को घटना की समयावधि दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 24.07.2024 तक या उसके पूर्व में या बाद में घटना स्थल पर रहना पाया नहीं गया है जिसकी पुष्टि विवेचना के दौरान घटना स्थल के आसपास के लोगों से की गयी गहन पूछताछ एवं लिये गये बयान आदि से हो रहा है। बल्कि सत्यता यह पायी गयी कि वादिनी मुकदमा जिस स्थानधमकान को घटना स्थल बता रही है उस स्थानधमकान पर कथित घटना के समयावधि दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 24.07.2024 तक या उसके पूर्व में या बाद में प्रतिपक्षीगणों का ही कब्जा रहा है, जिसकी पुष्टि विवेचना के दौरान की गयी गहन पूछताछ एवं लिये गये बयान व प्राप्त साक्ष्यों से स्वतः ही हो रही है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में जब प्रतिपक्षीगण घटना स्थल पर काबिज होकर मकान का निर्माण करा रहे थे तो किस तरह से वादिनी मुकदमा उस मकान में कथित घटना के समयावधि में उसी स्थान पर

किरायेदार के रूप में रह सकती है एवं जिस मकान का स्वामित्व कब्जेदारी जब वादिनी मुकदमा पूजा रावत की कथित भवन स्वामिनी के पास नहीं थी तब उनके द्वारा सोची समझी योजना तहत ही किरायेदारी एग्रीमेन्ट मकान में एक कमरा का कराया जाना पूर्ण रूप से इनकी षडयंत्र को परिलक्षित कर रहा है। जो वादिनी मुकदमा पूजा रावत एवं इनके हितबद्ध साक्षी कथित भवन स्वामिनी श्रीमती संगीता गुप्ता एवं उनके पति विद्वान अधिवक्ता श्री परमानन्द गुप्ता के अपराधिक षडयंत्र प्रतिपक्षीगणों पर मुकदमे का दबाव बनाकर मकान को कब्जा करने की नियत को सिद्ध करता है। अब तक की विवेचना से अभियोग की घटना का घटित होना नहीं पाया जा रहा है। अतः घटना असत्य पाये जाने पर जुर्म खारिज कर जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वादिनी पूजा रावत पुत्री पैताडू निवासिनी हुसेडिया गांव थाना गोमतीनगर लखनऊ ग्राम सिरवापार, पोस्ट महता तहसील सहजनवा गोरखपुर द्वारा घटना न होते हुये असत्य तथ्यों के आधार पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अतः पूजा रावत पुत्री पैताडू निवासिनी सहित गोमतीनगर लखनऊ ग्राम सिरवापार, पोस्ट महता तहसील सहजनवा गोरखपुर एवं परमानन्द, एडवोकेट के विरुद्ध धारा 182 भादवि के अन्तर्गत चलानी रिपोर्ट मा० न्यायालय प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि सबूत तलब कर दण्डित करने की कृपा करें।”

इस परिवाद का संज्ञान लिया गया और अभियुक्ता पूजा रावत एवं अभियुक्ता परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट को विचारण हेतु तलब किया गया। न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्ता पूजा रावत विरुद्ध धारा 217, 248 बी०एन०एस० के आरोप विरचित किये गये जिससे अभियुक्ता ने इंकार किया और विचारण की मांग किया तथा अभियुक्त परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध 217/49, 248/49 बी०एन०एस० व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण की मांग किया। अभियोजन साक्ष्य होने के दौरान अभियुक्ता पूजा रावत ने दिनांक 04.08.2025 को जरिए न्यायमित्र एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा

अग्रसारित एक प्रार्थना पत्र दिया कि वह रोजगार के सिलसिले में गोरखपुर से लखनऊ आयी थी तथा उसको परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट एवं उसकी पत्नी संगीता गुप्ता ने अपने जाल में फंसा लिया। संगीता गुप्ता का ब्यूटी पार्लर का काम है, जिसमें वह सहायिका के रूप में कार्य करती थी। संगीता गुप्ता का अरविन्द यादव आदि के परिवार से खसरा सं० 351स के रूप में सम्पत्ति का विवाद चल रहा है तथा सिविल कोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं। इस कारण परमानन्द गुप्ता ने पूजा रावत के अनुसूचित जाति का होने के तथ्य का फायदा उठाते हुए अरविन्द यादव आदि के परिवार के विरुद्ध रेप, छेड़छाड़ आदि के अनेक मुकदमें न्यायालय के माध्यम से दर्ज करवाये। उसके साथ दिनांक 24.07.2024 को या उसके पहले या उसके बाद कभी भी कोई छेड़छाड़/ रेप की घटना नहीं हुई। परमानन्द गुप्ता जैसा बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए कहते थे, मेरे द्वारा वैसा ही बयान देना पड़ता था। अब वह सारी बातें न्यायालय के समक्ष सही-सही बताना चाहती है, जिससे निर्दोष को सजा न मिले।

इस आधार पर अंतर्गत धारा 343, 344 बी०एन०एस०एस० में सहअपराधी को क्षमादान दिये जाने के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा उसको साक्ष्य देने के लिए अनुमति दी। साक्षी के रूप में परीक्षित होने पर पूजा रावत ने मुख्य परीक्षा में ऐसा ही मिलता जुलता बयान दिया, परंतु जिरह में जब सहअभियुक्त परमानन्द गुप्ता और पूजा रावत एक ही दिन न्यायालय कक्ष में बुलाये गये, तब दोनों के बीच में आपस में वार्तालाप हुई एवं पूजा रावत ने जिरह में अपने मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन नहीं किया। इस पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी पूजा रावत से जिरह की गयी तथा प्रार्थना की गयी कि पूजा रावत को दिये गये क्षमादान निरस्त करते हुए उसका विचारण अलग से किया जाये। अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर पूजा रावत की पत्रावली, मूल पत्रावली से अलग नहीं की गयी तथा बयान मुल्जिम बनाया गया, जिसमें पूजा रावत ने यह कहा कि उसने क्षमादान की शर्तों का पालन कर दिया है।

अभियोजन द्वारा इस पत्रावली में क्षमादान की शर्तों का पूजा रावत द्वारा पालन न किये जाने के बिन्दु पर मौखिक साक्ष्यों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी तथा अभियुक्ता पूजा रावत को मौका दिये जाने पर उसने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जिन शर्तों पर पूजा रावत को क्षमादान दिया गया था, उन शर्तों का उसने उल्लंघन नहीं किया है तथा सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन एक साथ करने पर पूजा रावत का क्षमादान गलत नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस मामले में मुख्य विचारण अभियुक्त परमानन्द गुप्ता का ही किया जा रहा है एवं पूजा रावत को सहअपराधी के रूप में क्षमादान दिया गया है। पी०डब्लू०-1 के रूप में अरविन्द यादव, पी०डब्लू०-2 ए०सी०पी० राधारमण सिंह, पी०डब्लू०-3 पूजा रावत एवं पी०डब्लू०-4 विपिन यादव के बयान अंकित किये गये।

अभियोजन के द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह कहा गया कि विवेचक के द्वारा विवेचना में किता किये गये पर्चे, केस डायरी में संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इस बिन्दु पर न्यायालय के संज्ञान में माना जाये, जिन साक्ष्यों का विश्लेषण करके विवेचक के द्वारा इसमें अंतिम आख्या के साथ धारा 217 बी०एन०एस० की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अभियोजन के साक्ष्य के उपरांत इस पत्रावली में 313 दं०प्र०सं०/351 बी०एन०एस०एस० के बयान अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट ने कहा है कि इस मुकदमें में विशेष सी०जे०एम० ने पूजा रावत के प्रार्थना पत्र और उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र पर घटना के संबंध में अपने चेम्बर में पूछताछ करके एस०एच०ओ०, विभूतिखण्ड को एफ०आई०आर० दर्ज करने का निर्देश दिया था तथा पूजा रावत एक पढ़ी लिखी स्नातक छात्रा है, जिसको अपना भला बुरा सोचने की समझ है तथा वह स्वस्थ है। यह भी कि उस वकालतनामें पर मेरा नाम हस्ताक्षर नहीं है और न ही न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए पीड़िता को लाया था तथा पीड़िता का बयान महिला कां० करवाने के

लिए लेकर आयी थी तथा स्वयं अभियुक्त उस दिन माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित था तथा मेडिकल कराने के लिए दो महिला सिपाही के साथ जब पीड़िता सी०एच०सी०, मल्हौर गयी थी तब वहां पर डाक्टरों द्वारा पीड़िता से 22 सामानों की लिस्ट मांगी गयी थी, इस आधार पर इसका मेडिकल करने से इंकार कर दिया गया, तब महिला सिपाहियों ने विवेचक को बताया इस पर विवेचक ने पीड़िता को वापस बुलवा लिया, परंतु डाक्टर द्वारा पीड़िता से मेडिकल प्रपत्रों पर अंगूठा लगवाकर वापस कर दिया तथा बाद में उस पर लिख दिया गया कि पीड़िता ने मेडिकल से इंकार कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस कमीशनर से करने के बाद 156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र सी०एम०ओ०, लखनऊ व डा० मल्हौर के विरुद्ध किया गया था, जो विचाराधीन है। एक ही घटना दिनांक 24.07.2024 के बारे में विशेष सी०जे०एम०, लखनऊ के न्यायालय में दाखिल करने और वहां एस०सी०/एस०टी० प्रमाण पत्र का उल्लेख न करने के बारे में अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने बताया है कि जो जाति प्रमाण पत्र पूजा रावत का उसे बताया गया कि वह पासी बिरादरी की नहीं है तथा जाति प्रमाण पत्र किसी दलाल के माध्यम से बनवाया गया था, इसीलिए उसकी जाति का उल्लेख वहां नहीं किया गया तथा आई०टी० ऐक्ट के सभी मामलों का क्षेत्राधिकार विशेष सी०जे०एम० कस्टम, लखनऊ को है एवं मोबाइल में अश्लील वीडियो तथा मोबाइल से पैसा स्थानान्तरित करने का अपराध था, इसीलिए विशेष सी०जे०एम० कस्टम के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा विवेचक द्वारा इन तथ्यों का विश्लेषण न करके विपक्षीगण को क्लीनचिट दे दिया गया। अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि आई०ओ० राधारमण सिंह ने विवेचना का आधार जमीनी विवाद बताया है, जबकि विपक्षीगण का भवन आटा चक्की विवादित खसरा संख्या 76 है, जोकि ग्राम तखवा भरवारा है, जबकि नक्शा नजरी में विवादित स्थान खसरा संख्या 351स है। विवेचक द्वारा इस बात की जांच नहीं की गयी कि वास्तव में घटना स्थल खसरा संख्या 351स है अथवा खसरा संख्या 76 है एवं धारा 161/164 दं०प्र०सं० के बयान में घटना की पुष्टि होने के बावजूद एफ०आर०

लगा दी गयी। यह कि अभियुक्तगण एवं पीड़िता के मध्य वाहट्सअप काल, फेसबुक मैसेजर, इन्टाग्राम व आई०एम०ओ० ऐप का जांच नहीं किया गया। विवेचक राधारमण सिंह ने अभियुक्तगण ने रिश्त में एक हजार वर्ग फुट जमीन देने का वादा किया था और परमानन्द गुप्ता को जेल भिजवाने के एवज में मामले में रफा-दफा कर दिया गया है। अभियुक्त की पत्नी संगीता गुप्ता का विवाद संजय यादव है, अरविन्द यादव से कोई विवाद नहीं है। यह कि अरविन्द यादव द्वारा झूठ बोलते हुए माननीय उच्च न्यायालय में 18 की जगह 30 मुकदमों का उल्लेख किया है, जिसमें कोई भी मुकदमा अरविन्द यादव के विरुद्ध नहीं है। यह कि पूजा रावत, संगीता गुप्ता के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। यह कि अरविन्द यादव व परमानन्द गुप्ता के बीच कोई जमीनी विवाद नहीं है। यह कि परमानन्द गुप्ता के द्वारा पूजा रावत का कभी भी कोई आधार कार्ड नहीं लिया गया है। यह कि बिना पूजा रावत की सहमति के बिना कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। पूजा रावत यदि यह कह रही है कि वह उसके विरुद्ध धारा 340 व 195 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। पूजा रावत की जिरह में पूजा रावत ने एफ०आई०आर० में लिखे गये कथनों की पुष्टि की है तथा पीड़िता द्वारा उसे बताया गया कि न्यायमित्र ने उससे कहा था कि यदि वह परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध बयान दे तो उसे बरी कर दिया जायेगा। मु०अ०सं० 40/2025 में एक भी रूपया नहीं मिला है और न ही परमानन्द गुप्ता ने इसमें रूपये प्राप्त किये हैं। यह कि पी०डबल्यू०-4 विपिन यादव के विरुद्ध मुकदमा धारा 156(3) दं०प्र०सं० के माध्यम से दर्ज हुआ था तथा विपिन यादव से की गयी जिरह में यह स्पष्ट है कि विपिन यादव द्वारा ताला तोड़कर सारा सामान निकाल लिया गया। विपिन यादव द्वारा न्यायालय में किये गये इस कथन एवं सी०बी०आई० से उसका कोई लेनादेना नहीं है। सरकार बनाम विपिन यादव की पत्रावली में पूजा रावत ने जो मुख्य परीक्षा में बयान दिया वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया गया है तथा बयान कराने से पूर्व न्यायमित्र द्वारा पूजा रावत को यह कहा गया कि आपको परमानन्द गुप्ता के

विरुद्ध बयान देना है। इस बात की पुष्टि वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित अन्य बंदियों ने बतायी थी। अपने पंजीकरण के बारे में परमानन्द गुप्ता का कहना है कि मुझे अपना पंजीकरण नंबर याद नहीं है। यह कि विवेचक द्वारा विपक्षीगण से जमीन के लालच में साक्ष्य को छुपाते हुए त्रुटिपूर्ण विवेचना की गयी है।

सफाई साक्ष्य के रूप में अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा खसरा संख्या 76 ग्राम तखवा भरवारा, की प्रमाणित खतौनी, खसरा संख्या 76 ग्राम कठौता तखवा की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा संख्या 351स ग्राम तखवा कठौता की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा 77 ग्राम तखवा भरवारा की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखपाल, नगर निगम, गोमतीनगर की रिपोर्ट की छायाप्रति, नगर निगम, जोन अधिकारी सम्पत्ति रिपोर्ट की छायाप्रति, खसरा संख्या 351 हाउस आई०डी० 9157102952 संगीता गुप्ता की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

बहस के अवसर पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अरविन्द मिश्रा के द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्ता पूजा रावत के द्वारा सहअभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट से आपराधिक षड़यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण करके एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं रेप के अनेकों मामले दर्ज करवाये गये हैं, जिनमें से एक मामला यह है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 40/2025 अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ दर्ज करवायी गयी थी। इसमें घटना दिनांक 24.04.2024 की दिखाई गयी थी और यह कहा गया था कि विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव ने दिनांक 24.07.2024 की रात को उसके साथ गैंगरेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। यह एफ०आई०आर० विशेष सी०जे०एम, कस्टम, लखनऊ के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत करके लिखवाई गयी थी, जिसमें पूजा रावत के अधिवक्ता परमानन्द गुप्ता थे। इसके पूर्व विशेष न्यायालय एस०सी०/एस०टी० में प्रकीर्ण

प्रार्थना पत्र सं० 1154/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन भी परमानन्द गुप्ता के माध्यम से पूजा रावत ने दिया था, जिसमें दिनांक 24.07.2024 की ही घटना को दिखाते हुए अरविन्द यादव, अवधेश यादव, राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लालजी यादव, धीरेन्द्र यादव के द्वारा छेड़छाड़ करने की घटना दिखा कर एफ०आई०आर० लिखवाने का प्रयास किया गया था, जिसे विशेष न्यायालय ने दिनांक 30.10.2024 को खारिज कर दिया था। इस प्रकार एक ही दिनांक की घटना के संबंध में जब पूजा रावत को एस०सी०/एस०टी० में एफ०आई०आर० लिखाने में सफलता नहीं मिली तब उसने अभियुक्तगण का नाम कम करते हुए विशेष सी०जे०एम० के न्यायालय में, तथ्यों को छिपाते हुए दूसरा प्रार्थना पत्र देकर एफ०आई०आर० विपक्षीगण के विरुद्ध दर्ज करवा दिया। वास्तव में परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा अपनी सम्पत्ति खसरा संख्या 351स स्थित तखवा कठौता के संबंध में जिन विपक्षीगण से उसकी पत्नी संगीता गुप्ता का सिविल वाद चल रहा है, उन विपक्षीगण के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० महिला पूजा रावत के माध्यम से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके एस०सी०/एस०टी० एवं गैंगरेप के अनेक मुकदमें लिखवाये जाते रहे हैं। अभियुक्त पूजा रावत का इसमें सक्रिय सहयोग रहा है तथा शासन से प्राप्त राहत राशि को यह दोनों बांट लिया करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध सी०बी०आई० जांच हेतु रिट पीटिशन संख्या 179/2025 निर्णीत दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से आदेश भी किये गये हैं। अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, जिस फाइल से यह पत्रावली पृथक की गयी है, के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी जमानत प्रार्थना पत्र भी खारिज करने का आदेश छिपाकर फिर से नया जमानत आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं अपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इस प्रकार अभियुक्ता पूजा रावत एवं अभियुक्ता परमानन्द गुप्ता द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके एवं न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी करके माननीय उच्च न्यायालय से लेकर जनपद न्यायालय तक अनेक न्यायालयों से आदेश प्राप्त किये गए हैं, एवं

अपने विपक्षीगण के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के फर्जी मुकदमें लिखवाये गये हैं। इस मामले में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे भली भांति स्थापित हो रहा है कि पूजा रावत एक शांति महिला है तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में अभ्यासिक हो चुकी है, उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं है, उसने एक बार दिये गये क्षमादान की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है, उसने तथा अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं रेप/गैंगरेप के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। अतः उन दोनों को कठोर सजा दी जाये।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, अधिवक्ता ने कहा कि वह ऑनलाइन बहस नहीं करना चाहता, उसे न्यायालय कक्ष में बुला लिया जाये। न्यायालय द्वारा जिला कारागार में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे बार-बार अपनी बहस पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया तथा आडियो वीडियो सिग्नल भी सही ढंग से आ रहे थे, परंतु उसने ऑनलाइन बहस करने से इंकार कर दिया। उसका आशय यह था कि उसको न्यायालय कक्ष में बुलाया जाये, जिससे वह बार के अधिकांश सदस्यों को न्यायालय में बुलाकर न्यायालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दे। इसके पूर्व यह देखा गया था कि जब भी वह न्यायालय कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहा, तब उसके द्वारा बार के चुने हुए पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा प्राइवेट व्यक्तियों को बुलाकर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए उसे चेतावनी भी दी गयी थी।

न्यायालय में दौरान विचारण एवं बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के दौरान उसने यह कहा है कि वह निर्दोष है, उसने पूजा रावत की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया है। विवेचक परिवादी राधारमण सिंह, ए०सी०पी०, विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा अरविन्द यादव व अवधेश यादव से पैसे लेकर इस मामले में लीपापोती करते हुए अंतिम आख्या लगा दी गयी, आई०टी० ऐक्ट के संबंध में भी मोबाइल डेटा

नहीं लिये गये, विधि सम्मत विवेचना नहीं की गयी तथा झूठा एफ०आई०आर० लिखाने के अपराध में पूजा रावत के साथ उसके अधिवक्ता के रूप में मुझे भी गलत रूप से नामित कर दिया गया, जो उचित नहीं है। परमानन्द गुप्ता अभियुक्त के द्वारा यह भी बहस की गयी है कि बलात्कार के मुकदमें में मेडिकल के समय भी पूजा रावत का मेडिकल नहीं कराया गया तथा एक किट की मांग की गयी, जो पूजा रावत नहीं दे सकी। विवेचक के द्वारा सी०बी०आई० जांच के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपनी विवेचना का हिस्सा बनाया गया है, तथा उसी आधार पर मुझे अभियुक्त बना दिया गया है, जबकि सी०बी०आई० जांच के आधार पर मेरे विरुद्ध कोई आरोप पत्र या अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है। न्यायालय में उसे अनावश्यक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वह पूर्णतः निर्दोष है, उसे दोषमुक्त कर दिया जाये।

अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा बहस का जवाब देते हुए कहा गया है कि इस मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों, मोबाइल की सी०डी०आर०, लोकेशन आदि के माध्यम से यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट द्वारा आपराधिक षडयंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण करते हुए अभियुक्ता पूजा रावत की ओर इस दुर्भावना से लोक सेवक को झूठी सूचना दी गयी थी कि लोक सेवक या पुलिस अधिकारी, अरविन्द यादव व अवधेश यादव को आजीवन कारावास वाले अपराध में जेल भेज दे एवं न्यायालय से उन्हें दण्डित करा दें, इस कारण अभियुक्त परमानन्द गुप्ता का अपराध अत्यंत गंभीर है, अतः उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। विद्वान न्यायमित्र, श्री रमाशंकर द्विवेदी ने सहअभियुक्ता पूजा रावत की ओर से बहस करते हुए कहा है कि इस मामले में पूजा रावत एक गरीब अनुसूचित जाति की महिला है, जो अपनी पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन के खर्च के लिए जनपद गोरखपुर से लखनऊ आई थी तथा उसको परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट ने अपनी पत्नी संगीता रावत के माध्यम से अपने जाल में फंसा लिया और उसका आधार कार्ड

एवं जाति प्रमाण एवं अन्य दस्तावेज ले लिया एवं उसको प्रभावित करके अपने विरोधियों के प्रति एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के फर्जी मुकदमें दर्ज करवाने लगा। इन किसी भी मुकदमों में विपक्षी/अभियुक्तगण से पूजा रावत की कोई दुश्मनी नहीं है, मात्र उसको दुष्प्रेरित करके षड्यंत्र के माध्यम से परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट द्वारा झूठे एफ०आई०आर० लिखवाये गये थे। दौरान विवेचना धारा 161 दं०प्र०सं० एवं धारा 164 दं०प्र०सं० के बयानों में तथा मेडिकल के समय भी क्या लिखना है, यह भी परमानन्द गुप्ता दबाव बना करके पूजा रावत को सिखाते थे, जिसका पूजा रावत को पालन करना पड़ता था। पूजा रावत ने दौरान विचारण क्षमादान के लिए आवेदन किया था तथा क्षमादान की शर्तों का पालन करते हुए, उसके द्वारा मामले में सारी घटनाओं का सही-सही विवरण किया गया है एवं न्यायालय को सत्य तक पहुंचने में सहायता की गयी है, अतः पूजा रावत को क्षमादान देते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया जाये।

मैंने उभयपक्षों को विस्तार से सुन लिया है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर लिया है।

मामले के उचित निस्तारण हेतु निम्न प्रश्न विरचित किये जाते हैं:-

1-क्या दिनांक 03.10.2024 को विशेष न्यायालय एस०सी०/एस०टी० में दिनांक 24.07.2024 की कथित घटना दिखाकर विपक्षीगण राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लाल जी यादव, जितेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, अवधेश यादव व मोहित यादव के विरुद्ध धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद उसी दिनांक 24.07.2024 की घटना दिखाकर दो विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के विरुद्ध विशेष सी०जे०एम० के न्यायालय में धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० के द्वारा झूठी एफ०आई०आर० लिखाने का आदेश इस आशय से प्राप्त किया गया कि विपक्षीगण अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव को लोक सेवक द्वारा क्षति पहुंचायी जा सके?

2-क्या अभियुक्तगण परमानन्द गुप्ता एवं पूजा रावत के द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण के द्वारा विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के विरुद्ध यह

जानते हुए कि उनके विरुद्ध एसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत एवं विधि पूर्ण आधार नहीं है, उनको आजीवन कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित कराने के आशय से उनके विरुद्ध मु०अ०सं० 40/2025 अंतर्गत धाराअंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, थाना विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ में एफ०आई०आर० दर्ज करवायी गयी?

3—क्या सहअभियुक्ता पूजा रावत के द्वारा, क्षमादान की शर्तों का पालन किया गया?

4—क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर समुचित एवं उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करने के उपरांत निम्न प्रकार पाया गया:—

प्रश्न उत्तर सं०—1	सकारात्मक
प्रश्न उत्तर सं०—2	सकारात्मक
प्रश्न उत्तर सं०—3	सकारात्मक
प्रश्न उत्तर सं०—4	सकारात्मक
पारित दण्डादेश	निर्णय के अंत में पारित आदेशानुसार

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया:—

निस्तारण प्रश्न सं०—1 व 2:—

यह प्रश्न सं० 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि “क्या दिनांक 03.10.2024 को विशेष न्यायालय एस०सी०/एस०टी० में दिनांक 24.07.2024 की कथित घटना दिखाकर विपक्षीगण राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लाल जी यादव, जितेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, अवधेश यादव व मोहित यादव के

विरुद्ध धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद उसी दिनांक 24.07.2024 की घटना दिखाकर दो विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के विरुद्ध विशेष सी०जे०एम० के न्यायालय में धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० के द्वारा झूठी एफ०आई०आर० लिखाने का आदेश इस आशय से प्राप्त किया गया कि विपक्षीगण अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव को लोक सेवक द्वारा क्षति पहुंचायी जा सके?" एवं प्रश्न सं० 2 इस आशय का विरचित है कि क्या अभियुक्तगण परमानन्द गुप्ता एवं पूजा रावत के द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण के द्वारा विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के विरुद्ध यह जानते हुए कि उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत एवं विधि पूर्ण आधार नहीं है, उनको आजीवन कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित कराने के आशय से उनके विरुद्ध मु०अ०सं० 40/2025 अंतर्गत धाराअंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, थाना विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ में एफ०आई०आर० दर्ज करवायी गयी?

उपरोक्त दोनों प्रश्न साक्ष्य के एक ही मूल्यांकन से संबंधित हैं, अतः उनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है।

इस मामले में अभियोजन ने परिवादी ए०सी०पी०, श्री राधारमण सिंह, विभूतिखण्ड, लखनऊ को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि "दिनांक 18.02.2025 को बतौर ए०सी०पी० विभूतिखण्ड के पद पर कार्यरत था। उसी दौरान मु०अ०सं० 40/2025 अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352, बी०एन०एस० व धारा 66डी आई०टी० ऐक्ट थाना विभूतिखण्ड, जिसमें वादिनी पूजा रावत बनाम अरविन्दयादव व अवधेश यादव न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कस्टम आदेशित दिनांक 18.01.2025 पंजीकृत होकर विवेना पूर्व विवेचक द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेना पूर्व विवेचक द्वारा पर्चा नं० 1

से लेकर पर्चा नं० 6 तक दिनांक 31.01.2025 से लेकर 17.02.2025 तक किता किया गया। पीड़िता के अनुसूचित का प्रमाण पत्र अवलोकन के उपरांत मुकदमें में धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट की बढ़ोत्तरी के कारण तत्कालीन ए०सी०पी० होने के कारण मेरे द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी, जिसमें पूर्व किता पर्चों का अवलोकन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें एफ०आई०आर० कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा तहरीर के आधार पर टाइप की गयी है, जो शामिल मिशित पत्रावली है, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर अंकित है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया। उसके उपरांत मेरे द्वारा पर्चा नं० 4 से लेकर पर्चा नं० 23 तक दिनांक 18.02.2025 से दिनांक 01.04.2025 तक किता किया गया। दौरान विवेचना वादिनी पूजा रावत के द्वारा दर्शाये गये समयावधि दिनांक 01.03.2024 से लेकर 24.07.2024 तक या उसके पूर्व में या उसके बाद में घटना स्थल पर रहना नहीं पाया गया। विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि वादिनी मुकदमा जिस स्थान पर या मकान को घटना स्थल बता रही है। उस स्थान अथवा मकान पर घटना की तिथि एवं बाद तक विपक्षीगणों का ही कब्जा रहा है और उस अवधि में मकान का निर्माण भी कराया जा रहा था। विवेचना में साक्ष्य संकलन के दौरान यह भी पाया गया कि वादिनी पूजा रावत अपने कथित भवन स्वामिनी श्रीमती संगीता गुप्ता के साथ पूर्व में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास ब्यूटी पार्लर में सहकर्मी के रूप में कार्य करती थी। वादिनी मुकदमा पूजा रावत के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहरीर जिसके आधार पर एफ०आई०आर० पंजीकृत कराया गया। वादिनी के धारा 180, 183 बी०एन०एस०एस० एवं हितबद्ध साक्षी कथित भवन स्वामिनी श्रीमती संगीता गुप्ता के बयानों से कथित घटना के कथानक मेल नहीं खा रहे थे एवं विरोधाभासी हैं। वादिनी मुकदमा द्वारा जिस समय उक्त घटना स्थल पर किराये पर रहना बताया गया था, विवेचना में यह भी तथ्य (निवास के) झूठे, भ्रामक एवं तथ्यहीन पाया गया। आस पास के साक्षियों द्वारा जिसमें बयान गवाह विनोद व श्रीराम पाल, राजीव, श्री राम किशोर आदि द्वारा अपने बयान में

वादिनी पूजा रावत द्वारा उस मकान में किराये पर रहने की बात को बिल्कुल नकारा गया तथा उन लोगों द्वारा बताया गया कि पूजा रावत, अधिवक्ता परमानन्द गुप्ता के संरक्षण में रहती है तथा परमानन्द गुप्ता अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु जब कभी आवश्यकता होती तो पूजा रावत से योजना के तहत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दबाव व क्षति पहुंचाने की नियत से झूठे अभियोग व परिवाद आदि योजित कर उनको फंसाने का कुचक्र रचते हैं। दौरान विवेचना वादिनी मुकदमा एवं अभियुक्तगण के सी०डी०आर० के अवलोकन से किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं पायी गयी। वादिनी मुकदमा का लोकेशन घटना वाली तिथि एवं समय को घटना स्थल से दूरुस्त मल्हौर रेलवे क्रासिंग के पास का होना पाया गया। साथ ही साथ कथित घटना दिनांक से एक माह पूर्व व बाद की थी। लोकेशन घटना स्थल पर नहीं पायी गयी है। वादिनी मुकदमा का कथित अपराध की तिथि एवं समय पर प्रतिवादीगण से वार्ता होने की पुष्टि वादिनी के मोबाइल नंबर के सी०डी०आर० से नहीं हो रही है। वादिनी के द्वारा घटना क्रम से संबंधित एफ०आई०आर० में पंजीकृत तथ्यों की किसी भी प्रकार से पुष्टि संकलित साक्ष्यों से नहीं हो रही है, उसके द्वारा बनाये गये तथ्य झूठे, भ्रामक एवं काल्पनिक पाये गये। मेरे द्वारा वादिनी एवं अभियुक्तों की मोबाइल नंबरों की प्रमाणित सी०डी०आर०, सी०ए०एफ० एवं ग्रहयता प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 63(4)ग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मांगने के संबंध में संबंधित मोबाइल सर्विश प्रदाता कम्पनी से प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारी से पत्राचार किया गया था, जिसको बजरिये एस०सी०डी० माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों में यह भी पाया गया कि अभियोग का कथानक अभियुक्तगण एवं वकील परमानन्द गुप्ता व उनकी पत्नी संगीता गुप्ता के बीच चल रहे भूमि के कब्जेदारी को लेकर जमीन हड़पने के उद्देश्य से वादिनी पूजा रावत को आगे करके कथित परमानन्द गुप्ता द्वारा काल्पनिक एवं झूठा कथानक तैयार कर साजिश के तहत उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया जाना पाया गया। संबंधित मोबाइल सर्विश प्रदाता कम्पनी से प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारी से

पत्राचार किया गया था। जिसको जबरिये एस०सी०डी०, माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों में यह भी पाया गया कि अभियोग का कथानक अभियुक्तगण एवं वकील परमानन्द गुप्ता व उनकी पत्नी संगीता गुप्ता के बीच रहे भूमि के कब्जेदारी को लेकर जमीन हड़पने के उद्देश्य से वादिनी पूजा रावत को आगे करके कथित परमानन्द गुप्ता द्वारा काल्पनिक एवं झूठा कथानक तैयार कर साजिश के तहत उपरोक्त पंजीकृत कराया जाना पाया गया। अब तक की तमामी विवेचना, नकल चिक, नकल रपट, बयान वादिनी/पीड़िता, निरीक्षण घटना स्थल अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट, बयान गवाहान व परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि से मुकदमें में किसी भी अपराध का होना नहीं पाये जाने पर एवं वादिनी के द्वारा लिखाये गये संपूर्ण दाना कम कथित कथानक झूठे बेबुनियाद एवं असत्य भ्रामक एवं मनगढ़न्त पाये जाने पर मेरे द्वारा संबंधित माननीय न्यायालय को मय जुर्म खारिजा के अंतिम रिपोर्ट किता कर प्रेषित की गयी, जो आज शामिल मिशिल पत्रावली है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया गया। मेरे द्वारा ही जुर्म खारिजा दिनांक 01.04.2025 को माननीय न्यायालय, प्रेषित किया एवं 182 भा०दं०सं० की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट (अंतर्गत धारा 217 बी०एन०एस०) भी माननीय न्यायालय को प्रेषित किया, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया।

इस साक्षी से विस्तार से जिरह की गयी है उल्लेखनीय है कि इसी साक्षी ने बाद में मामले की विवेचना की थी, क्योंकि प्रकरण प्रारंभ से ही एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में दर्ज नहीं किया गया था, जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना विधि अनुसार अपेक्षित है, इस कारण विवेचक के द्वारा अपनी केस डायरी में जो पर्चे किता किये गये है वे उक्त साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के रूप में माने जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण इस प्रकरण में अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने के इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि विवेचकों/परिवादी श्री

राधारमण सिंह ने सहअभियुक्ता पूजा रावत का सी०आर०पी०सी० अंतर्गत धारा 161 का बयान रिकार्ड न किया हो या जो बयान पूजा रावत ने दिया था, उससे भिन्न बयान रिकार्ड किया हो।

पर्चा नं० 1 में प्रथम विवेचक ने, टाइपशुदा तहरीर का उल्लेख किया है, जो निम्न है "माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (कष्टम) महोदय लखनऊ पूजा रावत आयु लगभग 21 वर्ष पुत्री पैताडू निवासी ग्राम सिरवापार पोस्ट महता, तहसील सहजनवा गोरखपुर। प्रार्थिनी बनाम 1- अरविन्द्र यादव पुत्र राम लखन यादव 2- अवधेश यादव पुत्र राम लखन यादव निवासीगण ग्राम तखवा कठौता, विराज खण्ड-5, गोमती नगर लखनऊ। विपक्षीगण वाद सं० थाना विभूति खण्ड अंधारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० प्रार्थिनी माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करती है:- यह कि प्रार्थिनी बी०ए० द्वितीय वर्ष की छात्रा है तथा प्राइवेट कार्य कर अपनी पढ़ाई का खर्च व आजीविका चलाती है। प्रार्थिनी ने एक कमरा श्रीमती संगीता गुप्ता से खसरा सं० 351स तखवा कठौता, प्राइमरी स्कूल के पास विराज खण्ड-5 लखनऊ में रू० 2000/- रुपये प्रतिमाह किराये पर माह 01-03-2024 में लिया था। उक्त मकान में निवास करती चली आ रही थी तथा उसका समस्त सामान व अलमारी, बेड एवं किचन का सामान सहित रह रही थी। दिनांक 24-07-2024 समय करीब 2.30 बजे को जब प्रार्थिनी अपने कमरे में सो रही थी उसी समय विपक्षी व उसके साथी आ गये तथा प्रार्थिनी का दरवाजा पीटने लगे जिस पर प्रार्थिनी द्वारा दरवाजा खोलते ही दोनों लोग अन्दर घुस आये और कहने लगे कि यह मकान मेरा है तुमको किसने यहां पर रखा है तथा प्रार्थिनी के साथ छेड़छाड़ करने लगे जिसका विरोध करने पर विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी के कपड़े फाड़ दिये तथा गलत काम करने की कोशिश करने लगे तथा विरोध करने पर गाली गलौज कर दूसरे अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थिनी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया तथा प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती गलत कार्य किया तथा अरविन्द्र यादव ने

मोबाइल से प्रार्थिनी के अश्लील वीडियो भी बना लिये तथा जाते जाते यह धमकी भी दे गये कि यदि तुमने इसकी शिकायत किसी भी थाने में की तो उक्त वीडियो को पार्न साइट पर बेचकर बदनाम कर देंगे और साइट को प्रार्थिनी की अश्लील वीडियो बेचकर पैसा भी कमा लेंगे तथा विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया तथा प्रार्थिनी का रुपया पैसा व सामान भी साथ लेकर चले गये तथा मकान खाली करने की धमकी देने लगे। प्रार्थिनी द्वारा इसके बाद मकान मालिक को फोन करके बताना चाहा तो विपक्षी ने प्रार्थिनी का मोबाइल फोन तोड़ दिया और गाली गलौज करने लगे तथा मना करने पर प्रार्थिनी के साथ अरविन्द यादव द्वारा भी जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करने लगे तथा प्रार्थिनी के अन्तरण वस्त्र फाड़ दिये। प्रार्थिनी किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग गयी तथा भाग कर मकान मालिक संगीता के घर गयी और तथा मकान मालिक, तथा उनके पति मौके पर गये तो देखा कि कमरे का सारा सामान विपक्षीगणों ने गायब कर दिया है। इससे पूर्व भी प्रार्थिनी के साथ अवधेश कुमार यादव द्वारा भी अपनी आटा की चक्की की दुकान पर अश्लील हरकत की गयी थी तभी से प्रार्थिनी उसकी दुकान पर आटा पिसाने नहीं जाती थी तथा दूसरी चक्की पर जाती थी जिस पर विपक्षीगण रंजिश मानते है। अरविन्द्र यादव द्वारा प्रार्थिनी को दिनांक 30-06-2024 को पुनः फोन करके मिलने के लिए बुलाया गया तथा न आने पर पूर्व में बनायी गयी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर डिवाइन हस्पिटल के पीछे मिलने हेतु बुलाया गया तथा गलत काम करने के लिए विवश किया गया तथा प्रार्थिनी का मोबाइल छीन लिया और प्रार्थिनी के मोबाइल से ₹ 5,000/- रुपये यू०पी०आई० ट्रांजेक्शन आई०डी० सं० 418264063072 के माध्यम से सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया तथा प्रार्थिनी को गाली गलौज करके भगा दिया। इसके बाद प्रार्थिनी ने थाना विभूति खण्ड थाना जाकर उपरोक्त घटना की लिखित शिकायत की गयी परन्तु जांच के नाम पर प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। अरविन्द यादव के पिता जो वर्तमान मे मण्डी समिति किसान भवन लखनऊ में अधिकारी के घर में नौकरी करता है

तथा वेतन सरकार से प्राप्त करता है, तथा गांव के सभी लोगों को धमकाता है कि मैं आई०ए०एस० अधिकारी के यहाँ नौकरी करता हूँ तथा मेरी पहुँच सीधे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विपक्षीगणों के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 29-08-2024 को श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र जरिये पंजी कृज डाक सूचित किया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। जिससे विपक्षीगणों को मनोबल काफी बढ़ गया है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थिनी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मिलने के लिए बुलाते है तथा गलत काम करने के लिए प्रार्थिनी का भयादोहन कर रहे है तथा विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थिनी के साथ गलत काम करने से प्रार्थिनी मानसिक रूप से पीडित हो चुकी है। प्रार्थिनी एक गरीब अनाथ छात्रा है जिसको विपक्षीगणों द्वारा लगातार तार प्रताड़ित किया जा रहा है तथा जान माल की धमकी दी जा रही। अत्यन्त भयभीत है। प्रार्थिनी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय कार्यवाही नहीं की गयी तो प्रार्थिनी के पास आत्म हत्या करने के अतिरिक्त अन्य को विकल्प नहीं है। प्रार्थिनी को माननीय न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कहीं न्याय मिलने की संभावना नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित कोई भी सिविल वाद विपक्षीगणों के विरुद्ध दाखिल नहीं किया गया है। उपरोक्त घटना थाना विभूतिखण्ड लखनऊ के अन्तर्गत घटित हुई है तथा घटना आई०टी० ऐक्ट से सम्बन्धित है जो माननीय न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना विभूति खण्ड जनपद लखनऊ को आदेशित कर जांच किसी अन्य थाने की पुलिस से कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।”

तत्पश्चात कायमी लेखक का बयान लिया है एवं पर्चा नं० 2 में विवेचक ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि मौके पर जाने पर मालूम पड़ा है कि कोई वकील साहब गुप्ता जी का ग्राम समाज की इस जमीन खसरा संख्या

351स तखवा कठौता, प्राइमरी स्कूल के पास विराजखण्ड पर उनकी नजर है। चूंकि अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव पुत्रगण राम लखन यादव काफी समय से उक्त जमीन पर काबिज होकर अपना उपभोग कर रहे हैं, परंतु वकील साहब अपना कब्जा करने की नियत से पेशबंदी में मनगढ़न्त कहानी रचकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं। बलात्कार जैसी कोई बात नहीं है। पर्चा नं० 3 व 4 से वादिनी पूजा रावत का बयान अंतर्गत धारा 181 बी०एन०एस०एस० दर्ज करवाने के लिए कहा गया, जो नहीं हो पाया तथा पर्चा नं० 5 में पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 181 बी०एन०एस०, विवेचक द्वारा कई बार प्रयास करने के बाद दर्ज किया जा सका। पर्चा नं० 6 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादिनी/पीड़िता पूजा रावत का महिला कान्स्टेबुल 7804 डाली देवी के साथ मेडिकल करवाने के लिए सी०एच०सी०, चिनहट, लखनऊ भेजा गया था, जहां पर वादिनी मुकदमा ने अपना आंतरिक परीक्षण कराने से इंकार कर दिया। चिकित्सक का नाम डा० अर्पिता गुप्ता है तथा आंतरिक परीक्षण में चिकित्सक की राय में मेडिकल के समय कोई बाहरी चोट आना नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण कराने से इंकार किया गया, अंकित है। पत्रावली में दिनांक 16.02.2025 का सी०एच०सी०, चिनहट का मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जिसमें पूजा रावत ने यह लिखकर हस्ताक्षर किया है, **“मैं पूजा रावत, पुत्री पैताडू मैं अपना आंतरिक परीक्षण नहीं करवाना चाहती हूँ।”** इसी लिखावट के नीचे महिला कां० डाली देवी ने भी गवाही में लिखा है कि **“मेरे सामने पूजा रावत पुत्री पैताडू ने आंतरिक परीक्षण कराने से मना किया है।”** तत्पश्चात यह विवेचना ए०सी०पी०, श्री राधारमण सिंह को स्थानान्तरित हो गयी। जिन्होंने वादिनी से सम्पर्क करके उसको बयान अंकित करने के लिए नोटिस दिया तथा वादिनी का बयान अंतर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में पूजा रावत ने कहा कि **“पीड़िता पूजा रावत पुत्री श्री पैताडू निवासिनी ग्राम सिरवापार, पोस्ट महेता, जिला गोरखपुर वर्तमान पता 2/294, हुसडिया, विनय खण्ड लखनऊ ने सशपथ बयान दिया कि मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं B- A- 2nd year में हूँ। मैं रामा डिग्री कालेज से बी०ए० कर रही**

हूँ। मेरे घर में चार लोग है। मम्मी, पापा दो भाई और मैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। पापा फर्नीचर का काम करते है। काम की तलाश में 07 साल पहले गोरखपुर से लखनऊ आये। लखनऊ में मेरा अपना मकान है। पहले हम तखवा पर किराये पर रहते थे तब ये मकान नहीं बना था। वहां पर मैं संगीता दीदी के साथ काम करती थी। पार्लर खा मैं 2023 में तकवा पर रहती थी और 1-1/2 साल तक उनके यहां काम किया। उपजल नदपअमतेपजल जो नयी बनी है वहां उनका पार्लर था। मैं तकवा में संगीता दीदी के चार रूम वाले घर में 2000/-रु माहवार पर रहती थी। एक रूम में, बाकी रूम बडे थे। मम्मी पापा आये फिर गाँव चले गये। संगीता दीदी का अपना मकान एक और हुसडिया पर भी है, वही वह रहती थी। मैं उस घर में 1-1/2 साल अकेले रही। मैं रामलखन की आटा-चक्की पर गेहू पिसाने जाती थी। वहां राम लखन का लड़का था अवधेश कुमार यादव। मेरे वहां कुछ पैसे कम पड जाते थे, तो रजिस्टर बनता था। उसमे नाम व नम्बर लिखा जाता। फिर अवधेश मुझे काल करने लगे। फिर हमारी बातचीत होने लगी व अवधेश मुझे घुमाने लेकर जाते। फिर अवधेश ने मुझसे शादी के लिए बोला फिर जब हमने शादी के लिए फोर्स किया तो अवधेश ने गाली गलौज की व जाति सूचक शब्द कहे कि तू रंडी है मैं तेरे साथ शादी नही कर सकता। मेरे मां-बाप को भी गाली दी। ये 24.07.2024 है। ये सब गाली अवधेश ने फोन पर दी फिर मेरे रूम पर अवधेश व उनके बडे भाई अरविन्द यादव मेरे रूम पर आये। दोनो भाईयो ने मेरा हाथ-पैर बांधा व वीडियो बनाने लगे। वीडियो अरविन्द ने बनाई। अवधेश ने मेरे पेट पर मारा व अरविन्द ने मेरा बाल पकड़ कर दीवार मे लड़ा दिया। सूज गया पर खून नहीं निकला। सर के पीछे घाव बन गया था। फिर दोबारा हाथ-पाऊ बांधे। मेरे लोहे के पलंग पर हाथ-पाऊ बांधे थे, दुपट्टे व साड़ी से। अवधेश व अरविन्द दोनो ने मेरा रेप किया व शारिरीक संबंध बनाये। दोनो लोग ने वीडियो बनाया। ये रात 3-3-1/2 बजे की घटना है। वीडियो बनाये फिर मेरा फोन ले लिया। फिर अवधेश को मेरा पासवर्ड पता था उसने मेरा फोन लेकर जंचच लिंक भेजकर 5000/-रु दो बार मे काट लिया। मैं वहीं

निवस्त्र थी, मेरे हाथ-पाऊ बंधे थे। फिर हाथ-पाऊ खोलकर फिर मारा, मुंह पर मारा दोनों तरफ, फिर मेरा फोन तोड़ कर चले गये। और कहा कि मुंह मत खोलना। सुबह हम संगीता दीदी के पास गये।” फिर संगीता दीदी की मदद से एफ०आई०आर० हुई।

तत्पश्चात विवेचक के द्वारा पर्चा नं० 12 में अन्य साक्षियों के बयान जैसे विनोद, रामपाल, राजू, राम किशोर आदि के अंकित किये हैं तथा इन साक्षियों ने बयान दिया है कि जिस मकान में घटना होनी कही जा रही है, उस मकान में राम लखन यादव या उनके परिवार के अलावा कोई अन्य नहीं दिखाई पड़ा है तथा यह बात पता चली है कि कोई वकील साहब इस मकान को हड़पने के लिए अरविन्द यादव और अवधेश यादव के खिलाफ किसी लड़की को आगे करके फर्जी मुकदमा लिखवा दिये हैं। इसके बाद विवेचक के द्वारा अन्य गवाहों के बयान लिये गये हैं एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने वाली महिला का० व चिकित्साधिकारी डा० अर्पिता सेन गुप्ता का बयान लिया है, जिनसे यह पुष्ट हुआ है कि पीड़िता द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराने से स्वयं इंकार किया गया था। तत्पश्चात अभियुक्त अरविन्द यादव का भी बयान लिया गया है, जिसने बताया है कि पूजा रावत नाम की कोई महिला घटना स्थल पर नहीं रहती है तथा न्यायालय के परिवाद सं० 1400/241154/2024 को खारिज आदेश को छिपाकर दूसरे न्यायालय से एक पक्षीय मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। इस सभी के पीछे एक फर्जी अधिवक्ता परमानन्द गुप्ता व उसकी सहयोगी, उसकी पत्नी संगीता गुप्ता है, जो अरविन्द यादव के पुश्तैनी जमीन मकान को हड़पने के लिए एक फर्जी वाद सं० 747/2024 संगीता बनाम संजय आदि दाखिल किया है तथा अनेक फर्जी मुकदमों दाखिल किये हैं। अपने बयान में अरविन्द यादव के द्वारा 17 मुकदमों की सूची दी गयी है, जिसमें परमानन्द गुप्ता एवं पूजा रावत परिवादी हैं।

आगे के पर्चों में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ अरविन्द यादव के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की

गयी थी, उस रिट को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अभियुक्त पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध सी०बी०आई० जांच का आदेश पारित किया था, इसकी प्रतिलिपि विवेचक को दी गयी है, जिसका उल्लेख पर्चा नं० 17 में किया गया है, जो निम्न है:-

Court No.-10
Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. 1793 of 2025
Petitioner :- Arvind Yadav And Another
Respondent:- State Of U.P. Thru. Secy. Home Civil Sectt. Lko And Others
Counsel for Petitioner:- Mohd. Anas Khan, Amardeep Yadav, Vaibhav Singh
Counsel for Respondent :- G.A.
Hon'ble Vivek Chaudhary.J.
Hon'ble Brij Raj Singh, J.
1. Heard.
2. The petitioners have approached this court seeking issuance of a writ in the nature of certiorari for quashing of the First Information Report dated 30.01.2025 bearing Case Crime/ FIR No.40 of 2025 under Sections 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 of the BNS, 2023 and Section 66D of IT Act, 2008, Police Station Vibhuti Khand, District Lucknow and with further prayer to not arrest or take coercive steps or set up an enquiry against the petitioners.
3. Learned counsel for the petitioners submits that informant/victim namely Pooja Rawat is regularly filing false complaints/FIRs and has lodged as many as 11 of them against large number of persons and now the 12th one is against the petitioners, the details of 11 other FIRs are given in paragraph 22 of the writ petition. It is also claimed that all the complaints lodged by the informant/victim Pooja Rawat are through same lawyer namely Shri Parmanand Gupta. The details of complaints/ FIRs other than the present impugned FIR are as follows :-
"1. Complaint No.175 of 2025 ('X' vs. Priti Yadav and Others)
2. Complaint No. 1871 of 24 ('X' vs. Kamal Ali Warsi)
3. Complaint No.4400 of 24 ('X' vs. Ashish Soni and others)
4. Complaint No.2912 of 23 ('X' vs. Arvind Upadhyay)
5. Complaint No.852 of 23 ('X' vs. Vipin Yadav and Ors.)
6. Complaint No.160 of 23 ('X' vs. Vipin Yadav and others.)
7. Complaint No.780 of 20 ('X' vs. Dayashankar Srivastava)
8. Complaint No.1154 of 24 ('X' vs. Ram Lakhan and Others)
9. Complaint No.1460 of 24 ('X' vs. Ram Lakhan and Others)
10. Complaint No.6071 of 24 ('X' vs. Arvin and another)
11. FIR No.0197 dated 10.05.2023 ('X' vs. Vipin Yadav and other)"
4. It is also apparent that the informant and her counsel are in collusion with each other and have lodged false FIRs against large number of people for serious offence only to extract money from them. The present FIR is also such an FIR lodged to create pressure.

5. On instructions learned AGA states that such complaint cases were being lodged under difference offence and the present FIR thereafter is also in continuation with the same. Similarly, her counsel Parmanand Gupta has also filed large number of criminal cases and FIRs against different persons, details of which are as follows :-

"1) Cri. Mis. Case No. 99326/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Subham Srivastava)

2) Cri. Mis. Case No. 92617/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Beena Gupta)

3) Cri. Mis. Case No.112872 of 2024 (Parmanand Gupta Advocate vs. Karmran Ali and another)

4) Cri Mis. Case No. of 2024 (Parmanand Gupta Advocate vs. Anju Gautam)

5) Cri. Mis. Case No. 92614/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Daya Shankar Yadav and others)

6) Cri. Mis. Case No. 3171 of 2021 (Parmanand Gupta vs. Santosh Singh)

7) Cri. Mis. Case No. 1418 of 2021 (Parmanand Gupta vs. Dhannjay Pandey and others)

8) Cri. Mis. Case No. 1302 of 2021 (Parmanand Gupta Advocate vs. Rachit Agarwal and others)

9) Cri. Mis. Case No. 5115 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. Jitendra Kumar and others)

10) Cri Mis. Case No. 6221 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. R.P. Singh and others)

11) Cri. Mis. Case No. 5112 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. Jitendra Kumar Yadav and others)

12) Cri. Mis. Case No. 5112 of 2020 (Parmanand Gupta vs. Rama Shankar Yadav)

13) Cri. Mis. Case No. 2546/2019 (Parmanand Gupta Advocate vs. Kushal Kumar Tiwari and others)

14) FIR No. 0411 dated 17.05.2017 (Parmanand Gupta Advocate vs. Ram Shankar and others)

15) FIR No.0131 dated 25.02.2019 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Ramu and others)

16) FIR No.0340 dated 23.09.2020 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Anil Kumar another Others)

17) FIR No.0309 dated 22.9.2021 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Rehan Sidhdhiki and others)

18) FIR No.0369 dated 19.06.2023 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Rajnish Gupta and others)"

6. Considering the seriousness of the allegations with regard to the lodging of large number of criminal complaints by the victim/ informant Pooja Rawat through her counsel Shri Parmanand Gupta against large number of persons, of similar nature, we feel it appropriate to direct the CBI to enquire into the matter and submit its report.

7. The CBI shall submit its report to this Court by 10.04.2025.

8. List on 10.04.2025.

9. The Senior Registrar of this Court shall send a copy of this order to the Head of Branch, Central Bureau of Investigation, 7 Nawal Kishore Road, Hazratganj, Lucknow for compliance.

10. In view of the above, until further orders, it is provided that petitioners shall not be arrested in the aforesaid case crime number unless and until there is sufficient and credible evidence available against them indicating the commission of offence as alleged in the F.I.R.

Order date 05-03-2025
J.

(Brij Raj Singh, J.) (Vivek Chaudhary,

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के ससम्मान परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूजा रावत के द्वारा अनेकों मुकदमें अपने सहकर्मी संगीता गुप्ता, परमानन्द गुप्ता के साथ एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अधीन, परमानन्द गुप्ता के विपक्षियों के विरुद्ध करवाये गये, जिसकी जानकारी होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त सी०बी०आई० जांच का आदेश किया है।

विवेचक के द्वारा आगे के पर्वों में यह पाये जाने पर कि परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता एवं विपक्षीगण के बीच में जमीन को लेकर रंजिश है तथा इसी कारण से संगीता बनाम संजय यादव मूल वाद संख्या 747/2024 सिविल जज जू०डी०, हवाली, लखनऊ का मुकदमा भी लंबित है। उससे संबंधित बिजली के बिल, वाद पत्र इत्यादि को अवलोकन किया गया है तथा महिला को घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया एवं ग्रामीणों के इकट्ठा हो जाने पर इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि सभी ग्रामीण पूजा रावत को नहीं पहचानते हैं और न ही उसके वहां रहने का कोई जानकारी दे रहा है, बल्कि यह सामुहिक निष्कर्ष निकला है कि परमानन्द गुप्ता, जो माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है और जमीन के व्यवसाय में भी लिप्त है तथा जो व्यक्ति उसके जमीनी विवाद में हस्ताक्षर करता है, उन लोगों के विरुद्ध उसी महिला पूजा रावत द्वारा झूठे अभियोग व न्यायालय में पंजीकृत करवा दिये जाते हैं, जिससे एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के दबाव में लोग परमानन्द गुप्ता से समझौता करने हेतु विवश हो जाते हैं। परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है तथा पूजा रावत तभी से संगीता गुप्ता से भी जुड़ी हुई है। आगे पर्वों में संगीता गुप्ता बयान लिया गया है, जिसने बताया है कि जुलाई में किसी दिनांक को अरविन्द और अवधेश, पूजा रावत के घर में

घुस गये थे तब पूजा रावत ने आ करके संगीता गुप्ता को बताया था कि उन दो लड़कों में से एक ने पूजा रावत के साथ गलत काम किया था, जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर आयी थी, जिसको लेकर एफ०आई०आर० लिखवाने गयी थी, परंतु बच्चे की तबियत खराब हो जाने के कारण वह वापस आ गयी तब संगीता गुप्ता के पति परमानन्द गुप्ता ने लग कर एफ०आई०आर० दर्ज करवाई थी।

इस प्रकार संगीता गुप्ता के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि जुलाई 2024 में किसी रात को पूजा रावत ने जब संगीता गुप्ता से अपने साथ बलात्कार की शिकायत की थी तो अरविन्द व अवधेश में से किसी एक के खिलाफ शिकायत की थी तथा बाद में उसी रात परमानन्द गुप्ता ने एफ०आई०आर० दर्ज करवाई। आगे यह पत्रावली में आया है कि 24 जुलाई, 2024 की घटना को लेकर पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता के द्वारा एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० में राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लाल जी यादव, जितेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, अवधेश यादव व मोहित यादव अर्थात कुल मिलाकर 07 अभियुक्तगण के विरुद्ध एफ०आई०आर० लिखवाने का प्रयास किया गया तथा इसमें किसी के द्वारा भी बलात्कार करना नहीं कहा गया, मात्र बलात्कार करने का प्रयास करना कहा गया, जो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उसके बाद दिनांक 24.07.2024 की घटना को लेकर विशेष सी०जे०एम० के न्यायालय में अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव बलात्कार करने की घटना दिखाकर तथा पीड़िता एस०सी०/एस०टी० होने के तथ्य को छिपाकर एफ०आई०आर० दर्ज करवा ली गयी। यदि पूजा रावत के द्वारा विशेष सी०जे०एम० के न्यायालय में यह तथ्य बताया गया होता कि पूजा रावत एस०सी० वर्ग की है तो उस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को एस०सी०/एस०टी० न्यायालय कोर्ट में भेज दिया गया होता। इसी से बचने के लिए तथा न्यायालय से छल करने के लिए अभियुक्त परमानन्द गुप्ता एवं

पूजा रावत द्वारा यह चाल चली गयी थी।

आगे के पक्षों में विवेचक के द्वारा वादिनी पूजा रावत के मो०नं० 7233090115 व आरोपी अवधेश यादव के मो०नं० 8081454558 तथा अरविन्द यादव के मो०नं० 6307364542 के मोबाइल की सी०डी०आर० लोकेशन भी ली गयी तथा उसको इस केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है तथा यह उल्लेख किया गया है कि कथित घटना की तिथि, समय पर पूजा रावत की लोकेशन मल्हौर कासिंग के पास एमिटी यूनिवर्सिटी, थाना चिनहट क्षेत्र में पाया गया तथा अवधेश यादव की लोकेशन कथित घटना के समय व दिनांक पर विराजखण्ड डिवाइन अस्पताल, लखनऊ तथा अरविन्द यादव की लोकेशन तखवा विभूतिखण्ड होना पाया गया। जहां नामित आरोपीगण को निवास स्थान है। सी०डी०आर० के अवलोकन से भी पाया गया कि कथित घटना की तिथि में वादिनी पूजा रावत एवं नामित आरोपी अवधेश यादव व अरविन्द यादव की लोकेशन भिन्न-भिन्न है। इस न्यायालय द्वारा उक्त सी०डी०आर० मोबाइल कॉल के लिस्ट को ध्यान से देखा गया तथा विवेचक के निष्कर्षों की वैज्ञानिक पुष्टि हो रही है। यहां यह उल्लेख करना विधि संगत होगा कि मोबाइल नंबर की लोकेशन सी०डी०आर० के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को भी नियमानुसार प्रस्तुत करके साबित किया गया है।

आगे की विवेचना में विवेचक के द्वारा यह पाये जाने पर कि घटना स्थल पर नामित अभियुक्तगण व पीड़िता एक साथ नहीं थे तथा स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना प्रमाणित नहीं हो रही है तथा मेडिकल परीक्षण कराने से पीड़िता ने स्वयं इंकार कर दिया था, इस कारण मेडिकल साक्ष्य भी पीड़िता के कथानक को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, यह पाते हुए कि पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता के द्वारा जमीनी विवाद में अरविन्द एवं अवधेश यादव के विरुद्ध रेप एवं एस०सी०/एस०टी० का झूठा मुकदमा लिखवाया गया है, मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी तथा इन दोनों पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट को एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं बलात्कार के झूठे मुकदमें

लिखवाने का अभ्यासित अपराधी पाते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही एवं विचारण करने हेतु न्यायालय में परिवाद प्रेषित कर दिया।

विवेचक, राधारमण सिंह ने अपनी विवेचना में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इसी घटना दिनांक 24.07.2024 के संबंध में जब विशेष न्यायालय एस०सी०/एस०टी० द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था तब पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता विशेष सी०जे०एम० के न्यायालय में दूसरा वाद दाखिल करके एफ०आई०आर० लिखवाने का आदेश तथ्यों को छिपाकर आदेश प्राप्त कर लिया था। उक्त आदेश के बारे में इस न्यायालय में फौजदारी अहलमद के द्वारा 1154/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन आदि की पत्रावली को प्रस्तुत करके इस बात की पुष्टि की है।

उल्लेखनीय है कि इस विशेष एस०सी०/एस०टी० न्यायालय में दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं० 1154/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन आदि भी पूजा रावत की ओर से एक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र इन दोनों अभियुक्तगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के साथ-साथ इनके पिता राम लखन यादव व अन्य अभियुक्तगण राम उजागर आदि के विरुद्ध इस आशय का दिया गया था कि दिनांक 24.07.2024 को समय 03.00 बजे उसके साथ विपक्षीगण द्वारा उसका सामान तोड़ दी गया, बलात्कार की कोशिश की गयी एवं वस्त्र फाड़ दिये गये थे, जिसको इस न्यायालय के विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 03.10.2024 को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश निम्न है:-

03-10-2024

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० दिनांकित 29.07.2024 पर सुना जा चुका है। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदिका पूजा रावत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लालजी यादव, जितेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, अवधेश यादव व मोहित यादव

के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में आवेदिका द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आवेदिका बी०ए० द्वितीय वर्ष की छात्र है और प्रावेट कार्य कर अपनी पढ़ाई का खर्च व आजीविका चलाती है तथा वह एक कमरा श्रीमती संगीता गुप्ता से खसरा सं० 351स तखवा कठौता प्राइमरी स्कूल के पास विराज खण्ड-5 में रू० 2000/- प्रतिमाह किराये पर माह 01.03.2024 में लिया था। उक्त मकान में आवेदिका समस्त सामान, अलमारी, बेड तथा किचन का सामान सहित रह रही थी। दिनांक 24.07.2024 को समय करीब 03.00 बजे जब आवेदिका अपने कमरे में सोर रही थी, उसीसमय विपक्षीगण एक राय होकर आ गए और उसका सारा सामान जबरदस्ती एक डाले में लाद कर चले गये तथा आवेदिका के मना करने पर बोले कि यह मकान उनका है, आवेदिका यहां कैसे रह रही है। आवेदिका द्वारा बताया कि वह किराये पर रह रही है, तो विपक्षीगण द्वारा कहा गया कि किराया उन्हें दो। आवेदिका द्वारा मकान मालिक को फोन करके बताना चाहा तो विपक्षीगण द्वारा उसका फोन तोड़ दिया और गाली गलौज करने लगे तथा मना करने पर उसके द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की गयी एवं उसके अन्तरण वस्त्र फाड़ दिये। आवेदिका किसी तरह अपनी इज्जत बनाकर भाग कर संगीता गुप्ता के घर गयी और उन्हें लेकर मौके पर गयी तो देखा कि उसका सारा सामान विपक्षीगण ने गायब कर दिया है तथा दीवार पर मकान मालिक का नाम तथा वाद संख्या 747/2024 विचाराधीन न्यायालय सिविल जज जू०डि०, हवाली, लखनऊ लिखा हुआ मैटर को भी मिटा दिया गया। इसके बाद आवेदिका व मकान मालिक घटना की लिखित शिकायत की गयी, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा चौकी कठौता से एक दरोगा व दो सिपाही मौके पर भेजा गया, परंतु उन लोगों द्वारा विपक्षीगण से लेन-देन कर आवेदिका न तो सामान वापस दिलाया गया और न रहने दिया गया। इसकी सूचना थाना स्थानीय पर व पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी दिया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत 175(3) बी०एन०एस०एस० में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच का स्वतंत्र एजेंसी थाना पुलिस विभूतिखण्ड से रिपोर्ट तलब की गयी। थाना विभूतिखण्ड की पुलिस की आख्या के अनुसार घटना के संबंध में आवेदिका के अगल-बगल के रहने वाले राम पाल व श्रवण कुमार से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आवेदिका द्वारा बताये गये भवन/भूखण्ड पर विपक्षी रामलखन के जानवर बांधे जाते हैं और उक्त भूमि पर राम लखन के पूर्वज काबिज थे और अब राम लखन उसी भूमि पर काबिज हैं और राम लखन काफी समय से अपने जानवर

उसी भूमि पर बांधते हैं। वे किसी पूजा रावत को नहीं जानते हैं न ही कभी यहां आयी है। उन लोगों के द्वारा संगीता गुप्ता को भी जानने से इंकार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र व थाने की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका के संबंध में थाने द्वारा जानकारी किये जाने पर मौके पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदिका पूजा रावत के विषय में कोई जानकारी होने से इंकार किया गया तथा उनके द्वारा उक्त मकान की कथित मालकिन संगीता गुप्ता को जानने से इंकार किया गया है। साक्षियों द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त भूखण्ड विपक्षी राम लखन के पूर्वजों का है और पहले राम लखन के पूर्वज रहते थे और अपने जानवर बांधते थे और उनकी मृत्यु के बाद से राम लखन उस भूमि पर काबिज है और वे अपने जानवर बांधते हैं। आवेदिका द्वारा उक्त मकान में किराये पर रहने के संबंध में भी कोई साक्ष्य जैसे किरायेदारी अनुबंध पत्र, किराये की रसीद आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदिका उक्त भूखण्ड पर मु० 2000/- रुपये पर किराये पर रह रही थी। इसके अतिरिक्त कथित मकान मालकिन संगीता गुप्ता द्वारा भी मकान की मालकिन होने के संबंध में भी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका पूजा रावत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में, जो विशेष न्यायालय एस०सी०/एस०टी० में प्रस्तुत किया गया, उसमें दिनांक 24.07.2024 की घटना दिखाते हुए पूजा रावत के द्वारा गैंगरेप का आरोप नहीं लगाया गया था तथा उसमें अभियुक्तगण के नामों की संख्या भी अधिक थी, परंतु जो प्रार्थना पत्र विशेष सी०जे०एम०, कस्टम के यहां दिया गया, उसमें दिनांक 24.07.2024 की रात 12.30 बजे की घटना दिखाकर गैंगरेप का कथानक बढ़ा दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता एस०सी०/एस०टी० समुदाय की है तथा प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के आशय से उसके द्वारा विशेष सी०जे०एम०, कस्टम के न्यायालय में, इस विशेष न्यायालय के उक्त आदेश

दिनांक 03.10.2024 के बाद आई०टी० ऐक्ट का कथानक बनाते हुए दिनांक 18.01.2025 को आदेश प्राप्त किया गया। पीड़िता को मालूम था कि वह एस०सी०/एस०टी० की है, परंतु उसके द्वारा इस तथ्य को विशेष न्यायालय से छिपाया गया।

इस संबंध में अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट से प्रश्न सं० 35 में पूछे जाने पर कि उसके द्वारा विशेष सी०जे०एम०, कस्टम के न्यायालय में पूजा रावत के एस०सी०/एस०टी० की होने की बात को छिपा कर क्यों प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में अभियुक्त परमानन्द गुप्ता का उत्तर है कि पीड़िता द्वारा बताया गाय था कि वह पासीरावत जाति की नहीं है तथा उसका जाति प्रमाण पत्र किसी दलाल के माध्यम से फर्जी बनाया गया था, इस कारण परमानन्द, एडवोकेट द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता न्यायालय के समक्ष बार-बार झूठ पर झूठ बोले जा रहा है तथा चाहता है कि उस पर विश्वास कर ले। परमानन्द गुप्ता को भलीभांति मालूम है कि पूजा रावत एस०सी० है, क्योंकि उसके द्वारा वर्ष 2024 के पहले भी कई मुकदमें एस०सी०/एस०टी० के पूजा रावत के माध्यम से अपने विरोधियों के विरुद्ध दाखिल कराये गये हैं, जिनका उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय ने क्रि० रिट पीटिशन सं० 1725/2025 में किया है, जिसमें क्रम संख्या 11 पर उल्लिखित मु०अ०सं० 157/2023 सरकार बनाम विपिन यादव में आरोप पत्र भी आ चुका है तथा उसमें पूजा रावत का बयान भी हो चुका है। यदि वर्ष 2023 में पूजा रावत एस०सी० थी तो वर्ष 2024 में एस०सी० कैसे नहीं रहेगी, जबकि 2024 में एस०सी०/एस०टी० कोर्ट में पूजा रावत का मुकदमा इसी अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने अपने वकालतनामों के माध्यम से दाखिल किया था। इस प्रकार परमानन्द गुप्ता बार-बार न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी करने का अभ्यस्त हो चुका है।

इसी दिनांक 24.07.2024 की काल्पनिक घटना के संबंध में अभियुक्त

परमानन्द गुप्ता, सहअभियुक्ता पूजा रावत को आगे करके प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 1460/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन यादव आदि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० दिनांकित 31.08.2024 न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें अधिवक्ता, यही परमानन्द गुप्ता था तथा उसमें राम लखन यादव, उनकी पत्नी, बबिता यादव पुत्री राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लालजी यादव, जितेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, अवधेश यादव, मोहित यादव सब मिलकर 09 अभियुक्तगण को नामित किया गया था। बाद में इस प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया गया एवं दिनांक 28.10.2024 को वह प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज हो गया था। इस प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र का उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०बी०आई० जांच हेतु आदेश दिनांक 05.03.2025 क्रम सं० 09 पर किया गया है। स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र में राम लखन यादव के परिवार के 09 मुल्लिम बनाये गये। तत्पश्चात सोच समझ कर एक अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र 1154/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन आदि में दोनों अभियुक्तगण परमानन्द गुप्ता एवं पूजा रावत के द्वारा राम लखन के परिवार के 04 लोगों का नाम निकाल दिया गया एवं 05 लोगों का नाम डाला गया तथा यह भी प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद विशेष सी०जे०एम०, कस्टम, लखनऊ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अभियुक्त पूजा रावत व परमानन्द गुप्ता मु०अ०सं० 40/2025, थाना विभूतिखण्ड, जिसमें विवेचक ने विवेचना के उपरांत यह अंतिम आख्या एवं धारा 217 बी०एन०एस०एस० की रिपोर्ट प्रेषित कर दी, दर्ज करवाने में अंततः कामयाब हो गये।

अभियोजन की ओर से दूसरे साक्षी के रूप में मामले को साबित करने के लिए अरविन्द यादव को पी०डबल्यू०-1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि "मैं न्यायालय के सम्मन पर आज न्यायालय के समक्ष अपना बयान दे रहा हूँ कि मैं इंटर तक पढ़ा हूँ। मैं यादव जाति का हूँ। मैं व्यवसाय के रूप में मैं आटा चक्की का व्यवसाय सन 2004 से कर रहा हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। एक लड़का व एक लड़की है। मेरा

मकान तखवा गांव में ही और मेरी उसी ग्राम सभा (तखवा भरवारा) में पुस्तैनी जमीन है, जिस पर वर्तमान समय में खेती का कार्य नहीं होता है। उपरोक्त जमीन जो मेरे मकान के पास में ही है, जिस पर मैं आटा चक्की लगा रखा हूँ और वही रहता भी हूँ। उपरोक्त भूमि पर ही अपने जानवर बांधता हूँ और जानवर संबंधित चारा तथा कंडे आदि रखने का कार्य करता हूँ। मेरे पिता जी भी शाम व सुबह जानवरों की देखभाल करने के लिए आते जाते हैं। मार्च, 2024 में उपरोक्त जमीन पर निर्माण कार्य कराना प्रारंभ किया था, तो उसी समय परमानन्द गुप्ता व मेरे ही घूर के पीछे रहने वाले संजय यादव उपरोक्त जमीन अपना बताते हुए दिनांक 25.04.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्टे आदेश को थाने के माध्यम से प्राप्त हुआ। उपरोक्त स्थगन आदेश की जानकारी के संबंध में अपने वकील साहब के माध्यम से जानकारी प्राप्त, जिसमें इन्होंने कूट रचित दस्तावेज लगाकर न्यायालय को गुमराह कर आदेश प्राप्त कर लिया था। इससे पूर्व हम लोग परमानन्द गुप्ता को न तो जानते थे, न पहचानते थे। उपरोक्त भूमि को प्राप्त करने की मंसा एवं मेरे व मेरे परिवार पर दबाव बनाने के लिए इनके द्वारा ही किसी पूजा रावत नाम की लड़की को माध्यम बनाकर न्यायालय एस०सी०/एस०टी०, लखनऊ में धारा 156(3) द०प्र०सं० के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसका माननीय न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रा० पत्र जब माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान न लेने के कारण परमानन्द गुप्ता, द्वारा पूजा रावत के माध्यमे से विभिन्न-विभिन्न न्यायालय में धारा 156(3) द०प्र०सं० के तहत प्रा० पत्र दिया गया, जिसमें निचली अदालत द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। उपरोक्त के संबंध में मुझे जानकारी होने पर मैं अपने दस्तावेजों को संलग्न करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर उपरोक्त मुकदमा निरस्त करने हेतु दाखिल की, जिसमें मेरी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी थी। उसी मुकदमे से संबंधित आज मैं न्यायालय में साक्ष्य दे रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी गिरफ्तार रा रोक लगाते हुए वादिनी पूजा रावत व परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध

सी०बी०आई० जांच के आदेश दिये थे, जिसकी विवेचना सी०बी०आई० द्वारा की जा रही है, जिसमें मुझे सी०बी०आई० के विवेचक द्वारा तलब भी किया गया था। मु०अ०सं० 40/2025 अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352, बी०एन०एस० व धारा 66डी आई०टी० ऐक्ट धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ बनाम अरविन्द यादव आदि, जिसमें वादिनी पूजा रावत द्वारा जो घटना बनाई गयी थी, दोरान विवेचना झूठी साबित होने पर विवेचक द्वारा अतिम रिपोर्ट लगाते हुए माननीय न्यायालय में दाखिल की गयी, जिसके विषय में मैंने अपने अधिवक्ताद्वारा पता किया, मुझे जानकारी हुई कि विवेचक महोदय द्वारा उपरोक्त मुकदमें में एफ०आर० लगा दी थी और माननीय न्यायालय से 182 भा०दं०सं० की कार्यवाही हेतु मुझे साक्ष्य हेतु तलब किया गया, जिसमें मैं आज गवाही दे रहा हूँ।

साक्षी ने आगे कहा कि जो आरोप वादिनी द्वारा मेरे उपर लगाये है, वह काल्पनिक एवं मनगढ़न्त है। मैं कीर्ती पूजा रावत से नहीं मिला हूँ और न ही पूजा रावत को पहचानता हूँ, उनके द्वारा जो आरोप लगाये गये है वो असत्य हैं। हाजिर अदालत वादिनी मुकदमा पूजा रावत को देखकर कहा कि न तो मैं इन्हें पहचानता हूँ न ही कभी मेरी इनसे मुलाकता हुई।, जो भी लिखाया है, झूठा लिखाया है। मैंने न तो कभी उनके मोबाइल नंबर पर काल किया है और न ही उसका मोबाइल नंबर जानता हूँ और न ही मैंने पूजा रावत के मोबाइल से फोन पे कराया, न तो मेरे गांव में पूजा रावत कभी रही हैं और न ही परमानन्द गुप्ता, वकील साहब का मकान ही है। परमानन्द गुप्ता वकील साहब द्वारा वर्ष 2023 में एक प्लॉट की रजिस्ट्री दिनांक 08.06.2024 को मेरे गांव के ही राजेश पुत्र स्व० कल्लू से मेरी उपरोक्त भूमि का बैनामा अपनी पत्नी संगीता गुप्ता के नामसे करा लिया था, जबकि बैनामा करने वाले राजेश पुत्र स्व० कल्लू का देहान्त बैनामा करने वाले तिथि से 11 दिन पहले दिनांक 27.05.2023 को हो गया था। परमानन्द गुप्ता वकील द्वारा ही फजी बैनामा गाटा सं० 351स

तखवा कठौता में कराकर बार-बार तथ्यों में हेराफेरी करके कभी अपनी पत्नी संगीता गुप्ता की तरफ से तो कभी पूजा रावत की तरफ से तो कभी अपनी तरफ से तथा कुछ लोगों के माध्यम से मेरी जमीन को हड़पने के लिए दबाव बनाने के लिए विभिन्न जगहों पर प्रा० पत्र देते थे। हम लोगों की जमीन हड़पने के उद्देश्य मात्र से ही दबाव बनाने के लिए श्रीमती संगीता गुप्ता व उसके पति परमानन्द गुप्ता ने अपने सहयोगी पूजा रावत से षड़यंत्र कर तथ्यों को छुपाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। परमानन्द गुप्ता वकील द्वारा षड़यंत्र बनाकर मेरे व मेरे परिवार के उपर 4 झूठे मुकदमें एवं मेरी जानकारी में लगभग अन्य लोगों पर 30 मुकदमें लगभग पंजीकृत करा रखे हैं। उपरोक्त मुकदमें से संबंधित दस्तावेज दौरान विवेचना विवेचक को बयान लेने के दौरान सौंप दिये थे। मेरी पूजा रावत से कोई व्यक्ति रंजिश नहीं है और न ही मैं कभी उससे मिला हूँ, जो भी है सब परमानन्द गुप्ता द्वारा मेरी जमीन हड़पने की नियत से मेरे उपर मुकदमा पंजीकृत करवाया है।

इस साक्षी से अभियुक्त परमानन्द द्वारा जिरह की गयी, जिसमें साक्षी ने यह बताया है कि संगीता बनाम संजय यादव का जो दीवानी मुकदमा चल रहा है वह खसरा संख्या 351 का है, लेकिन उसमें चौहद्दी मेरे प्लॉट की दिखा करके विवाद किया जा रहा है तथा खसरा नं० 76 को दिखाकर विवाद चल रहा है। खसरा नं० 76 में चार कमरे बने हैं, दो लैट्रीन, दो बाथरूम और उसमें तीन किरायेदार रहते हैं। इस साक्षी के साक्ष्य से लग रहा है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता व विपक्षी संजय यादव के बीच में जो मुकदमा चल रहा है, उसमें विपक्षी अरविन्द यादव के खसरा सं० 76 की जमीन शामिल कर ली गयी है तथा चुपचाप अरविन्द यादव उसके भाई अवधेश यादव आदि विरोध न करें इसलिए पूजा रावत के माध्यम से रेप और छेड़छाड़ तथा एस०सी०/एस०टी० के मुकदमें लिखवा दिये गये।

अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने साक्षी राधारमण सिंह, ए०सी०पी० से जिरह में यह पूछा है कि विवेचक द्वारा इस बिन्दु पर विवेचना क्यों नहीं की गयी

कि घटना स्थल खसरा संख्या 351स में है अथवा गाटा संख्या 76 में है, जिस पर विवेचक ने उत्तर दिया है कि वे बलात्कार से संबंधित जघन्य अपराध की विवेचना करने गये थे न कि दीवानी मामले में विवेचना करने गये थे। इस एक प्रश्न से साबित हो जाता है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, अपने सहयोगी पूजा रावत को आगे करके विवादित सम्पत्ति के उस भाग में रेप/गैंगरेप/एस०सी०/एस०टी० का मुकदमा दर्ज करवा कर उस सम्पत्ति के कब्जाधारियों/स्वामियों को जेल में डलवाना चाहता था, जो सम्पत्ति अरविन्द यादव, अवधेश यादव के परिवार के साथ सम्बद्ध है।

इस साक्षी ने जिरह के पेज 12 पर यह भी बताया है कि परमानन्द गुप्ता ने पूजा रावत को अपना क्लर्क बता करके कामरान अली के विरुद्ध भी एस०सी०/एस०टी० का मुकदमा दर्ज करा दिया था, क्योंकि कामरानी अली बैनामे का गवाह था। माननीय उच्च न्यायालय के सी०बी०आई० विवेचना वाली आदेश रिट पीटिशन संख्या 1793/2025 में क्रम सं० 2 पर परिवाद संख्या 1871/2024 पूजा रावत बनाम कामरान अली, परिवाद का उल्लेख है, जिस पत्रावली को इस न्यायालय द्वारा कार्यालय से मंगाकर देखा गया, जिसमें अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने पूजा के लिए वकालतनामा लगाया है तथा पूजा रावत को अपना एडवाकेट क्लर्क बताया है। इस प्रकार यह तथ्य सामने आ रहा है कि परमानन्द गुप्ता का जिस किसी से भी मतभेद होता था, उसके विरुद्ध पूजा रावत को सामने करके एस०सी०/एस०टी० का फर्जी मुकदमा न्यायालय में दर्ज करवा देता था। इससे पूजा रावत को भी पैसे मिल जाते थे और परमानन्द गुप्ता अपने विरोधियों को शांत कर देता था और दोनों सहअभियुक्तों को एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल जाया करता था।

अभियोजन की ओर से पी०डबल्यू०-3 पूजा रावत का बयान हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि “मैं बी०ए० द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई के संबंध में मैं लखनऊ लगभग 6 वर्ष पूर्व आयी थी।

अपनी पढ़ाई एवं अपने खर्च की पूर्ती के लिए मेरे द्वारा कई जगहों पर प्राइवेट कार्य किया गया। इसी दौरान नौकरी के संबंध में मेरी मुलाकात ब्यूटी पार्लर संचालिका संगीता गुप्ता व उनके पति परमानन्द गुप्ता जो अपने को पेशे से वकील होना बताया। उनकी पत्नी द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर में मैंने सहायिका के रूप में उनके कहने पर कार्य करने लगी। उसी दौरान मेरे आधार कार्ड, जिसमें कुछ त्रुटि थी, उसको ठीक कराने के लिए उनके पति परमानन्द गुप्ता द्वारा मेरा आधार कार्ड, फोटो, आय, जाति, निवास एवं पैन कार्ड आदि प्रापत्र कागजात लिये गये थे और मेरे सादे कागजों पर हस्ताक्षर भी बनवा लिये थे। मेरे द्वारा लिये गये कागजातों के आधार पर उनके द्वारा मेरे नाम के एक मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित कराकर विभूतिखण्ड थाने में दर्ज करवाया, जिसका अपराध सं० 40/2025 अंतर्गत धारा-64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बीएनएसएस व 66डी आई०टी० ऐक्ट दर्ज कराया गया, जिसके संबंध में उपरोक्त वकील परमानन्द गुप्ता द्वारा न तो मुझे कुछ बताया गया और न ही मुझे पड़कर सुनाया गया था। पुलिस द्वारा बुलाये जाने पर मुझे मुकदमें के बारे में पता चला। तो मैंने पुलिस को परमानन्द गुप्ता वकील के दबाव में मैंने अपना बयान कराया एवं उपरोक्त मुकदमें के संबंधित जो तथ्य दर्शाये गये हैं, उस तरह की घटना न तो मेरे साथ हुआ है न ही उसमें शामिल अभियुक्तगण द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ या बलात्कार किया गया और न तो मैं उनको पहचानती हूँ, न ही उनको जानती हूँ, जो भी घटना दर्शायी गयी है वो सारी मनगढ़न्त, झूठी एवं असत्य है और मजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया, जैसा परमानन्द वकील कहते थे, वैसे ही बयान देना पड़ता था। मैं आज न्यायालय के समक्ष सही बात बता रही हूँ, ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले। परमानन्द वकील के द्वारा ही मेरे कागजातों को व मेरा अनुसूचित जाति का फायदा उठाते हुए विभिन्न अदालतों में मुकदमें लिखवाये हैं, जिसके संबंध में मैंने इसी अदालत में अपना साक्ष्य दिया है। मेरी अभियुक्तगण से कोई रंजिश नहीं है, जो भी किया गया है वो परमानन्द वकील के द्वारा ही किया गया है और उनके द्वारा बताया जाता था कि मुकदमा

लिखने के बाद तुम्हें रुपये मिलेगा, जिसमें हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन जो पैसा मिला वो परमानन्द गुप्ता ने ले लिया, मुझे कुछ नहीं मिला।

इस साक्षी से अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा जिरह की गयी है तथा जिरह के दौरान एक दूसरे के परिचित होने के नाते यह निश्चित किया गया कि दोनों में आपस में भौतिक सम्पर्क न हो तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परमानन्द गुप्ता, पूजा रावत की जिरह करे। जिरह में दिनांक 07.08.2025 को सहअभियुक्ता पूजा रावत ने यह साक्ष्य दिया कि उसने अब अपना अधिवक्ता बदल लिया है। अब परमानन्द गुप्ता उसके वकील नहीं रहेंगे। उसने यह कहा कि उसने मुकदमा लिखवाने के बाद 75000/- रु० सरकार से राहत राशि मिली थी। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने के कारण उस दिन जिरह रोक दी गयी। दिनांक 08.08.2025 को दोनों अभियुक्तगण को आमने सामने जिरह करने के लिए उपस्थित किया गया, तब अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष कहा गया कि पूजा रावत न्यायमित्र नहीं रखना चाहती है तथा नया अधिवक्ता रखना चाहती है। इस अनुरोध को इसलिए अस्वीकार कर दिया कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध पूजा रावत को साक्ष्य देना था। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि परमानन्द गुप्ता पूजा रावत के बीच में आपस में सम्पर्क हो चुका है। जिरह में आगे बढ़ने पर पूजा रावत ने कहा कि राम लखन और उसकी पत्नी ने उसको जातिसूचक गाली दी थी, परंतु उसने कहा कि सरकार की ओर से उसे कोई पैसा नहीं मिला था तथा उसके साथ रेप की घटना हुई थी तथा चार लोग थे, जिन्होंने रेप किया था, लेकिन उनको पहचान नहीं पायेगी और इसके बारे में उसने संगीता को बताया था। उसने यह भी बताया कि अरविन्द यादव के साथ वह जैनेश्वर मिश्र पार्क घुमने जाती थी। अपने फोन के माध्यम से नामित अभियुक्त द्वारा पैसा ले लिये जाने के बारे में इस साक्षी ने बताया कि वह आटा चक्की पर पैसा लेने जाती थी। आटा पिसाई का पैसा देने के लिए स्कैन कर रही थी तो उस पर स्कैन नहीं हुआ तब अरविन्द पर वाहट्सअप पर भेज कर

कहा कि इस पर करो, उससे नहीं हो रहा था, तब अरविन्द ने खुद ही कर लिया। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने परमानन्द गुप्ता के द्वारा पुनः प्रभावित कर लिये जाने के बाद न्यायालय कक्ष में रो कर बताया कि उसके साथ रेप की घटना चार लोगों ने की थी, परंतु उनका नाम वह नहीं जानती है और पहचान भी नहीं पायेगी। इस साक्षी से जिरह में अभियोजन का समर्थन न करने पर अभियोजन ने प्रतिपरीक्षा की अनुमति चाही तथा इस दिनांक 11.08.2025 को पूजा रावत काराकार में वी०सी० पर थी और अभियुक्त परमानन्द गुप्ता न्यायालय कक्ष में था एवं दोनों के बीच दूरी बनी हुई थी तब अभियुक्ता पूजा रावत ने कहा कि जो मुकदमा एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट तथा कस्टम में दाखिल कराया गया था, उन दोनों में परमानन्द गुप्ता ही वकील थे। आगे उसने यह भी बताया कि परमानन्द गुप्ता ने लिखकर अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराये थे। एक प्रश्न के उत्तर में पूजा रावत से पूछा गया कि एक ही घटना के अलग-अलग अभियुक्त कैसे बना दिये थे, तो पूजा रावत ने बताया कि उसे नहीं मालूम तो परमानन्द गुप्ता ने लिख कर दिया था।

पक्षद्रोही साक्षी के संबंध में यह विधि है कि उसके साक्ष्य को एकदम से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, तथा जहां तक अभियोजन कथानक को समर्थन कर रहा हो, वहां तक उसका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान मामले में पूजा रावत को दुष्प्रेरित करके परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा दिनांक 24-07-2024 की घटना के संबंध में एक बार एस०सी०/एस०टी० कोर्ट में प्रकीर्ण वाद संख्या 1154/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन यादव आदि डलवाया गया, यहां से खारिज हो जाने के बाद विशेष सी०जे०एम० कस्टम के न्यायालय में अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव के विरुद्ध गैंगरेप का मुकदमा लिखवाया गया, जबकि घटना विवेचक द्वारा प्रमाणित नहीं हुई। मेडिकल के लिए जाने पर परमानन्द गुप्ता के द्वारा पीड़िता को दुष्प्रेरित कर दिया गया कि वह वहां पर जाकर लिखकर दे दे कि वह मेडिकल नहीं कराना चाहती है, जिससे कोई साक्ष्य न आ सके। यहां न्यायालय में परमानन्द गुप्ता

अभियुक्त के द्वारा धारा 313 दं०प्र०सं० में यह बयान दिया गया कि डाक्टर द्वारा पूजा रावत से जबरदस्ती अंगूठा निशानी लगवाकर स्वयं लिख लिया गया। जबकि मेडिकल प्रपत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूजा रावत स्वयं अपने हस्ताक्षर में लिखा गया है और हस्तलेख भी उसी का है तथा उस पर कोई निशानी अंगूठा नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता के द्वारा लगातार झूठ पर झूठ बोलकर न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव को दोषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता के द्वारा आपसी षड़यंत्र के माध्यम से पूजा रावत, जो अनुसूचित जाति की महिला है, को दुष्टेतरित कर दिया गया कि वह अवधेश यादव एवं अरविन्द यादव के विरुद्ध बलात्कार एवं एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के झूठे मुकदमें लिखवाये। ऐसा इसलिए कर दिया गया, क्योंकि परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता का सम्पत्ति का मुकदमा संजय यादव से चल रहा था और गाटा संख्या 351स और गाटा सं० 76 की चौहद्दी में विवाद दिखला कर विपक्षी अरविन्द यादव आदि की सम्पत्ति उसमें शामिल की जा रही थी तथा अरविन्द यादव एवं उसके परिवार वालों इस मामले में खामोश हो जाये, इसलिए उनके विरुद्ध बार-बार पूजा रावत को दुष्टेतरित करके एस०सी०/एस०टी० एवं रेप के विभिन्न न्यायालयों में परमानन्द गुप्ता द्वारा लिखवाये गये। इस प्रकार **प्रश्न संख्या 1 व 2 एक साथ सकारात्मक रूप से निर्णीत** किये जाते हैं।

निस्तारण बिन्दु संख्या-3:-यह प्रश्न इस आशय का विरचित किया गया है कि “क्या सहअभियुक्ता पूजा रावत के द्वारा, क्षमादान की शर्तों का पालन किया गया?”

इस मामले में विवेचक श्री राधारमण सिंह, ए०सी०पी० ने अभियुक्तगण पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता को नामित करते हुए उनके विरुद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 217 बी०एन०एस० इस आधार पर भेजा था कि अभियोग का कथानक प्रतिपक्षीगण के कब्जे की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से वादिनी

मुकदमा पूजा रावत को आगे करके उसकी पूर्व परिचित व्यासायिक सहयोगी उसकी कथित भवन स्वामिनी संगीता गुप्ता व उसके पति अधिवक्ता परमानन्द गुप्ता द्वारा काल्पनिक एवं झूठा कथानक तैयार कर साजिश के तहत उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया। न्यायालय में परिवाद पर संज्ञान लेने के पूर्व दोनों विपक्षीगण अभियुक्तगण पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता से संज्ञान लेने के बिन्दु पर अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० आपत्ति ली गयी। दोनों पक्षों को सुनकर यह पाया गया कि पूजा रावत तो 21-22 वर्ष की अनुसूचित जाति अविवाहिता महिला/छात्रा है, जिसका अभी स्नातक पूरा नहीं हुआ है तथा वह महिला परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता की सहयोगी है तथा उसको आगे करके परमानन्द गुप्ता द्वारा अपने व्यासायिक विरोधियों तथा अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में चल रहे मुकदमों के विपक्षियों के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० एवं रेप के मुकदमें दर्ज कराने के लिए अनेकों प्रार्थना पत्र दिये गये हैं तथा बिना किसी आधार के मिथ्या आरोप लगाये जा रहे हैं। धारा 248 बी०एन०एस० यह प्रावधान करती है कि यदि क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाया जाता है या कोई दण्डिक कार्यवाही संस्थित करवाई जाती है, जिसका कोई न्यायसंगत या विधि पूर्ण आधार न हो तो उस दशा में यदि वह दण्डिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाये, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। चूंकि पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता के द्वारा नामित विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के विरुद्ध धारा 64, 74 बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आजीवन कारावास का दण्ड हो सकता था, अतः पूजा रावत के विरुद्ध धारा 217/248 बी०एन०एस० में संज्ञान लिया गया। एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट 1989 की धारा 3(2)(5) का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा, जो निम्न है:—“कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के

कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है), वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

इस प्रकार कानूनी जानकार होते हुए अपने विपक्षियों को दण्डित कराने के आशय से अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत को दुष्प्रेरित करके परमानन्द गुप्ता के द्वारा इस मुकदमें में जो झूठी रेप की घटना लिखाई गयी, उसके परिणाम स्वरूप पूजा रावत को 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डित होने वाले मुकदमें में आरोपित बनवा दिया गया है, इस कारण परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध 217/49, 248/49 बी०एन०एस० व एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट 1989 की धारा 3(2)(5) आकर्षित होनी पायी गयी। आरोप विरचित करने के बाद जब साक्षियों की मुख्य परीक्षा मात्र लिखी गयी थी, तब उसी स्तर पर सहअभियुक्त पूजा रावत द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2025 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि “प्रार्थिनी पूजा रावत पुत्री पैताडू, निवासी सिरवापार, तहसील सहजनवा, जिला गोरखपुर की निवासिनी है तथा लखनऊ में रोजगार के सिलसिले में आयी थी, तब उसको परमानन्द गुप्ता और उसकी पत्नी संगीता गुप्ता ने अपने जाल में फंसा लिया। संगीता गुप्ता का ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय है, जिसमें वह सहायिका के रूप में कार्य करने लगी। परमानन्द गुप्ता ने मेरे अनुसूचित का होने के तथ्य का फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी संगीता गुप्ता का अरविन्द यादव आदि के परिवार से मुकदमें चल रहे हैं, उसमें उनके विरुद्ध रेप, छेड़छाड़ आदि के अनेक मुकदमें न्यायालय के माध्यम से दर्ज करवाये। प्रार्थिनी के साथ दिनांक 24.07.2024 या उसके पहले या उसके बाद कभी भी कोई छेड़छाड़/ रेप की घटना नहीं हुई है। परमानन्द गुप्ता जैसा बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए कहते थे, मेरे द्वारा मजबूरी में वैसा ही बयान देना पड़ता था। प्रार्थिनी जेल में निरुद्ध है तथा सारी बात न्यायालय के समक्ष सही-सही बताना चाहती है, जिससे निर्दोष लोगों को सजा न मिले। अतः

आपसे अनुरोध है कि प्रार्थिनी को क्षमा दान देते हुए प्रार्थिनी का बयान अंकित कर लिया जाये, जिससे प्रार्थिनी सारी बातें सही-सही बता सके तथा प्रार्थिनी को दोषमुक्त करने की कृपा करें।”

उक्त प्रार्थना पत्र उसके लिए न्यायमित्र, श्री रमाशंकर द्विवेदी द्वारा लिखा गया तथा अभियोजन के समक्ष आवेदन किये जाने पर विशेष लोक अभियोजक श्री अवरिन्द मिश्रा द्वारा अग्रसारित किया गया। इस संबंध में बी०एन०एस०एस० की धारा 343 व 344 जो सहअपराधी को क्षमादान करने का प्रावधान करते हैं, उनका उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा, जो निम्न है:—

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

343. सह— अपराधी को क्षमादान 1—किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा लागू होती है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा—दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे।

(2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है:—

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध,

(ख) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध ।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन क्षमादान करता है:—

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा:

(ख) यह अभिलिखित करेगा कि क्षमदान उस व्यक्ति द्वारा, जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं,

और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन क्षमा दान स्वीकार करने वाले—

(क) प्रत्येक व्यक्ति के अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चात्पूर्ति विचारण में यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन किया गया क्षमा—दान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा (4) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना,—

(क) मामले को—

(i) यदि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो, उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा

(ii) यदि अपराध अनन्यतः तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा

(ख) किसी अन्य दशा में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा।

344. क्षमा—दान का निदेश देने की शक्ति—मामले की सुपुर्दगी के पश्चात् किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया

जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सम्बद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा-दान कर सकता है।

क्षमादान की शर्तों का पालन करने के दौरान अधिवक्ता होने के नाते एवं प्रभावशाली होने के नाते एवं गुप्ता जाति से संबंधित होने के कारण तथा सहअभियुक्ता के अनुसूचित जाति का होने के कारण तथा बिन्दु पर ध्यान देते हुए कि पूजा रावत अपने रोजगार के लिए एवं आजीविका के लिए परमानन्द गुप्ता एवं उसकी पत्नी संगीता गुप्ता पर निर्भर है और इस प्रकार परमानन्द गुप्ता इस आपसी संबंध में, प्रभावशाली स्तर (Dominant Stage) पर है, न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता दोनों एक साथ न्यायालय कक्ष में आमने-सामने न रहे, बल्कि जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग उनकी गवाही में आमना-सामना हो, क्योंकि पूजा रावत को न्यायालय द्वारा (Vulnerable Witness) माना गया, जो अभियुक्त के भाव भंगिमा प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा क्षमादान की शर्तों के अनुरूप धारा 343(4)ख बी०एन०एस०एस० के अनुसार उसको विचारण की समाप्ति तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया।

क्षमादान की शर्तों का पालन करते हुए पूजा रावत ने न्यायालय में कथन किया कि पी०डबल्यू०-1 अरविन्द यादव से उसकी कोई जान पहचान नहीं है तथा परमानन्द गुप्ता एडवोकेट, पूजा रावत के नाम का प्रयोग कर रहे थे तथा अरविन्द यादव के घर के कई अन्य लोगों के विरुद्ध लगभग 10 झूठी शिकायतें की गयी थी। इसी प्रकार पी०डबल्यू०-2 राधारमण सिंह, ए०सी०पी० के साक्ष्य के संबंध में भी पूजा रावत ने न्यायालय में बयान दिया कि वह परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर में सहायिका का काम करती थी तथा उसको परमानन्द गुप्ता सदैव अपने साथ लेकर आते थे। परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध साक्ष्य देते हुए पूजा रावत ने यह भी कहा "मैं बी०ए० द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई के संबंध में मैं लखनऊ लगभग 6 वर्ष पूर्व

आयी थी। अपनी पढ़ाई एवं अपने खर्च की पूर्ती के लिए मेरे द्वारा कई जगहों पर प्राइवेट कार्य किया गया। इसी दौरान नौकरी के संबंध में मेरी मुलाकात ब्यूटी पार्लर संचालिका संगीता गुप्ता व उनके पति परमानन्द गुप्ता जो अपने को पेशे से वकील होना बताया। उनकी पत्नी द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर में मैंने सहायिका के रूप में उनके कहने पर कार्य करने लगी। उसी दौरान मेरे आधार कार्ड, जिसमें कुछ त्रुटि थी, उसको ठीक कराने के लिए उनके पति परमानन्द गुप्ता द्वारा मेरा आधार कार्ड, फोटो, आय, जाति, निवास एवं पैन कार्ड आदि प्रापत्र कागजात लिये गये थे और मेरे सादे कागजों पर हस्ताक्षर भी बनवा लिये थे। मेरे द्वारा लिये गये कागजातों के आधार पर उनके द्वारा मेरे नाम के एक मुकदाम माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित कराकर विभूतिखण्ड थाने में दर्ज करवाया, जिसका अपराध सं० 40/2025 अंतर्गत धारा-64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बीएनएसएस व 66डी आई०टी० ऐक्ट दर्ज कराया गया, जिसके संबंध में उपरोक्त वकील परमानन्द गुप्ता द्वारा न तो मुझे कुछ बताया गया और न ही मुझे पड़कर सुनाया गया था। पुलिस द्वारा बुलाये जाने पर मुझे मुकदमें के बारे में पता चला। तो मैंने पुलिस को परमानन्द गुप्ता वकील के दबाव में मैंने अपना बयान कराया एवं उपरोक्त मुकदमें के संबंधित जो तथ्य दर्शाये गये हैं, उस तरह की घटना न तो मेरे साथ हुआ है न ही उसमें शामिल अभियुक्तगण द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ या बलात्कार किया गया और न तो मैं उनको पहचानती हूँ, न ही उनको जानती हूँ, जो भी घटना दर्शायी गयी है वो सारी मनगढ़न्त, झूठी एवं असत्य है और मजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया, जैसा परमानन्द वकील कहते थे, वेसा ही बयान देना पड़ता था। मैं आज न्यायालय के समक्ष सही बात बता रही हूँ, ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले। परमानन्द वकील के द्वारा ही मेरे कागजातों को व मेरा अनुसूचित जाति का फायदा उठाते हुए विभिन्न अदालतों में मुकदमें लिखवाये हैं, जिसके संबंध में मैंने इसी अदालत में अपना साक्ष्य दिया है। मेरी अभियुक्तगण से कोई रंजिश नहीं है, जो भी किया गया है वो परमानन्द वकील के द्वारा ही किया गया है और उनके द्वारा बताया जाता

था कि मुकदमा लिखने के बाद तुम्हें रुपये मिलेगा, जिसमें हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन जो पैसा मिला वो परमानन्द गुप्ता ने ले लिया, मुझे कुछ नहीं मिला।”

इस साक्षी से अभियुक्त परमानन्द गुप्ता को जिरह का अवसर दिया गया, जिसमें अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह से इंकार कर दिया तथा आमने-सामने होने पर जिरह करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को न्यायालय द्वारा अस्वीकार करके जिरह का अवसर समाप्त कर दिया था, तब जाकर परमानन्द गुप्ता जरिए वी०सी० जिरह करने को तैयार हुआ। दिनांक 07.08.2025 को हुई जिरह में पूजा रावत ने यह बताया था कि उसने परमानन्द गुप्ता को सरकार से एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का मुकदमा लिखवाने में प्राप्त राहत राशि में 75,000/- रु० दिया था तथा उसने यह भी कहा था कि दो साल से उपर की अवधि से वह अकेले रह रही है। इस साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया कि दिनांक 24.07.2024 की कथित घटना, जिसमें पूजा रावत, संगीता गुप्ता के मकान में, कथित बलात्कार की घटना स्थल पर किरायेदारी एग्रीमेन्ट के माध्यम से किराये पर रह रही है। उस घटना के पूर्व या पश्चात कभी उस विवादित घटना स्थल पर किरायेदार के रूप में रही ही नहीं थी। इस प्रकार उसने क्षमादान की शर्तों का पालन किया था। आगे जिरह के समय जिला कारागार एवं न्यायालय के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग का सिग्नल खराब हो जाने के कारण पूजा रावत को न्यायालय कक्ष में बुलाया गया तथा दोनों के कुछ देर आपस में बातचीत होने से परिस्थितियां बदल गयीं एवं परमानन्द गुप्ता ने पूजा रावत को अपने प्रभाव में ले लिया तथा इस बार दिनांक 08.08.2025 को परमानन्द गुप्ता द्वारा की गयी जिरह में पूजा रावत ने साक्षी के रूप में अभियोजन कथानक का पूरा समर्थन नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटी थी एवं चार लोगों ने बलात्कार किया था।

अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजक ने दिनांक 11.08.2025

को यह प्रार्थना पत्र दिया कि पूजा रावत के द्वारा क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया गया है अतः उसका विचारण अलग से किया जाये एवं उसका क्षमादान निरस्त कर दिया जाये। इस बिन्दु पर न्यायालय द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार करके पूजा रावत को क्षमादान के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया तथा उसका बयान मुल्जिम दिनांक 12.08.2025 को न्यायालय में धारा 345 बी०एन०एस०एस० (3, 4, 5) के अनुसार अंकित किया गया। इस बयान मुल्जिम ने पूजा रावत ने बताया कि उसके द्वारा क्षमादान की शर्तों का पालन किया गया है तथा उसने कोई गलती नहीं की है तथा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त परमानन्द गुप्ता के द्वारा उसे प्रलोभन दिया गया था तथा जो भी मुकदमें मेरे नाम पर लिखवाये गये थे, वह सब परमानन्द गुप्ता ने लिखवाया था तथा भविष्य में वह कोई गलती नहीं करेगी, उसे क्षमा दिया जाये। इस बयान के बाद न्यायालय के समक्ष यह तथ्य और मजबूती के साथ स्थापित हो गया कि बीच में ही परमानन्द गुप्ता ने पूजा रावत को प्रभावित कर लिया है। यह तथ्य और इस आधार पर पुष्ट हुआ कि पूजा रावत और अभियुक्त परमानन्द गुप्ता जब दिनांक 08.08.2025 को न्यायालय कक्ष में आमने-सामने मौजूद थे, तो जिरह शुरू होते ही परमानन्द गुप्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि पूजा रावत न्यायमित्र के स्थान पर कोई नया अधिवक्ता नियुक्त करना चाहती है, इसकी अनुमति दे दी जाये। न्यायालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यदि यही अनुरोध पूजा रावत की ओर से किया गया होता तो स्थिति कुछ और होती, परंतु जब परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध स्वयं पूजा रावत क्षमादान की शर्तों का पालन करते हुए साक्ष्य देना चाहती है, तब उसका अधिवक्ता बदलवाना यह परमानन्द गुप्ता की सोची समझी साजिश थी।

पूजा रावत के सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि भले ही उसने परमानन्द गुप्ता के प्रलोभन में आकर अपनी जिरह में यह कह दिया कि उसके साथ बलात्कार की घटना चार लोगों ने की थी, परंतु वह उन्हें

पहचान नहीं पायेगी, इस बयान का मूल्यांकन उसके द्वारा दिये गये धारा 180/183 बी०एन०एस०एस० के बयान के प्रकाश में करने पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि पूजा रावत के द्वारा वही बयान दिया गया, जो परमानन्द गुप्ता द्वारा सिखया गया है, जैसा कि उसने विवेचना के समय पूजा रावत को बयान देने के लिए निर्देशित किया था।

अभियोजन के द्वारा पूजा रावत से की गयी जिरह में भी पूजा रावत ने यह बयान दिया है कि परमानन्द गुप्ता के द्वारा ही एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के न्यायालय में एवं विशेष सी०जे०एम०, कस्टम, लखनऊ के न्यायालय में जो मुकदमें दर्ज करवाये गये थे, उसमें परमानन्द गुप्ता ही वकील थे तथा वही लिखकर दिया करते थे। दौरान विचारण पूजा रावत का क्षमादान साक्षी के रूप में साक्ष्य आ जाने पर “अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा दिनांक 13.08.2025 को पूजा रावत के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 सपटित 195 दं०प्र०सं० इस आश का दिया गया कि पूजा रावत ने दिनांक 18.01.2025 को अपने साथ रेप की घटना का प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं०प्र०सं० के माध्यम से देकर मुकदमा अ०सं० 40/2025 थाना विभूतिखण्ड दर्ज करवाया गया था तथा जेल में निरुद्ध होने के बाद पूजा रावत द्वारा न्यायालय के समक्ष पृथक बयान दिया गया है। इस प्रकार पूजा रावत का यह कृत्य दं०प्र०सं० की धारा 340 सपटित धारा 195 अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, अतः पूजा रावत के विरुद्ध झूठा शपथ देने के कारण धारा 182, 193, 211 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही करने के बाद ही इस विशेष सत्र वाद 1008/2025 का निस्तारण किया जाये।”

सहअपराधी अत्यन्त निम्न चरित्र के व्यक्ति होते हैं तथा अपने विरुद्ध अपने अपराधी मित्र का साक्ष्य आ जाने पर तत्काल उसका भी नष्ट करने का प्रयास करने लगते हैं। इसी कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न दृष्टान्तों यह अभिनिर्धारित किया है कि सहअपराधी के एक मात्र साक्ष्य पर आधारित करते हुए दोषसिद्धी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी अन्य साक्ष्यों से सम्पुष्टि कर लेनी चाहिए। परंतु स्वयं परमानन्द गुप्ता द्वारा दिये गये इस

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2025 से यह तथ्य सामने आ रहा है कि परमानन्द गुप्ता इसीलिए विचलित हो गया, क्योंकि पूजा रावत द्वारा क्षमादान की शर्तों का पालन करते हुए उसके विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य दिया गया है।

इस प्रकार न्यायालय का विचार है कि पूजा रावत को इस न्यायालय द्वारा क्षमादान जिन शर्तों पर दिया गया था कि वह मामले में परमानन्द गुप्ता के बारे में सही तथ्य बतायेगी, उसने अभियोजन के प्रार्थना पत्र के अनुसार सही बयान दिया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली में आये अन्य साक्ष्यों से हो रही है, इस प्रकार **प्रश्न संख्या-3** जो इस आशय का विरचित किया गया था कि क्या पूजा रावत द्वारा क्षमादान की शर्तों का पालन किया गया है? **सकारात्मक रूप से निर्णीत** किया जाता है।

निस्तारण प्रश्न-4:—यह प्रश्न इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है? इस मामले में विवेचक ए०सी०पी०, श्री राधारमण सिंह के द्वारा भेजे गये परिवाद के आधार पर अभियुक्तगण परमानन्द गुप्ता, एडवाकेट व पूजा रावत का विचारण इस बिन्दु पर किया जा रहा है कि परमानन्द गुप्त के द्वारा अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत को षड़यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरित करके अपने विरोधियों अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव के विरुद्ध अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में मुकदमा अ०सं० 40/2025 थाना विभूतिखण्ड मिथ्या आधार पर लोक सेवक को इस आशय से सूचना दर्ज करायी गयी कि लोक सेवक परमानन्द गुप्ता के विरोधियों अरविन्द यादव व अवधेश यादव, जिनसे परमानन्द गुप्ता की पत्नी संगीता का सम्पत्ति विवाद है, उनको क्षति पहुंचायी जाये। इसी प्रकार इस बिन्दु पर विचारण हुआ है कि अरविन्द यादव एवं अवधेश यादव को क्षति पहुंचाने के आशय से गैंगरेप, एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं आई०टी० ऐक्ट के अपराध का असत्य एवं मनगढ़न्त आरोप लगवाया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त परमानन्द गुप्ता पर

यह भी आरोप लगाया गया कि उसने पूजा रावत से दुष्प्रेरण के माध्यम से षड़यंत्र करके अनुसूचित जाति की छात्रा पूजा रावत को शामिल करके अपने विरोधियों अरविन्द यादव व अवधेश यादव को क्षति पहुंचाने के योजना में, पूजा रावत को धारा 248 बी०एन०एस० को अभियुक्त बना दिया, जिसमें 10 साल का कारावास और जुर्माना भी है, इसी कारण परमानन्द गुप्ता पर धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का भी आरोप विरचित किया गया था।

दौरान विचारण अभियोजन की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए चार साक्षीगण परीक्षित कराये गये, जिनका उल्लेख विस्तार से उपर किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से विवेचक राधारमण सिंह, ए०सी०पी०, अरविन्द यादव, स्वयं पूजा रावत हैं। यह भी विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है कि अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत ने न्यायालय में लोक अभियोजक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता एडवोकेट, द्वारा उसका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ले लिया गया था और उनके माध्यम से वह एस०सी०/एस०टी० के फर्जी मुकदमें अपने विरोधियों एवं प्रतिद्वन्दियों को सबक सिखाने के लिए बी०एन०एस० की अन्य जघन्य अपराधों की धाराओं जैसे रेप, गैंगरेप, छेड़छाड़, आई०टी० ऐक्ट को शामिल करके मुकदमें दर्ज करवाता रहता था। जब उसको अपने पत्नी के सम्पत्ति के विरुद्ध विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाना होता था तब वह पूजा रावत को संगीता गुप्ता का किरायेदार एवं ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय के सहयोगी बना दिया करता था तथा जब उसको अपने वकालत के पेशे में अपने किसी विरोधी को सबक सिखाना होता था तब वह पूजा रावत को अपने एडवोकेट का मुंशी या क्लर्क बना दिया करता था और वैसी ड्राफ्टिंग करके साथ में रेप, छेड़छाड़ आदि की धाराएं जोड़कर मामले को और गंभीर बनाकर न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत करता था। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के क्रिमिनल रिट पीटिशन संख्या 1793/2025, पारित आदेश दिनांकित 05.03.2025 के आदेश में क्रम सं० 2 पर उल्लिखित पूजा रावत बनाम

कामरान अली वारसी का उल्लेख किया गया है, जिसकी पत्रावली को इस न्यायालय ने अवलोकित भी किया है, जिसमें पूजा रावत के माध्यम से दिये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने विपक्षीगण कामरान अली वारसी एवं संदीप वर्मा के विरुद्ध निम्न ड्राफ्टिंग की थी:-

- 1- यह कि प्रार्थिनी बी०ए० द्वितीय वर्ष की छात्रा है तथा एडवोकेट क्लर्क का कार्य कर आजीविका चलाती है तथा अनुसूचित जाति की सदस्य है।
 - 2- यह कि प्रार्थिनी के अधिवक्ता दिनांक 12-09-2024 को समय लगभग 1.00 एन०डी०पी०एस० कोर्ट सं०-11 लखनऊ चतुर्थ तल बहुखण्डी पर अपने मुविक्कल राज कुमार पाठक व प्रार्थिनी व अमन यादव के मुकदमों की पैरवी करने हेतु मौजूद था। जहां पर पहले से ही कामरान अली वारसी व संदीप वर्मा उपस्थित थे तथा राज कुमार पाठक से रुपये तीन हजार जबरदस्ती वसूल रहे थे। चूंकि राज कुमार पाठक व सुरेन्द्र की जमानत भी प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने कराई थी तथा उक्त प्रकरण में एन०सी०बी० द्वारा जब ट्रक भी प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने ही छुड़वाया था अतः प्रार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा राज कुमार पाठक से रु० 3000/- वसूलने का विरोध किया गया।
 - 3- यह कि कामरान व संदीप द्वारा पैसा वसूलने का विरोध करने पर उक्त दोनों लोगो ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थिनी के अधिवक्ता को गाली गलौज करके मारना शुरू कर दिया तथा कामरान ने प्रार्थिनी के अधिवक्ता के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दिया जिससे प्रार्थिनी के अधिवक्ता बेहोश हो गये जिसके बाद अमन यादव तथा प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थिनी के अधिवक्ता को बलरामपुर अस्पताल में दिखाकर इलाज करवाया गया।
 - 4-यह कि उक्त मारपीट देखकर प्रार्थिनी व अमन यादव द्वारा कामरान व संदीप को रोकना चाहा तो उक्त दोनों लोगो ने उनसे भी गाली गलौज व मारपीट की तथा प्रार्थिनी से कहा कि पासिन साली तू परमानन्द गुप्ता की रखैल है तेरी औकात केवल परमानन्द गुप्ता के तलवे चाटने की ही है भाग जा नहीं तो चार मंजिल से नीचे फेंक देंगे कोई गवाही भी नहीं देगा और न ही कहीं रिपोर्ट लिखी जायेगी।
 - 5- यह कि उपरोक्त घटना से प्रार्थिनी बहुत डरी व सहमी हुई है तथा प्रार्थिनी के भी पेट में लात मार दिया गया तथा उसे भी जाति सूचक गाली देकर जान से मारने की धमकी दी गयी तथा पुलिस में रिपोर्ट करने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गयी।
 - 6- यह कि प्रार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त घटना की लिखित सूचना थानाध्यक्ष महोदय थाना वजीरगंज, लखनऊ को दिनांक 12-09-2024 को दी गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी तथा प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष महोदय से सी०यू०जी० नं० पर फोन किया गया परन्तु उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया जिसके बाद ए०सी०पी० चौक महोदय से भी उक्त घटना की एफ०आई०आर० लिखने का अनुरोध किया गया परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।
 - 7- यह कि थाने द्वारा कोई कार्यवाही न होता देख प्रार्थिनी द्वारा मजबूर होकर लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ को दिनांक 12-09-2024 को जरिये डाक भेजा गया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
 - 8-यह कि प्रार्थी के उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई भी सिविल वाद दोनों पक्षों के मध्य विचाराधीन नहीं है।
 - 9-यह कि प्रार्थिनी को माननीय न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कहीं न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।
 - 10- यह कि उपरोक्त घटना थाना वजीरगंज, लखनऊ के अन्तर्गत घटित हुई है जो माननीय न्यायालय श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।
- अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ को आदेशित करने की कृपा करे।

अभियुक्त परमानन्द गुप्ता को सहअभियुक्त अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत का अपने अवैध गतिविधियों एवं कृत्यों में साथ एवं जाति प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद उसने अपने विरोधियों के विरुद्ध किस प्रकार एस०सी०/एस०सी० के मुकदमें लिखवाकर उनका दुरुपयोग किया, इस तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा न्यायालय में विपिन यादव को

पी०डबलू०-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "न्यायालय के आदेश पर मैं आज बयान देने आया हूँ। मेरा मुकदमा इसी अदालत में सरकार बनाम विपिन यादव व अन्य, थाना चिनहट, लखनऊ, अ०सं० 197/2023 अतर्गत धारा 406, 504, 506, 354, 323 भा०दं०सं० व 3(2)5ए एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का आरोप विरचित होने के उपरांत साक्ष्य हेतु नियत था। जिसकी पूर्व नियत तिथि 04.08.2025 थी, जिसमें वादिनी/पीड़िता पूजा रावत साक्ष्य हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जेल में निरुद्ध होने के कारण अन्य मुकदमें में तलब थी। न्यायालय के आदेश से उसकी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा करायी गयी थी, उसमें मेरे अतिरिक्त तीन अन्य अभियुक्त राम गोपाल यादव, भागीरथ पंडित व मोहम्मद तासुक को भी आरोपी बनाया गया था। वादिनी/पीड़िता द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कहा गया था कि हाजिर अदालत मुल्जिमानों को न तो मैं जानती हूँ और न ही मैं पहचानती हूँ। इनके द्वारा न तो कोई घटना ही कारित की गयी। उपरोक्त मुकदमें की जानकारी मुझे जब पुलिस द्वारा बुलाया गया था, तब जानकारी हुई थी। मुकदमें से संबंधित जो भी प्रा० पत्र में लिखा गया है वह हमारे वकील साहब श्री परमानन्द गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, क्यों लिखा, कैसे लिखा मैं नहीं बता सकती, जबकि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। न्यायालय आने पर मुझे यह भी पता चला कि उपरोक्त मुकदमें की जांच माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०बी०आई० को सौंपी गयी है। पूजा द्वारा जो मुख्यपरीक्षा में बयान/प्रतिपरीक्षा में जो बयान दिया गया है, उससे संबंधित मूल छायाप्रति स्वप्रमाणित करे न्यायालय के समक्ष संबंधित पत्रावली में आज दाखिल कर रहा हूँ। साक्षी ने यह भी बताया कि मेरी बहन प्रीती के नाम से भी वाद दायर किया गया है, जिसमें भी वादिनी पूजा रावत थी।"

इस साक्षी से परमानन्द गुप्ता ने जिरह की है, जिससे यह तथ्य सामने आ रहा है कि विपिन यादव के पिता राम गोपाल की कुछ दुकाने है, जिसमें तासुक अहमद नाम के व्यक्ति को किराये पर दिया गया था तथा उसमें ब्यूटी

पार्लर का काम होता था तथा उस दुकान को खाली करने के दौरान अधिवक्ता एवं पड़ोसी होने के नाते तासुक अहमद एवं विपिन यादव, परमानन्द गुप्ता के घर गये। बाद में सतीश यादव के घर पर विपिन यादव एवं उसके पिता सामान वापस करने गये तब परमानन्द गुप्ता ने धमकी दी थी कि सामान वापस कर दो नहीं तो एस०सी०/एस०टी० का मुकदमा लिखवा देंगे और फोन पर गाली गलौज भी की थी। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी बहन प्रीति यादव भी ब्यूटी पार्लर में फेशियल के लिए जाया करती थी तथा इस मामले से संबंधित भागीरथ के विरुद्ध भी तथा स्वयं प्रीति यादव के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का मुकदमा परमानन्द गुप्ता ने पूजा रावत को आगे करके लिखवा दिया था। इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि जो मुकदमा पूजा रावत को आगे करके परमानन्द गुप्ता एडवोकेट ने मु०अ०सं० 197/2023 थाना चिनहट का उल्लेख किया है, उसमें राम गोपाल यादव व तासुक अहमद, भागीरथ पण्डित व विपिन यादव के विरुद्ध आरोप भी विरचित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि राम गोपाल यादव, विपिन यादव का पिता है तथा तासुक उस दुकान में ब्यूटी पार्लर खोले हुए था, जिसका सामान हटाने को लेकर विवाद हुआ तब परमानन्द गुप्ता ने पूजा रावत के माध्यम से एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस मुकदमें सत्र वाद संख्या 3713/2023 अ०सं० 197/2023 अतर्गत धारा 406, 504, 506, 354, 323 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, थाना चिनहट, लखनऊ में पूजा रावत का बयान पी०डबल्यू-1 के रूप में अंकित हुआ है, जिसमें पूजा रावत ने यह बयान दिया है कि:-

मैं आज एक अन्य मुकदमें में जिला कारागार से तलब होकर के माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष जो कि इसी अदालत में मेरा मुकदमा चल रहा है। मैं लगभग 8 वर्षों से लखनऊ में अलग-अलग स्थानों पर किराये पर रह रही है। मैं पढ़ी-लिखी है। पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि मैं ग्रज्युशन कर रही है। मैं लखनऊ में स्वतंत्र रूप से अकेली रहती हूँ। मैंने लखनऊ में रहकर अपना खर्चा चलाने हेतु विभिन्न जगहों पर प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन एवं पढ़ाई लिखाई करती थी। जिस मुकदमे के सम्बन्ध में मैं आज न्यायालय में गवाही दे रही है। यह मुकदमा कैसे और क्यों लिखा गया इसके बारे में आज न्यायालय में मुझे जानकारी हुई। इसके पूर्व कुछ इसके सम्बंध में कोई जमकारी नहीं थी। साक्षी को उसके 161 बयान को जब पढ़ाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान मेरे द्वारा न तो पुलिस को दिया गया है और न ही मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तथ्यों को देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि जो उपरोक्त मनगढ़ंत, फर्जी प्रार्थना पत्र के

माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मैं नौकरी सम्बन्ध में परमानन्द गुप्ता एडवोकेट की पत्नी के द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए गयी थी। वहीं से हुई थी। वहीं से मेरी मुलाकात वकील से हुई थी। मेरा आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए परमानन्द वकील साहब को अपनी फोटो, पुराना आधार कार्ड, आय, जाति निवास प्रमाण दिया था। जिसका दुरुपयोग करके उन्होंने मेरी ओर से हाजिर अदालत नामित अभियुक्तगाणों को देखकर कहा कि मेरी इनसे कोई मुलाकात हुई है, और न हो मेरे साथ जो घटना दर्शायी गयी है, ऐसी घटना हुई है, जो भी घटना कागज में लिखा है वह झूठी है। मेरा जाति चौहान है, जो कि उपजाति बेलदार में आती। मैं अरोक्त मुकदमें के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मेरा बयान माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष कराया गया था। जो आज पत्रावली पर सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध है। जिसे माननीय न्यायालय श्रीमान जी के अनुमति से खोला गया। साक्षी ने पढ़कर तथा अपनी फोटो को देखकर कहा कि मेरी ही फोटो है तथा उस पर मेरा हस्ताक्षर है। जो बयान मैंने वकील साहब (परमानन्द गुप्ता) के दवाब में उनके बताये अनुसार तथा यह भी कहा गया था कि ऐसा तो बयान दोगी तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा मुझे पैसा भी मिला था। जिसको वकील साहब ने दो-तीन बार में ले लिया था और वकील साहब में बताया जो पैसा तुम्हें मिला वो मेरे दोस्त ने मेजा को मुझे वापस कर दो। साक्षी ने अपने 164 के बयान पर अपने हस्तामर न फोटो की तस्दीक की। जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। जिस मुकदमें के संबंध में मेरे द्वारा न्यायालय में बयान दिया जा रहा हो ऐसा मेरे साथ न कोई घटना घटित हुआ न ही मुझे कोई जानकारी है। जो भी घटना दिखाई गयी है वह वकील परमानन्द के द्वारा मनगढ़न्त कहानी बनाकर लिखाई गयी है पुलिस द्वारा मुझे जब उपरोक्त मुकदमे के बारे फोन द्वारा आने के लिए एवं बयान देने के लिए बुलाया गया तो उपरोक्त वकील साहब ने मुझे मना किया, थाने मत जाओ और अपना मोबाईल बंद कर लो। उनके मना करने पर ही मैं अपना बयान देने थाने नहीं गयी थी। उन्होंने कहा कि बयान दोगी तो फंस जाओगी। तथाकथित प्रा0 पत्र जो न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष 156(3) दं0प्र0सं0 के तहत दिया गया था। वह मेरे जानकारी में नहीं है और न ही उस पर मेरे हस्ताक्षर है। जो पत्रावली आज माननीय न्यायालय में मौजूद है, उसको देखकर बता रही हूँ कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जो प्रदर्श क-1 है। इसी प्रकार से उपरोक्त वकील परमानन्द द्वारा मेरा प्रयोग करके अनेकों मुकदमें लिखवाये गये, जो मेरी जानकारी के बिना लिखाये गये हैं उनमें से यह मुकदमा भी है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मामले का उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल मिस0 रिट पीटिशन संख्या 1793/2025 आदेश दिनांक 05.03.2025 में क्रम संख्या 11 पर माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। इसी प्रकार प्रीति यादव के विरुद्ध अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत को दुष्प्रेरित कर लिखवाये गये प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र का उल्लेख क्रम सं0 1 पर परिवाद संख्या 175/2025 पूजा रावत बनाम प्रीति यादव तथा अन्य के रूप में किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य सामने आ रहा है कि पूजा रावत नाम की अनुसूचित जाति की छात्रा को दुष्प्रेरित करके अभियुक्त परमानन्द गुप्ता के द्वारा अनेकों मुकदमें लिखवाये गये तथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया एवं अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध निराधार आरोप लगाये गये, जिनमें पूजा रावत की भूमिका के साथ-साथ उसकी प्रभावशाली एवं सक्रिय भूमिका थी। पूजा रावत जो गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्र सहजनवा से लखनऊ में आजीविका हेतु आयी हुई एक छात्रा है, जिसके स्नातक की डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है, उसका अनेकों

व्यक्तियों से ऐसे दुश्मनी या ऐसा विद्वेष नहीं हो सकता कि वह दसियों मुकदमें एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, परमानन्द गुप्ता को एडवोकेट के रूप में नियुक्त करते हुए दर्ज करवाये। निश्चित तौर यह साबित हो रहा है कि यह पूरा आपराधिक षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण का कार्य अभियुक्त परमानन्द गुप्ता का है, जिसने पूजा रावत के जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करते हुए तथा उसे न्यायालय में एवं विवेचकों के सामने तथा चिकित्सकों के सामने, कब, कहां तथा क्या-क्या बयान देना है? कहां बयान देने से इंकार कर देना है? कहां हस्ताक्षर करना है? कहां हस्ताक्षर करने से इंकार कर देना है? कहां मेडिकल कराने से इंकार कर देना है? इत्यादि सिखाकर अपने व्यवसायिक एवं निजी विरोधियों के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० एवं गैंगरेप के मुकदमें दर्ज कराये गये, जिनमें से मु०अ०सं० 40/2025 थाना विभूतिखण्ड एक था। अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा अपने सफाई साक्ष्य में जो खतौनियां प्रस्तुत की गयी है तथा यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि विवेचक द्वारा कथित बलात्कार के अपराध के घटना स्थल के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करने और सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया गया कि कथित घटना स्थल खसरा संख्या 351स में स्थित है अथवा खसरा संख्या 76 में स्थित है। विवेचक द्वारा अपनी जिरह में भी इस प्रश्न को असंगत मानते हुए कहा गया है कि बलात्कार के मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए किस खसरा में अपराध हुआ था यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा दिये गये खतौनियों के माध्यम से यह प्रमाणित हो रहा है कि खसरा संख्या 351स व खसरा संख्या 76 को लेकर उसकी पत्नी संगीता गुप्ता का जो विवाद चल रहा है, उसी जमीनी विवाद में एस०सी०/एस०टी०, गैंगरेप का फर्जी मुकदमा लिखाने के लिए अभियुक्त परमानन्द गुप्ता द्वारा पूजा रावत को आगे करके यह फर्जी मुकदमा लिखाने की चाल चली गयी थी। इस मुकदमें में विवेचक श्री राधारमण सिंह द्वारा की गयी वैज्ञानिक विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट निस्तारके रूप में अपराधी है, बल्कि भेड़ की खाल पहने हुए उसे भेड़िया माना जा सकता है, जो अधिवक्ता की प्रतिष्ठित

पेशे को कलंकित कर रहा है। इस प्रकार **प्रश्न संख्या 4** जो इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है? **सकारात्मक रूप से निर्णीत** किया जाता है।

अभियुक्त पूजा रावत की भी, इस मामले में सहअभियुक्त परमानन्द गुप्ता के साथ अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी०, गैंगरेप, रेप आदि अनेक फर्जी मामले में लिखाने में सक्रिय भूमिका रही है, परंतु उसके द्वारा क्षमादान के लिए आवेदन करके क्षमादान की शर्तों के अनुरूप साक्ष्य दिया है, जिसको लोक अभियोजक ने प्रमाणित भी किया है, अतः पूजा रावत को अंतर्गत धारा 217, 248 बी०एन०एस० में दोषमुक्त किया जाता है। यदि क्षमादान हेतु बीच में विशेष लोक अभियोजक का प्रार्थना पत्र नहीं आया होता तो अभियोजन के साक्ष्य से भलीभांति स्थापित हो रहा है कि पूजा रावत को आपराधिक षड़यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरित करके अभियुक्त परमानन्द गुप्ता के द्वारा अपने व्यवसायिक एवं निजी विरोधियों के विरुद्ध अनेकों मामलों दर्ज करवाये गये, जिसमें पूजा रावत के जाति प्रमाण पत्र एवं उसके हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया था। इस प्रकार अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत अंतर्गत धारा 248 बी०एन०एस० में सहअभियुक्त परमानन्द गुप्ता के आपराधिक कृत्यों से दस वर्ष के कारावास से दण्डित हो सकती थी।

यहीं पर एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट 1989 की धारा 3(2)(v) का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा, जो निम्न है:-“कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है), वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

इस प्रकार परमानन्द गुप्ता अंतर्गत धारा 217/49, 248/49 बी०एन०एस० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है। वह पहले

से कारागार में निरुद्ध दण्ड के बिन्दु पर विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो। यदि परमानन्द गुप्ता का कोई आपराधिक इतिहास हो तो उसे भी प्रस्तुत किया जाये।

दिनांक: 19-08-2025
(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6127

लंच बाद

पत्रावली भोजन अवकाश के उपरांत पुनः पेश की गयी। दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा यह बहस की गयी है कि दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं गैंगरेप के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में घटना स्थल संगीता गुप्ता पत्नी परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट का मकान, खसरा संख्या 351स, तखवा कठौता, विराजखण्ड-5, जनपद लखनऊ का काल्पनिक कथानक दिखाते हुए एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी, जिससे वह अरविन्द यादव एवं उसके भाई अवधेश यादव को जेल भिजवा सके। विद्वान लोक अभियोजक श्री अरविन्द कुमार मिश्र का कहना है कि दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर की सहयोगी पूजा रावत को आपराधिक षड़यंत्र के माध्यम से दुष्टेतरित करके, उसके अनुसूचित जाति के होने के तथ्य का फायदा उठाते हुए अपने विरोधियों अरविन्द यादव व अवधेश यादव से बदला लेने एवं नीचा दिखाने के आशय से गैंगरेप का आरोप लगवाया गया। एक निम्न चरित्र की महिला, एवं निम्न चरित्र का एडवोकेट, जिसके लिए न्यायपालिका की

प्रतिष्ठा एवं अपने प्रोफेशनल एथिक्स की मर्यादा के प्रति कोई सम्मान न हो, अपने विरोधियों के प्रति, यदि घृणा से युक्त एवं बदले की भावना से ओतप्रोत हो जाये तो कितना नीचे गिर सकते हैं, यह प्रकरण उसका एक उदाहरण है। यही नहीं परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा पूजा रावत के अनुसूचित जाति के होने के तथ्य का अवैध फायदा उठाते हुए अपने विरोधियों के प्रति अनेकों मुकदमें दर्ज कराये गये, जिनमें पूजा रावत को वादी बताते हुए परमानन्द गुप्ता का वकालतनामा लगाया गया, जिसमें परमानन्द गुप्ता एवं संगीता गुप्ता के विरोधियों के विरुद्ध कुछ मामलों में आरोप पत्र भी आ चुका है तथा वे विचारण का सामना कर रहे हैं। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ के डिवीजन बेंच द्वारा क्रिमिनल मिस० पीटिशन नं० 1793/2025 दिनांकित 05.03.2025 में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पूजा रावत एवं श्री परमानन्द गुप्ता द्वारा अनेक एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के संबंध में इन्हीं दोनों के विरुद्ध सी०बी०आई० को अन्वेषण/जांच करने का आदेश भी पारित किया था। उक्त आदेश पुनरावृत्ति की जा रही है, जो निम्न है:-

Court No.-10 Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. 1793 of 2025 Petitioner :- Arvind Yadav And Another Respondent:- State Of U.P. Thru. Secy. Home Civil Sectt. Lko And Others Counsel for Petitioner:- Mohd. Anas Khan, Amardeep Yadav, Vaibhav Singh Counsel for Respondent :- G.A. Hon'ble Vivek Chaudhary.J. Hon'ble Brij Raj Singh, J. 1. Heard. 2. The petitioners have approached this court seeking issuance of a writ in the nature of certiorari for quashing of the First Information Report dated 30.01.2025 bearing Case Crime/ FIR No.40 of 2025 under Sections 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 of the BNS, 2023 and Section 66D of IT Act, 2008, Police Station Vibhuti Khand, District Lucknow and with further prayer to not arrest or take coercive steps or set up an enquiry against the petitioners. 3. Learned counsel for the petitioners submits that informant/victim namely Pooja Rawat is regularly filing false complaints/FIRs and has lodged as many as
--

11 of them against large number of persons and now the 12th one is against the petitioners, the details of 11 other FIRs are लंचे given in paragraph 22 of the writ petition. It is also claimed that all the complaints lodged by the informant/victim Pooja Rawat are through same lawyer namely Shri Parmanand Gupta. The details of complaints/ FIRs other than the present impugned FIR are as follows :-

- "1. Complaint No.175 of 2025 ('X' vs. Priti Yadav and Others)
2. Complaint No. 1871 of 24 ('X' vs. Kamal Ali Warsi)
3. Complaint No.4400 of 24 ('X' vs. Ashish Soni and others)
4. Complaint No.2912 of 23 ('X' vs. Arvind Upadhyay)
5. Complaint No.852 of 23 ('X' vs. Vipin Yadav and Ors.)
6. Complaint No.160 of 23 ('X' vs. Vipin Yadav and others.)
7. Complaint No.780 of 20 ('X' vs. Dayashankar Srivastava)
8. Complaint No.1154 of 24 ('X' vs. Ram Lakhan and Others)
9. Complaint No.1460 of 24 ('X' vs. Ram Lakhan and Others)
10. Complaint No.6071 of 24 ('X' vs. Arvin and another)
11. FIR No.0197 dated 10.05.2023 ('X' vs. Vipin Yadav and other)"

4. It is also apparent that the informant and her counsel are in collusion with each other and have lodged false FIRs against large number of people for serious offence only to extract money from them. The present FIR is also such an FIR lodged to create pressure.

5. On instructions learned AGA states that such complaint cases were being lodged under difference offence and the present FIR thereafter is also in continuation with the same. Similarly, her counsel Parmanand Gupta has also filed large number of criminal cases and FIRs against different persons, details of which are as follows :-

- "1) Cri. Mis. Case No. 99326/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Subham Srivastava)
- 2) Cri. Mis. Case No. 92617/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Beena Gupta)
- 3) Cri. Mis. Case No.112872 of 2024 (Parmanand Gupta Advocate vs. Karmran Ali and another)
- 4) Cri Mis. Case No. of 2024 (Parmanand Gupta Advocate vs. Anju Gautam)
- 5) Cri. Mis. Case No. 92614/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Daya Shankar Yadav and others)
- 6) Cri. Mis. Case No. 3171 of 2021 (Parmanand Gupta vs. Santosh Singh)
- 7) Cri. Mis. Case No. 1418 of 2021 (Parmanand Gupta vs. Dhannjay Pandey and others)
- 8) Cri. Mis. Case No. 1302 of 2021 (Parmanand Gupta Advocate vs. Rachit Agarwal and others)
- 9) Cri. Mis. Case No. 5115 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. Jitendra Kumar and others)
- 10) Cri Mis. Case No. 6221 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. R.P. Singh and others)
- 11) Cri. Mis. Case No. 5112 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. Jitendra Kumar Yadav and others)
- 12) Cri. Mis. Case No. 5112 of 2020 (Parmanand Gupta vs. Rama Shankar Yadav)
- 13) Cri. Mis. Case No. 2546/2019 (Parmanand Gupta Advocate vs. Kushal

Kumar Tiwari and others)
14) FIR No. 0411 dated 17.05.2017 (Parmanand Gupta Advocate vs. Ram Shankar and others)
15) FIR No.0131 dated 25.02.2019 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Ramu and others)
16) FIR No.0340 dated 23.09.2020 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Anil Kumar another Others)
17) FIR No.0309 dated 22.9.2021 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Rehan Sidhdhiki and others)
18) FIR No.0369 dated 19.06.2023 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Rajnish Gupta and others)"

6. Considering the seriousness of the allegations with regard to the lodging of large number of criminal complaints by the victim/ informant Pooja Rawat through her counsel Shri Parmanand Gupta against large number of persons, of similar nature, we feel it appropriate to direct the CBI to enquire into the matter and submit its report.

7. The CBI shall submit its report to this Court by 10.04.2025.

8. List on 10.04.2025.

9. The Senior Registrar of this Court shall send a copy of this order to the Head of Branch, Central Bureau of Investigation, 7 Nawal Kishore Road, Hazratganj, Lucknow for compliance.

10. In view of the above, until further orders, it is provided that petitioners shall not be arrested in the aforesaid case crime number unless and until there is sufficient and credible evidence available against them indicating the commission of offence as alleged in the F.I.R.

Order date 05-03-2025 (Brij Raj Singh, J.) (Vivek Chaudhary, J.)

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के ससम्मान परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूजा रावत के द्वारा अनेकों मुकदमें अपने सहकर्मी संगीता गुप्ता, के पति परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के साथ मिलकर एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अधीन, परमानन्द गुप्ता के विपक्षियों के विरुद्ध करवाये गये, जिसकी जानकारी होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त सी०बी०आई० जांच का आदेश किया है। अतः उसका अपराध बहुत बड़ा है, उसके प्रति दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश में पूजा रावत के द्वारा दर्ज कराये गये परिवाद संख्या 1 से लेकर 11 तक मामलों को, पूजा रावत एवं परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट, दोनों के विरुद्ध उनका आपराधिक इतिहास माना जा सकता है, क्योंकि उसमें उन दोनों

ने आपसी षड़यंत्र से झूठी एफ०आई०आर० दर्ज करायी है। उक्त मुकदमें निम्न प्रकार हैं:-

"1. Complaint No.175 of 2025 ('X' vs. Priti Yadav and Others), 2. Complaint No. 1871 of 24 ('X' vs. Kamlar Ali Warsi), 3. Complaint No.4400 of 24 ('X' vs. Ashish Soni and others), 4. Complaint No.2912 of 23 ('X' vs. Arvind Upadhyay), 5. Complaint No.852 of 23 ('X' vs. Vipin Yadav and Ors.), 6. Complaint No.160 of 23 ('X' vs. Vipin Yadav and others.), 7. Complaint No.780 of 20 ('X' vs. Dayashankar Srivastava), 8. Complaint No.1154 of 24 ('X' vs. Ram Lakhan and Others), 9. Complaint No.1460 of 24 ('X' vs. Ram Lakhan and Others), 10. Complaint No.6071 of 24 ('X' vs. Arvin and another), 11. FIR No.0197 dated 10.05.2023 ('X' vs. Vipin Yadav and other)"

इसी सूची में क्रम संख्या 11 पर उल्लिखित एफ०आई०आर० नं० 197 दिनांक 10.05.2023 राज्य बनाम विपिन यादव तथा अन्य में चार अभियुक्तगण विपिन यादव, राम गोपाल यादव, मो० तासुक व भागीरथ पण्डित के विरुद्ध आरोप पत्र भी आ चुका है तथा आरोप विरचित किये जा चुके हैं। पूजा रावत ने उस मामले में यह बयान दिया है कि उस मुकदमें में वह अभियुक्तगण को न पहचानती है, न मुलाकात हुई है और न ही जानती पहचानती है तथा सहअभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा पूजा रावत के आधार कार्ड तथा जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण तथा फोटो आदि का प्रयोग करते हुए झूठी एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी। पूजा रावत ने सरकार बनाम विपिन यादव वाले मुकदमें में यह भी कहा है कि परमानन्द गुप्ता के द्वारा उसका प्रयोग करके अनेकों झूठे मुकदमें लिखवाये गये तथा उसके साथ कभी कोई बलात्कार, छेड़छाड़ इत्यादि की घटना नहीं हुई। उक्त बयान निम्न है:-

मैं आज एक अन्य मुकदमें में जिला कारागार से तलव होकर के माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष जोकि इसी अदालत में मेरा मुकदमा चल रहा है। मैं लगभग 8 वर्षों से लखनऊ में अलग-अलग स्थानों पर किराये पर रह रही है। मैं पढ़ी-लिखी है। पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि मैं ग्रज्युशन कर रही है। मैं लखनऊ में स्वतंत्र रूप से अकेली रहती हूँ। मैंने लखनऊ में रहकर अपना खर्चा चलाने हेतु विभिन्न जगहों पर प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन एवं पढ़ाई लिखाई करती थी। जिस मुकदमे के सम्बन्ध में मैं आज न्यायालय में गवाही दे रही है। यह मुकदमा कैसे और क्यों लिखा

गया इसके बारे में आज न्यायालय में मुझे जानकारी हुई। इसके पूर्व कुछ इसके सम्बंध में कोई जमकारी नहीं थी। साक्षी को उसके 161 बयान को जब पढ़ाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान मेरे द्वारा न तो पुलिस को दिया गया है और न ही मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तथ्यों को देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि जो उपरोक्त मनगढ़ंत, फर्जी प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मैं नौकरी सम्बन्ध में परमानन्द गुप्ता एडवोकेट की पत्नी के द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए गयी थी। वहीं से हुई थी। वहीं से मेरी मुलाकात वकील से हुई थी। मेरा आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए परमानन्द वकील साहब को अपनी फोटो, पुराना आधार कार्ड, आय, जाति निवास प्रमाण दिया था। जिसका दुरुपयोग करके उन्होंने मेरी ओर से हाजिर अदालत नामित अभियुक्तगाणो को देखकर कहा कि मेरी इनसे कोई मुलाकात हुई है, और न हो मेरे साथ जो घटना दर्शायी गयी है, ऐसी घटना हुई है, जो भी घटना कागज में लिखा है वह झूठी है। मेरा जाति चौहान है, जो कि उपजाति बेलदार में आती। मैं अरोक्त मुकदमें के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मेरा बयान माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष कराया गया था। जो आज पत्रावली पर सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध है। जिसे माननीय न्यायालय श्रीमान जी के अनुमति से खोला गया। साक्षी ने पढ़कर तथा अपनी फोटो को देखकर कहा कि मेरी ही फोटो है तथा उस पर मेरा हस्ताक्षर है। जो बयान मैंने वकील साहब (परमानन्द गुप्ता) के दवाब में उनके बताये अनुसार तथा यह भी कहा गया था कि ऐसा तो बयान दोगी तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा मुझे पैसा भी मिला था। जिसको वकील साहब ने दो-तीन बार में ले लिया था और वकील साहब में बताया जो पैसा तुम्हें मिला वो मेरे दोस्त ने भेजा को मुझे वापस कर दो। साक्षी ने अपने 164 के बयान पर अपने हस्तामर न फोटो की तस्दीक की। जिस पर प्रदर्शक-2 डाला गया। जिस मुकदमें के संबंध में मेरे द्वारा न्यायालय में बयान दिया जा रहा हो ऐसा मेरे साथ न कोई घटना घटित हुआ न ही मुझे कोई जानकारी है। जो भी घटना दिखाई गयी है वह वकील परमानन्द के द्वारा मनगढ़न्त कहानी बनाकर लिखाई गयी है पुलिस द्वारा मुझे जब उपरोक्त मुकदमे के बारे में फोन द्वारा आने के लिए एवं बयान देने के लिए बुलाया गया तो उपरोक्त वकील साहब ने मुझे मना किया, थाने मत जाओ और अपना मोबाईल बंद कर लो। उनके मना करने पर ही मैं अपना बयान देने थाने नहीं गयी थी। उन्होंने कहा कि बयान दोगी तो फंस जाओगी। तथाकथित प्रा० पत्र जो न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष 156(3) दं०प्र०सं० के तहत दिया गया था। वह मेरे जानकारी में नहीं है और न ही उस पर मेरे हस्ताक्षर है। जो पत्रावली आज माननीय न्यायालय में मौजूद है, उसको देखकर बता रही हूँ कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जो प्रदर्शक-1 है। इसी प्रकार से उपरोक्त वकील परमानन्द द्वारा मेरा प्रयोग करके अनेकों मुकदमें लिखवाये गये, जो मेरी जानकारी के बिना लिखाये गये हैं उनमें से यह मुकदमा भी है।

जिरह:- उपरोक्त मुकदमें को मैंने नहीं लिखवाया है और न इस मुकदमें के मुल्जिमानों को जानती पहचानती हूँ और न ही उनसे मेरी कभी मुलाकात हुई है। यह बात सही है कि आज मुझे अदालत में आने के बाद पता चला कि इस मुकदमें को परमानन्द गुप्ता, वकील ने फर्जी लिखाया है। यह बात सही है कि मेरे प्रपत्र आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड संशोधन के लिए दिया था। यह बात सही है कि इस मुकदमें के बावत मुझको जो 75,000/- ₹० मिले थे वो परमानन्द गुप्ता वकील ने अपने दोस्त द्वारा भेजा हुआ रूपया बताकर मुझसे निलंचकलवा लिया। यह कहना सही है कि जो बात सही है वही आज न्यायालय में बता रही हूँ। किसी के जोर दबाव में नहीं बता रही हूँ।”

उक्त बयान के आधार पर उक्त पत्रावली सरकार बनाम विपिन यादव और अन्य में दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता को अंतर्गत धारा 193, 420 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया है। इस प्रकार परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा, पूजा रावत के माध्यम से, जो एक पढ़ी लिखी अनुसूचित जाति की महिला है, को षड़यंत्र के माध्यम से दुष्टेतरित करने के द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए अनेको एस०सी०/एस०टी० एवं रेप इत्यादि के झूठे मुकदमें लिखवाये गये। अतः उसे कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह भी कहा गया कि अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट, जमीन का भी धंधा करता है एवं जनपद बाराबंकी में जाकर उसने अपनी पत्नी संगीता के नाम से अपने विपक्षी गोकुल के विरुद्ध एक मुकदमा आपराधिक परिवाद संख्या 1688/2024 संगीता गुप्ता बनाम गोकुल, थाना कोतवाली नगर, जिला बाराबंकी दाखिल किया था और वहां माननीय पीठासीन अधिकारी के विश्राम कक्ष में जाकर आपराधिक अवमानना भी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, जनपद बाराबंकी ने दिनांक 10.03.2025 को परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक अवमानना का केस भी माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को संदर्भित किया था। उक्त आदेश की छायाप्रति इस न्यायालय के अवलोकनार्थ पत्रावली में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री अरविन्द मिश्रा ने माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सी०बी०आई० जांच में उल्लिखित क्रम संख्या 1) Cri. Mis. Case No. 99326/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Subham Srivastava), 2) Cri. Mis. Case No. 92617/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Beena Gupta), 3) Cri. Mis. Case No.112872 of 2024 (Parmanand Gupta Advocate vs. Karmran Ali and another), 4) Cri Mis. Case No. of 2024 (Parmanand Gupta Advocate vs. Anju Gautam), 5) Cri. Mis. Case No. 92614/24 (Parmanand Gupta Advocate vs. Daya Shankar Yadav and others), 6) Cri. Mis. Case No. 3171 of 2021 (Parmanand Gupta vs. Santosh Singh), 7) Cri. Mis. Case No. 1418 of 2021

(Parmanand Gupta vs. Dhannjay Pandey and others), 8) Cri. Mis. Case No. 1302 of 2021 (Parmanand Gupta Advocate vs. Rachit Agarwal and others), 9) Cri. Mis. Case No. 5115 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. Jitendra Kumar and others), 10) Cri Mis. Case No. 6221 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. R.P. Singh and others), 11) Cri. Mis. Case No. 5112 of 2020 (Parmanand Gupta Advocate vs. Jitendra Kumar Yadav and others), 12) Cri. Mis. Case No. 5112 of 2020 (Parmanand Gupta vs. Rama Shankar Yadav), 13) Cri. Mis. Case No. 2546/2019 (Parmanand Gupta Advocate vs. Kushal Kumar Tiwari and others), 14) FIR No. 0411 dated 17.05.2017 (Parmanand Gupta Advocate vs. Ram Shankar and others), 15) FIR No.0131 dated 25.02.2019 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Ramu and others), 16) FIR No.0340 dated 23.09.2020 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Anil Kumar another Others), 17) FIR No.0309 dated 22.9.2021 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Rehan Sidhdhiki and others), 18) FIR No.0369 dated 19.06.2023 (Parmanand Gupta Advocate Vs. Rajnish Gupta and others)" तक के सभी 18 मामलों को तथा पूजा रावत के नाम से लिखवाये गये 11 मुकदमों, **कुल मिलाकर 29 मुकदमों को** परमानन्द गुप्ता का आपराधिक इतिहास मानने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता, अपने व्यक्तिगत नाम से इतने मुकदमों दर्ज नहीं करवाता है। दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था या गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके संबंध में उसको लगता था कि मात्र छोटे मुकदमों की धमकी से उसका काम बन जायेगा, ऐसे मुकदमों वह स्वयं दर्ज कराता था, मानो किसी अस्पताल की ओ०पी०डी० चला रहा हो। जहां पर गंभीर मामला होता था, जिसमें अत्याधिक सम्पत्ति होती थी तथा जहां विपक्षी को सामान्य धमकी देने से काम नहीं चलता था वहां वह एस०सी०/एस०टी०, रेप, गैंगरेप के मुकदमों की धमकी दिलवाने के लिए पूजा रावत को आगे करके, मुकदमों दर्ज करवाता था। यह उसी प्रकार का था कि जब किसी व्यक्ति का इलाज ओ०पी०डी० से न हो पा रहा हो तो उसके गंभीर इलाज के लिए उसको आई०सी०यू० में भेज दिया जाये।

वहीं पर बचाव पक्ष की ओर से दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता ने स्वयं अपनी बहस करते हुए कहा गया है कि वह एक अधिवक्ता है तथा जनपद न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक प्रैक्टिस करता है। पीड़िता पूजा रावत उसके पास विधिक सहायता के लिए आयी थी, जिसका उसने अधिवक्ता होने के नाते सहयोग किया था, उसका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। अपने द्वारा दर्ज कराये गये 18 मामलों में उसने कहा है कि यह विधि पूर्ण है कि कोई अधिवक्ता अपने व्यक्तिगत क्षमता से अपने विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय में/थाने में मुकदमा दर्ज करवा सकता है। कारागार में निरुद्ध रहने के कारण उसके प्रैक्टिस में बाधा आ रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय में उसके अनेकों मामले प्रतिदिन लिस्टिंग में हैं, जिनमें वह पैरवी नहीं कर पा रहा है, उसकी दोषसिद्धी उचित नहीं है, फिर भी न्यायालय से अनुरोध है कि उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

मैंने उभयपक्षों को विस्तार से सुन लिया है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर लिया है।

विशेष लोक अभियोजक की बहस एवं इस तथ्य के प्रकाश में कि दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता के द्वारा सहअभियुक्त पूजा रावत को दुष्प्रेरण के माध्यम से आपराधिक षड़यंत्र करते हुए एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैंगरेप जैसे घृणित अपराध के मामलों में निर्दोषों के विरुद्ध इस न्यायालय में मुकदमें दर्ज कराये गये हैं। इस न्यायालय का विचार है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध का निवारण करने के लिए तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के संबंध में कठोर प्रावधान किये गये हैं कि सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के लिए आवश्यक बना दिया गया है कि बिना प्रारंभिक जांच किये हुए तत्काल एफ०आई०आर० दर्ज की जाये। इसी प्रकार

अग्रिम जमानत का भी प्रावधान समाप्तप्राय कर दिया गया है एवं यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के पूर्व उनके विभागाध्यक्ष पूर्वानुमति की आवश्यकता भी समाप्त करके अधिनियम के प्रावधानों को इस आशय से कठोर बना दिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध के करने वालों अभियुक्तों के प्रति कठोरता से कार्यवाही की जा सके। साथ ही साथ एफ०आई०आर० दर्ज करने के साथ प्रतिकर एवं पुर्नवास के संबंध में भी अनेक प्रावधान एस०सी०/एस०टी० रूल्स, 1995 में बनाये गये हैं। जो भी अधिनियम जितना ही कठोर प्रावधान से युक्त होता है, उसका लागू करने वाले स्टेकहोल्डर्स का यह दायित्व होता है कि यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक एवं सुपात्र व्यक्ति की तत्काल सहायता सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही साथ ऐसे तत्व जो इसके कठोर प्रावधानों का, अपने निहित स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करना चाहते हों, उन्हें हतोत्साहित किया जाये।

वर्ष 2013 में निर्भया गैंगरेप मामले के बाद पूरे देश में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा/बलात्कार के अपराध के विरुद्ध आक्रोश को देखकर आपराधिक विधियों में संशोधन किये गये थे तथा उनमें यह प्रावधान किया गया कि सामान्य छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार के मामलों में पुलिस को एफ०आई०आर० तुरंत दर्ज करनी चाहिए एवं दर्ज करने के पूर्व किसी प्रकरण की प्रारंभिक जांच नहीं होगी। यदि कोई पुलिसकर्मी महिला अपराधों से संबंधित मामलों में, प्रारंभिक जांच के नाम पर प्राथमिकी दर्ज करने को टालता है तो वह स्वयं धारा 166ए भा०दं०सं०/199 बी०एन०एस० में दण्डित किया जायेगा। इसी के साथ महिलाओं के प्रति अपराधों में राज्य/केन्द्र सरकार की प्रतिकर योजनाओं में पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने के भी प्रावधान किये गये। हर मामले के दो पहलुओं की भांति इसका नकारात्मक पहलू यह सामने आया है कि फर्जी बलात्कार/गैंगरेप की घटनाएं भी पुलिस थानों में तेजी से दर्ज करवायी जा रही हैं। इसी के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन धारा 18 एवं 18ए में भी ऐसे ही मिलते जुलते प्रावधान किये गये हैं तथा इस एक्ट में भी एफ०आई०आर० दर्ज करवाने

से लेकर आरोप पत्र प्रेषित कर देने व विचारण की समाप्ति तक, विभिन्न चरणों में पीड़ित को एक लाख रुपये लेकर आठ लाख पच्चीस हजार रुपये तक देने के प्रावधान किये गये हैं। एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के कठोर प्रावधान एवं पीड़ित बनकर प्रतिकर की धनराशि हड़पने के लालच, ने अपराधों/अपराधियों का एक नया वर्ग, कानून व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं जैसे पुलिस, न्यायालय आदि के समक्ष पैदा कर दिया है, जिसमें अपने दुश्मनों, से बदला लेने के लिए कुछ महिलाओं के द्वारा, इसी प्रवृत्ति के अधिवक्ताओं से साठगांठ करके बलात्कार/गैंगरेप/एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के झूठे मुकदमें लिखवाये जाते हैं तथा अपना बदला पूरा करने के साथ-साथ प्रतिकर की धनराशि को भी आपस में बांट लिया जाता है। इसी तरह आसानी से मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि का लालच भी अनेक अधिवक्ताओं को एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, रेप/गैंगरेप के फर्जी मुकदमें दर्ज करवाने हेतु आकर्षण का कारण बन रहा है। प्रस्तुत प्रकरण एक महिला के द्वारा गैंगरेप की झूठी सूचना दिये जाने एवं फर्जी एस०सी०/एस०टी० की घटना में एफ०आई०आर० दर्ज कराने के मामले को उजागर कर रहा है, जिसमें दो विपक्षीगण, अरविन्द यादव व अवधेश यादव, विवेचक के उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक विवेचना के कारण गैंगरेप/एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के दुरुपयोग के मामले से और आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किये जाने से बच गये, अन्यथा उनका जीवन बर्बाद हो गया था। इसी मामले में दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता, जिसने अभियुक्ता पूजा रावत के अनुसूचित जाति के होने के तथ्य का दुरुपयोग करते हुए, उसे षड़यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरित करते हुए, अपने विपक्षीगण पर अनेकों मुकदमें दर्ज कराये, को दोषसिद्ध किया गया है।

एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के दुरुपयोग तथा बलात्कार के मामलों के दुरुपयोग के अनेक उदाहरणों से यह कोर्ट बोझिल है तथा अनेक प्रकरणों में विवेचकों द्वारा मात्र मामला झूठा पाये जाने पर यह लिख करके अंतिम आख्या प्रेषित कर दी जाती है कि इसमें कोई मामला नहीं बन रहा तथा मुकदमा लिखवाने वाले वादकारियों के विरुद्ध धारा 217, 248 बी०एन०एस० की कोई

कार्यवाही नहीं करती है, जो पूरे न्यायिक व्यवस्था के लिए घातक हो जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ ने इसी आशय से अनुप्राणित विधिक दृष्टांत **विहारी तथा अन्य बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य 2024ए०एच०सी०153816 निर्णीत दिनांक 18.09.2024** में विवेचकों को निर्देशित किया है कि यदि झूठी एफ०आई०आर० लिखाई गयी हो तो धारा 217 बी०एन०एस० की कार्यवाही अवश्य की जाये। माननीय न्यायालय के शब्दों में:—

“It is deeply concerning to observe that, while adjudicating cases under the jurisdiction of the Prevention of Atrocities Act concerning SC/ST individuals, this Court has encountered numerous instances where false and exaggerated complaints are being filed for financial gain. The Act, which was designed to provide immediate relief to victims of atrocities, is being misused by some individuals to obtain compensation. The Court has identified several cases where false FIRs were lodged with the sole aim of securing such compensation. To prevent this abuse, a rigorous verification process must be implemented by the authorities before the lodging of an FIR. However, even with such mechanisms in place, if it is discovered that a false FIR has been filed purely for financial gain, the individuals responsible should be held legally accountable. This would serve as a deterrent against the misuse of the Act for personal profit. The weaponization and misuse of provisions intended to protect vulnerable groups who have historically faced discrimination not only undermines the very spirit of these laws but also hampers the progress toward genuine equality.

माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में यह वर्णन किया है कि एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट को सदियों से समाज के निचले पायदान पर रहने वाले समुदायों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया है तथा यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों का एवं ऐसे व्यक्तियों का विश्वास कमजोर होता है, जो इस अत्याचार के

शिकार होते हैं। ऐसा दुरुपयोग, वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की चिन्ता एवं देखभाल करने से स्टेकहोल्डर्स को रोकता है।

उपरोक्त विधिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अत्याचार के विरुद्ध उपचार हेतु बनाया गया था, उसको हथियार बना करके अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जिससे वास्तव में जो जरूरतमंद हैं, उनको न्याय देने में कठिनाई हो रही है। इस कारण यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति गलत या झूठी एफ०आई०आर० दर्ज करवा रहे हों, उनके विरुद्ध धारा 182, 211 भा०दं०सं० (217, 248 बी०एन०एस०) की रिपोर्ट विवेचक द्वारा प्रेषित की जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय की प्रति प्रदेश के सभी विशेष एस०सी०/एस०टी० न्यायालयों एवं डी०जी०पी० (उ०प्र०) को आदेश का कठोर अनुपालन करवाने के लिए प्रेषित करने आदेश दिया है। वास्तव में एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के प्रावधानों का उपयोग, गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के अत्याचार से बचने के लिए ढाल के रूप में किये जाने का उद्देश्य है, न कि अपने निहित स्वार्थों के लिए इस ऐक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग तलवार के रूप में, अन्य जातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये जाने का कोई उद्देश्य विधायिका का रहा है।

निर्णय के पूर्व में यह देखा जा चुका है कि विशेष न्यायालय एस०सी०/एस०टी० में जब परमानन्द गुप्ता के द्वारा सहअभियुक्त पूजा रावत को दुष्प्रेरण के माध्यम से आपराधिक षड़यंत्र करते हुए प्रकीर्ण वाद संख्या 1154/2024 पूजा रावत बनाम राम लखन आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब उसमें अभियुक्तगण के रूप में राम लखन यादव, राम उजागर यादव, लालजी यादव, जितेन्द्र यादव, अरविन्द यादव, अवधेश यादव व मोहित यादव के विरुद्ध मुकदमा लिखवाये जाने का अनुरोध किया गया था तथा इन विपक्षीगण पर बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाया

गया एवं घटना दिनांक 24.07.2024 दिखाई गयी तथा बाद में एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट से वह प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद दिनांक 24.07.2024 की घटना दिखाते हुए विशेष सी०जे०एम०, कस्टम, लखनऊ के न्यायालय से अवधेश यादव व अरविन्द यादव को अभियुक्त बनाकर गैंगरेप का आरोप लगवा दिया गया।

यह ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि परमानन्द गुप्ता के विरुद्ध उनके व्यासायिक कदाचरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर क्षोभ प्रकट किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. ... vs Mohd. Rizwan @ Raziwan दिनांक 9 February, 2023 के मामले में इनके व्यासायिक कदाचरण के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की थी। माननीय न्यायालय के शब्दों में:-

"4. Sri Parmanand Gupta, learned counsel for the accused-respondent deliberately styled the Criminal Misc. Bail Application No.2830 of 2022 as the first bail application and, therefore, it got listed before the Court which was dealing with the subject matter. If the correct and true facts would have been mentioned that it was the second bail application inasmuch as the first bail application got rejected by this Court vide order dated 19.2.2021 passed in Criminal Misc. Bail Application No.10872 of 2022, the Criminal Misc. Bail Application No.2830 of 2022, in which the accused-applicant has been ordered to be enlarged on bail, would have been listed before this Bench and the alleged first bail application would get rejected by this Bench.

5. Having noticed this fact that Sri Parmanand Gupta, learned counsel for the accused-respondent had played tricks to obtain a favourable order by styling the second bail application as the first bail application, the State has filed the present application for cancellation of bail granted to the accused-respondent.....

4. Sri Parmanand Gupta, learned counsel for the accused-respondent without disclosing the fact that earlier the High

Court had rejected the bail application of the accused-respondent by misleading the Court, obtained the bail of the accused-respondent from another Bench. He had obtained several similar orders by concealing the material aspect of the matter that earlier another Bench of this Court had rejected the bail application of the accused persons. This is not the solitary case in which Sri Parmanand Gupta had grossly misconducted himself against the Bar Council Rules, professional ethics and unbecoming of the officer of the Court. Therefore, prima facie, he is guilty of playing fraud with the Court and interfering in the course of justice by misleading the Court by concealing the very material fact of rejection of the bail by another Bench for obtaining favourable orders in favour of the accused. He has made efforts to pollute the stream of justice by his highly unprofessional conduct.

5. In view thereof, the Court is of the opinion that Sri Parmanand Gupta, Advocate, has, prima facie, committed contempt of this Court by concealing the material aspect of the matter and by misleading the Court obtained favourable order(s) of bail in Indian

6. Sri Parmanand Gupta, Advocate, is therefore, issued show cause notice that why he should not be proceeded with for committing the contempt of this Court and his entry to the High Court be barred in order to protect the dignity and integrity of the High Court. He is granted two weeks' time to file reply to the show cause notice.

8. In view of the facts narrated above, Sri Parmanand Gupta, Advocate, has, prima facie, conducted himself against the Bar Council Rules, professional ethics, contemptuous manner and he has played fraud with the Court and also interfered with the course of justice by misleading the Court as he concealed the material fact regarding rejection of the first bail application by this Bench. The Court has noted that this is not the solitary case where Sri Parmanand Gupta, Advocate, had adopted the said course of action of concealing and misleading the Court.

9. In view thereof, the Court is of the opinion that Sri Parmanand Gupta, Advocate, has, prima facie, committed the Contempt of this Court.

10. Let suo motu criminal contempt proceedings be drawn against Sri Parmanand Gupta, Advocate. Registry to take follow up action in the matter.
11. Let all these orders form part of the contempt proceedings to be drawn against Sri Parmanand Gupta, Advocate."

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश काले रंग से, इस न्यायालय द्वारा रेंखाकित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमानन्द गुप्ता द्वारा अनेक मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष व्यवसायिक कदाचरण पहले किये जा चुके हैं। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने एन०डी०पी०एस० कोर्ट, जनपद न्यायालय, लखनऊ तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छिपाकर तथा गलत व्यक्तियों को खड़ा करके आदेश प्राप्त कर लेने के संबंध में परमानन्द गुप्ता तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के आचरण को देखते हुए प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र सं० 12276/2023 निर्णीत दिनांक 01.04.2024 में सी०बी०आई० को आदेश दिया है कि एफ०आई०आर० दर्ज करके ऐसे अज्ञात नेटवर्क को सामने ले आवे। माननीय न्यायामूर्ति, श्री राजीव सिंह के उक्त आदेश के अनुपालन में सी०बी०आई० ने मु०अ०सं० आर०सी० 05320240002 थाना एस०सी०बी०, लखनऊ, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० में अज्ञात अधिवक्ताओं और व्यक्तियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कर ली गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के पैरा 9 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वकालतनामा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा उसमें बहस दोषसिद्ध परमानन्द के द्वारा की गयी थी और इस प्रकार किसी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था।

प्रस्तुत प्रकरण में तथा विवेचक/परिवादी श्री राधारमण सिंह, एस०सी०पी०, विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा एकत्र किये गये समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि परमानन्द

गुप्ता, एडवोकेट के द्वारा गोरखपुर से लखनऊ पढ़ने आयी अनुसूचित जाति की छात्रा को दुष्प्रेरित करके आपसी षड़यंत्र के तहत अपनी सम्पत्ति खसरा नं० 351स तख्वा कठौता, विराजखण्ड की सिविल मुकदमेंबाजी के विपक्षियों पर एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अनेकों मुकदमें दर्ज करवाये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वादकारी के द्वारा अनेकों वाद दर्ज कराये जाने की प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कठोर टिप्पणी करने के साथ ऐसे वादकारियों को कठोर सबक सिखाने के लिए, आदेश पारित किये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक दृष्टांत **डी०एस० नायक तथा अन्य बनाम पी०पी० खेडकर तथा अन्य ए०आई०आर० ऑन लाइन 2017 एस०सी० 515** में इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए ऐसे वादकारियों को दण्डित करने के लिए सभी न्यायालयों को आदेशित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कथन है कि जहां देशभर में न्यायालय अत्याधिक वादों की संख्या से परेशान है, वहां पर तुच्छ आधारों पर झूठे केस दर्ज करना समाज के हित में नहीं है। माननीय न्यायालय के शब्दों में

“14. Courts across the legal system - this Court not being an exception – are choked with litigation. Frivolous and groundless filings constitute a serious menace to the administration of justice. They consume time and clog the infrastructure. Productive resources which should be deployed in the handling of genuine causes are dissipated in attending to cases filed only to benefit from delay, by prolonging dead issues and pursuing worthless causes. No litigant can have a vested interest in delay. Unfortunately, as the present case exemplifies, the process of dispensing justice is misused by the unscrupulous to the detriment of the legitimate. The present case is an illustration of how a simple issue has occupied the time of the courts and of how successive applications have been filed to prolong the inevitable. The person in whose favour the balance of justice lies has in the process been left in the lurch by repeated attempts to revive a stale issue. This tendency can be curbed only if courts across the system adopt an institutional approach which penalizes such behavior. Liberal access to justice does not

mean access to chaos and indiscipline. A strong message must be conveyed that courts of justice will not be allowed to be disrupted by litigative strategies designed to profit from the delays of the law. Unless remedial action is taken by all courts here and now our society will breed a legal culture based on evasion instead of abidance. It is the duty of every court to firmly deal with such situations. The imposition of exemplary costs is a necessary instrument which has to be deployed to weed out, as well as to prevent the filing of frivolous cases. It is only then that the courts can set apart time to resolve genuine causes and answer the concerns of those who are in need of justice. Imposition of real time costs is also necessary to ensure that access to courts is available to citizens with genuine grievances. Otherwise, the doors would be shut to legitimate causes simply by the weight of undeserving cases which flood the system. Such a situation cannot be allowed to come to pass. Hence it is not merely a matter of discretion but a duty and obligation cast upon all courts to ensure that the legal system is not exploited by those who use the forms of the law to defeat or delay justice. We commend all courts to deal with frivolous filings in the same manner."

माननीय उच्च न्यायालय ने देश के प्रत्येक न्यायालय को ऐसे छद्म वादकारियों से कठोरतापूर्वक निपटने का आदेश दिया है, जिससे वास्तव में जो पीड़ित है, उनके मामलों का निस्तारण किया जा सके। उपरोक्त विधिक दृष्टांत दीवानी मामलों से संबंधित है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दृष्टांतों की मूल भावना यही है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है तो समाज के लिए बहुत घातक है तथा ऐसे व्यक्ति को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए।

यहां उल्लेखनीय है कि रेप का आरोप लगाने पर कम प्रतिकर राशि मिलती है तथा गैंगरेप का आरोप लगा देने से एस०सी०/एस०टी० रूल्स, 1995 के अधीन अधिक प्रतिकर धनराशि मिलती है। यदि एफ०आई०आर० अनुसूचित जाति के विरुद्ध लिखवाई जाये तो ऐसी एफ०आई०आर० लिखवाये जाने पर कोई राहत राशि/प्रतिकर राशि नहीं मिलेगी तथा यदि इसमें गैर अनुसूचित जाति के

व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया जाये तो मामला एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में आ जायेगा और एस०सी०/एस०टी० रूल्स, 1995 की अनुसूची 1 में क्रम सं० 24 पर वर्णित आठ लाख पच्चीस हजार रुपये की धनराशि पाने की योजना भी पूरी हो जायेगी, जिसे बाद में आपस में बांट लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के स्तर पर सहायता धनराशि का 50 प्रतिशत, आरोप पत्र आ जाने पर 25 प्रतिशत विचारण के समाप्त होने पर शेष 25 प्रतिशत धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि होना आवश्यक नहीं है, मात्र विचारण समाप्त होने का प्रावधान दिया गया है।

एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं गैंगरेप के प्रावधानों का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति बगैर किसी अधिवक्ता के सहयोग के न्यायालय में नहीं आ सकता है, तथा कमोवेश अधिवक्ता को यह मालूम हो जाता है कि वादकारी न्याय के लिए आया है या सिस्टम का दुरुपयोग करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले रहा है। विधिक दृष्टांत **निककी देवी बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 दं०प्र०सं०-20438/2022 निर्णीत दिनांक 26.07.2024** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने ऐसे ही अनेक मामलों, जिनमें एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं भा०दं०सं० के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के झूठे आरोपों से अधिवक्ताओं के द्वारा गिरोह बनाकर कमाई की जा रही थी। इसके संबंध में सी०बी०आई० से विवेचना करवाई गयी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के व्यवहार से खिन्नता एवं चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि एक विद्वान अधिवक्ता का व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें उसे बुद्धिमत्तापूर्ण, विधिकपूर्ण एवं सावधानी से अनुशासित रहते हुए एवं अपने आचरण को सर्वोच्च महत्व देते हुए एथिक्स और शिष्टाचार से कार्य करना चाहिए, जिससे अन्याय न हो सके। यदि अधिवक्ताओं के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तथा अनुशासनहीन अधिवक्ता बार में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे सम्मानित अधिवक्ताओं को अपूर्णीय क्षति होगी एवं समाज का भी बहुत नुकसान होगा।

माननीय न्यायालय के शब्दों में :-

"34. Perusal of the aforesaid preliminary report as well as investigation conducted by the C.B.I. and also the Special Investigation team, shows that the Advocates, who are officers of the Court, are being victimised and harassed on false accusations by an Advocate when as a matter of fact advocacy is a noble profession. It cannot be compared with any other profession because it is a part and parcel of judiciary and administration of justice. Bar and Bench are two eyes of the 'Justice'. There are judicial ethics and etiquettes for Judges. There are professional ethics and etiquettes for advocates. Every advocate should follow them in his profession. Besides the fact that Advocates are not born stalwart but by giving their most of the life in the field of law, they become stalwart, an advocate is also a key person in conducting a proceeding before the court. An advocate is considered as an officer of the court, honoured member of the community, and a gentleman, thinking to become a member of the Bar he has not only to be lawful and moral in his professional capacity but also in his non-professional capacity. An advocate has to courageously support the interest of justice and also have to follow the ethics and etiquettes. An advocate has to do several functions which are necessary in conducting proceedings. While carrying out these functions, an advocate must act prudently, legally and cautiously. There are several ethics and etiquettes controlling the conduct of advocates. These ethics and etiquettes impose certain duties upon advocates. Ethics and etiquette means ethics are morals, a moral philosophy or moral science. It is the first stage of society. To become a lawyer is not only a profession for earning livelihood rather it is more onerous responsibility to play active role in the system to prevent miscarriage of justice. Etiquette is the second stage, which formulates the rules of behaviour standard in polite society. Humans have

experienced ethics in their life. They are inherent in every religion. Along with the civilization of humans there were Ethics. Every religion preached morals and ethics. Etiquette is restricted to particular kind of profession. It is nothing but regularization of ethics. In simple words ethics are bundle of habits whereas etiquette is bundle of rules of ethics. Advocates are the part and parcel of the administration of justice. They strive for justice. They struggle for the welfare and good of the society in general and their clients in particular. It does not mean that the advocate and the opponent advocate are rivals. There may be conflict of opinion on the issue but not between them. Their conflict ends as soon as they come out of the court premises. If they quarrel with each other like ordinary persons it affects the bar- bench relations. It may part the noble profession of advocacy into groups which may largely affect the society. But exception in every field may not be ignored. Owing to intrusion of black sheep into the noble profession of advocacy, the reputation of good lawyers in the society is at the verge of fall.

35. The applicant in the instant case has been used as tool by an Advocate. The investigation conducted by the CBI with respect to case crime No. 150 of 2021 under Section 376D, 506 IPC, Section 3(2)(5) SC/ST Act, police station Daraganj, District Prayagraj (for expedition of which case present 482 application has been moved) clearly reveals the false implication of the opposite party No. 2, at the instance of practising advocate. It is a venom and if it is allowed to be mingled with other members of the Bar freely, the entire profession would be ruined, like a single drop of poison if put in a pot of milk turns the whole milk into poison. Lawyers are globally recognised as Officers of the Court and agents of the administration of justice and they are imposed with the social duty to promote rule of law in the society and fight for protecting the fundamental rights and freedom of the citizens as guaranteed in the

Constitution."

उक्त मामले में अनेक फर्जी एस०सी०/एस०टी० एवं बलात्कार के झूठे मुकदमें लिखवाये गये थे तथा जब, उनमें से किसी एक सत्र वाद को जल्दी निस्तारित करने का निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदक माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा था तथा मामले की गहराई जाने पर माननीय उच्च न्यायालय को पता चला था कि अधिवक्ताओं का गिरोह कार्यरत है, जो निर्दोष लोगों को एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट एवं गैंगरेप के झूठे एवं फर्जी मामलों में फंसा कर धन उगाही करता है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि बार के सदस्य जो न्यायालय के अधिकारी होते हैं, ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे तो समाज का बहुत नुकसान होगा। न्यायालय के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है, जिससे वह तत्काल सत्य एवं झूठे वादकारियों के बीच में पहचान कर सके। यह अंतर, सुनवाई के बाद पता चल पाता है और सुनवाई में समय लगता है तथा ऐसा होने पर न्यायालयों को अपनी पूरी उर्जा झूठे मामलों में खर्च करनी पड़ती है। माननीय न्यायालय के शब्दों में:-

"36. In the instant matter, though the applicant has approached this Court seeking direction for the trial Court to consider and decide the trial of Sessions Trial No. 560 of 2021 (State Vs. Bhupendra Pandey) arising out of Case Crime No. 150 of 2021 under Sections 376-D, 506 I.P.C. and Section 3 (2) (V) SC/ST Act, Police Station Daraganj, District Prayagraj pending before learned Special Judge SC/ST Act, Prayagraj, District Prayagraj but when the matter came up for consideration before this Court on 21.07.2022, it has come to light that a gang of Advocates is operating, even in this Court, who used to trap innocent people in fake/false cases with the intent to extract money from them. The members of this gang trap the innocent persons under SC/ST Act cases and after receiving money from the Government (as compensation), they distribute the

money amongst themselves, which has become their habit. This Court cannot sit like a mute spectator by merely considering the case of the litigant. A society that will allow its members to misuse its courts, will ultimately suffer and pay a huge cost. Litigants, both genuine and bogus, will always continue to stand in the same queue. The courts have no mechanism to pre-identify and distinguish between the genuine and the bogus litigant. That becomes known only after hearing is concluded in a case. Hearing requires time. In fact, even if the courts were to take punitive action against a bogus litigant, being bound by rules of procedure and fairness, such cases would require more time to be devoted to them than a case of genuine litigants and therefore, to bring the cat out of the bag, this Court had directed for preliminary enquiry into the matters by the C.B.I. and after considering the preliminary enquiry reports, this Court found it essential that investigation be conducted by the C.B.I. in four cases as well as in eight cases by the Special Investigation Team, as stated in the preceding paragraph and after investigation, the entire position of the cases became crystal clear and it is apparent by perusal of the preliminary enquiry reports that innocent persons have been trapped in fake and bogus cases at the behest of Advocates."

उक्त मामले में सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 120बी सपठित धारा 211 भा०दं०सं० में मुकदमा दर्ज किये जाने के लिए आदेशित किया था। यह न्यायालय भी माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत है। न्याय दिलाने का पेशा इतना पवित्र होता कि उसमें यदि अधिवक्ता धन के लिए ललायित रहेगा तो वह कभी भी वंचितों को न्याय नहीं दिला पायेगा। इस कार्य के लिए निन्दा, स्तुति, धन,

मान-अपमान आदि सभी तथ्यों से उपर उठना पड़ता है। जैसा कि भर्तृहरि ने नीतिशतक में कहा है कि:-

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रवचिलन्ति पथं न धीरा।।

अर्थात्, नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो परंतु धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम नहीं हटाते हैं।

Discerning men may slight or laud them, the goddess of wealth, Lakshmi, may come or go as she likes, death may occur today or after ages; but strong-willed men do not deviate from the path of justice.

झूठे बलात्कार के बढ़ते मामलों पर निराशा एवं चिन्ता जताते हुए तथा उन मामलों में लंबे विचारण के बाद दोषमुक्त हुए अभियुक्तगण के बारे में बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजू तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 2009 एस०सी० 858** में कहा है कि बलात्कार के मामले पीड़िता के लिए अत्यंत अपमानकारक एवं पीड़ाजनक होते हैं, परंतु साथ ही साथ बलात्कार के झूठे मामले भी अभियुक्त के लिए अत्यंत पीड़ादायक, अपमानकारक होते हैं। अभियुक्त को भी ऐसे झूठे मामलों से बचाया जाना चाहिए तथा इस बात का कोई आधार नहीं है कि पीड़िताओं या ऐसे साक्षियों के बयान सही ही माने जायें। माननीय न्यायालय के शब्दों में:-

".....It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication..... there is no presumption or any basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration."

प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता के द्वारा सहअभियुक्त पूजा रावत को दुष्प्रेरण के माध्यम से आपराधिक षड़यंत्र करते हुए विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव के विरुद्ध धारा अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में नामजद एफ०आई०आर० दर्ज करवायी थी। गैंगरेप व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट में आजीवन कारावास, जो शेष जीवन की अवधि एवं जुर्माने से दण्डनीय होता, जिसके कारण अरविन्द यादव व अवधेश यादव को निर्दोष होते हुए भी शेष जीवन जेल में बिताना पड़ता।

इस प्रकार दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता के द्वारा सहअभियुक्त पूजा रावत को दुष्प्रेरण के माध्यम से आपराधिक षड़यंत्र करते हुए विपक्षीगण को ऐसे अपराध के लिए झूठे रूप से आरोपित किया गया, जिसमें आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा हो सकती थी। आपराधिक मामलों में मुकदमें का वादी सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होता है तथा उसे असत्य कथन नहीं करना चाहिए। न्यायालय का यह भी विचार है कि यदि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी को कठोर एवं समुचित सजा नहीं दी गयी तो अनेक व्यक्ति दुष्प्रेरित होकर एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग करते रहेंगे।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह 2003 सी०आर०एल०जे० 4339 सु०को० के विधिक दृष्टांत में यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि “अपर्याप्त दण्डादेश देकर अनुचित रूप से पक्षपात करने से न्यायिक पद्धति में जनता का विश्वास कम होता है और ऐसी गंभीर स्थिति में विधि और समाज में जनता का विश्वास कम हो जायेगा। इसलिए प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अपराध की प्रकृति और जिस रीति में वह कारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए उचित दण्डादेश पारित करे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी अपराध में न्यायोचित और समुचित दण्डादेश विनिश्चित किया जाना चाहिए.....।”

आज समाज के प्रबुद्ध वर्ग में एवं जन सामान्य में यह विचार विमर्श

उभरता रहता है कि विशेष अपराधों के विचारण के लिए बनायी गयी विधियों जैसे कि पॉक्सो ऐक्ट, एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, दहेज उत्पीड़न निवारण अधिनियम आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है एवं न्यायालयों को ऐसे दुरुपयोग रोकने की जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उसका सम्यक निर्वहन करने में न्यायालय सफल नहीं हो पा रही हैं। मिथ्या एफ०आई०आर० दर्ज कराने की घटना समाज में कितना विपरीत प्रभाव डाल रही है इसका मूल्यांकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि संसद ने 182 एवं 211 भा०दं०सं० के समतुल्य बी०एन०एस० की धारा 217 एवं 248 में सजाओं को बढ़ाते हुए (6 माह व एक हजार जुर्माने से बढ़ाकर एक वर्ष एवं दस हजार रुपये के जुर्माने) तथा सात वर्ष एवं जुर्माने को बढ़ाते हुए (दस वर्ष एवं दो लाख के जुर्माने) तक का प्रावधान कर दिया है।

भारतीय आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूल सिद्धान्त है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज करायी जाती है तो उसके द्वारा, विधि शास्त्र के इस मूल सिद्धान्त पर ही अपनी ओर से कठोरतम प्रहार किया जाता है, जो कतई क्षम्य नहीं है। दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता के द्वारा, अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत से आपराधिक षडयंत्र करके उसे दुष्प्रेरित करते हुए, विपक्षीगण अरविन्द यादव व अवधेश यादव को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित करवाये जाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व बी०एन०एस० व आई०टी० ऐक्ट तथा गैंगरेप की धाराओं का दुरुपयोग करके एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी। दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने कुछ वर्ष पूर्व यह टिप्पणी की थी कि आजकल बलात्कार के अपराध की पीड़िता को “रेप सर्वाइवर” (Rape Survivor) के सर्वनाम से जानने का चलन है। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष बलात्कार के झूठे मुकदमों में फंसा हो तथा विचारण के उपरांत यदि दोषमुक्त हो जाये तो क्या उसे “फाल्स रेप केस सर्वाइवर (False

rape case survivor)" कहा जाना उचित होगा, इस पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है? वास्तव में यह न्यायालय भी उक्त टिप्पणी से सहमत है, क्योंकि जो बलात्कार एवं एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के झूठे मुकदमें लिखवाये जाते हैं, वे उन मुकदमों की तुलना में, जो सत्य तथ्य पर आधारित हों, विधिक राय लेकर बहुत सोच समझकर लिखवाये जाते हैं। अतः यदि ऐसे झूठे मुकदमें की मकड़जाल से कोई व्यक्ति निर्दोष बचकर निकल जाये तो वास्तव में उसको "मोस्ट लकी फाल्स रेप केस सर्वाइवर (Most lucky False Gangrape case survivor)" कहा जाना ही उचित होगा। यदि ऐसा निर्दोष व्यक्ति, किसी विवेचक द्वारा अन्वेषण के स्तर पर ही किसी घृणित एवं जघन्य अपराध के आरोप से निर्दोष साबित हो जाये तो ऐसे विवेचकों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जैसा कि इस मामले में विवेचक पी०डब्लू०-2 श्री राधारमण सिंह, ए०सी०पी०, विभूतिखण्ड के द्वारा उच्चकोटि की विवेचना करके अपना कार्य सम्पादित किया गया है।

इस मामले में नामित अभियुक्त अरविन्द यादव व अवधेश यादव गैंगरेप व एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के झूठे मामले में नामित किये गये तथा केस फर्जी पाते हुए बाद में विवेचक के द्वारा अंतिम आख्या लगा दी गयी, परंतु इस घटनाक्रम में जिस प्रतिष्ठा की क्षति उनको हुई, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यदि सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखा जाये तो जीवित अवस्था में उनकी चरित्रिक हत्या के लिए, सीधे तौर पर अभियुक्त परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट उत्तरदायी है।

सेजल शर्मा बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० ऑन लाइन 2021 पंजाब और हरियाणा 1084 के विधिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला था कि निर्दोष व्यक्तियों को हनीट्रैप में फंसा कर, उनसे टेलीफोन, मोबाइल से सम्पर्क करके बाद, उनको बलात्कार के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर धन वसूली की जाती थी। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने केस को निस्तारित करते हुए डी०जी०पी०, हरियाणा को यह

निर्देशित किया था कि वे हरियाणा राज्य के प्रत्येक जनपद को यह सूचित कर दें कि यदि भविष्य में सेजल शर्मा एवं सहअभियुक्तों के द्वारा कोई छेड़छाड़ या बलात्कार की शिकायत की जाती है तो एफ०आई०आर० तब तक न दर्ज की जाये जब तक पुलिस इस मामले की ठीक से जांच न कर ले। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया था कि सभी जिलों के मुख्यालय पर एस०पी० आफिस के द्वारा एक ऐसा रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें उन व्यक्तियों का उल्लेख होगा, जिन्होंने एक से अधिक बार बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को बचाया जा सके। माननीय न्यायालय के शब्दों में:-

"However, a direction is issued to the Director General of Police, Haryana to communicate to all the Superintendents of Police in the State of Haryana that in case, in future, any FIR is registered at the instance of petitioner Sejal Sharma, co-accused Meenu Handa, Surender @ Pathan and Rajesh @ Kala, levelling allegations of rape or molestation against any person, no FIR will be registered, unless the matter is thoroughly inquired into by the police. It is also directed that at all District Headquarters, a record be maintained by SP Office concerned regarding such or similar complainants, who have registered more than one complaint of allegation of rape or where complaints are made by victims of Honey Trap, so as to keep a check and to protect innocent citizens....."

अभी हाल ही में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **सनोज कुमार मिश्रा बनाम राज्य तथा अन्य जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1672/2025 निर्णीत दिनांक 30.05.2025** के मामले में भी बलात्कार के प्रावधानों का दुरुपयोग करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झूठी एफ०आई०आर० दर्ज कराने वाली ऐसी महिलाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले में एक फिल्म निर्देशक के साथ एक लड़की ने काम किया तथा बाद में उसने यह आरोप

लगाया कि फिल्म निर्देशक ने उसके साथ नशीला पदार्थ खिला करके बलात्कार किया था। जबकि यह मालूम चला कि वह लंबे समय से उस अभियुक्त (फिल्म निर्देशक) के साथ लिवइन में रह रही थी तथा उसने फिल्म में हिरोइन का रोल पाने के उद्देश्य से ऐसे आरोप लगाये थे। बाद में वह उस बलात्कार के आरोप से मुकर गयी थी, इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि:-

"11. This is yet another case, reflecting the recent trend of lodging false complaints of sexual offences. Every false complaint of sexual offences not just causes immense damage to the person accused of the offence, but also creates cynicism and distrust across the society, which leads to even the genuine victims of sexual offences suffer, as society starts suspecting her truthful complaint also to be false. Such false complaints have to be dealt with sternly."

न्यायालय के अनुसार बलात्कार के झूठे मामले न केवल ऐसे झूठे आरोपित अभियुक्त को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में रिश्तों के बीच में घोर अविश्वास और संदेह पैदा कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जो वास्तव में सही बलात्कार के मामले होते हैं, उन पीड़िताओं के प्रति भी समाज संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय का अधिकारी होते हुए भी परमानन्द गुप्ता जैसे अधिवक्ताओं का एक वर्ग, सत्य एवं न्याय के प्रति निष्ठावान नहीं रह गया है। वह ऐन-केन-प्रकारेण, धन कमाना चाहता है, चाहे उसके लिए साधन कोई भी अपनाना पड़े। अभी हाल ही में लगभग दो सप्ताह पूर्व, समाचार पत्रों में कानपुरनगर जनपद की घना प्रकाशित हुई है, जिसमें अधिवक्ताओं का एक वर्ग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं की गरीबी का फायदा उठाते हुए उनके माध्यम से बलात्कार के झूठे मुकदमें लिखवाता था एवं पैसे ऐंठता था। इस प्रकार झूठे मुकदमें से वह कथित तौर पर व्यवसायियों, प्रशासनिक अधिकारियों आदि प्रभावशाली व्यक्तियों के विरोधियों को सबक सिखाकर उन्हें झूठे मुकदमें में फंसाता था। यह स्थिति अत्यंत चिन्ताजनक है तथा न्यायपालिका के लिए घातक है। यदि मेड़ ही खेत

को चरने लग जाये तो खेत कतई सुरक्षित नहीं रह सकता। सत्य एवं न्याय के लिए समर्पित अधिवक्ता, न्यायपालिका का सबसे बड़ा हितैषी माना जाता है, वह न्यायपालिका धरोहर है, परंतु यदि वही अधिवक्ता एस०सी०/एस०टी० एवं बलात्कार के झूठे मुकदमें लिखवा करके, स्वयं न्यायपालिका के समक्ष चुनौती खड़ा कर देगा तो न्यायिक तंत्र खतरे में आ जायेगा। ऐसी चुनौती से इस न्यायिक तंत्र से संबंधित सभी जिम्मेदार लोगों को तत्परता से निपटने की आवश्यकता है। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया को भी ध्यान देना होगा कि इस पेशे में ऐसे तत्व आसानी से प्रवेश न कर सकें। इसके लिए बार काउंसिल को, विधि की शिक्षा से लेकर सुयोग्य अधिवक्ताओं के पंजीकरण तक ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया, मेडिकल की पढ़ाई से लेकर डाक्टरों के पंजीकरण तक गुणवत्ता के संबंध में सचेत रहती है, वैसे ही बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया को भी अपना कर्तव्य निर्वहन करना होगा। ऐसी भूमिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इण्डिया संस्था के द्वारा अपने सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में भी निभाई जाती है। छोटे-छोटे कस्बों एवं मोहल्लों में जिस प्रकार आसानी से लॉ कालेज खुलते जा रहे हैं एवं बिना उच्च गुणवत्ता की फैकल्टी एवं पुस्तकालय की उपलब्धता सुनिश्चित किये हुए, विधि स्नातक की डिग्रीयाँ आसानी से बांटी जा रही हैं, इस ओर भी बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया को ध्यान देना होगा, जिससे क्वालिटी (मात्रा) के स्थान पर क्वालिटी (गुणवत्ता) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए न्यायालय में सत्य एवं न्याय के प्रति समर्पित अधिवक्ता उपलब्ध हो सकें।

एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट इस देश में समाज के ऐसे वर्गों के हित के लिए बनाया गया था, जो जातिगत आधार पर, गैर एस०सी०/एस०टी० जाति के व्यक्तियों के अत्याचार से पीड़ित होते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य यह भी था कि ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति अत्याचार करने वाले अत्याचारियों को दण्डित किया जाये, जिससे समाज में एस०सी०/एस०टी० के प्रति अत्याचार समाप्त हो एवं सामाजिक समरसता बढ़े तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित व्यक्ति की गरिमा, भारत वर्ष

के सभी व्यक्तियों में, आपस में बंधुता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं पर जब इस अधिनियम का दुरुपयोग परमानन्द गुप्ता जैसे अपराधी करने लगते हैं तो गैर एस०सी०/एस०टी० वर्ग के सदस्यों, जैसे पिछड़ों एवं सवर्णों के मन में, अपने ही समाज के एस०सी०/एस०टी० वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विद्वेष पैदा हो जाता है कि बिना किसी आधार के उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। प्रकारान्तर से दीर्घावधि में अधिनियम का यह दुरुपयोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित व्यक्ति की गरिमा, उनमें आपस में बंधुता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को भी नुकसान पहुंचाता है। इस कारण इस न्यायालय का विचार है कि ऐसे अपराधियों के प्रति जरा भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि दूध से भरे महासागर में खट्टे पदार्थों की बूंदों को गिरने से नहीं रोका गया तो वही बूंदें, पूरा महासागर के दूध को खराब एवं नष्ट कर देंगीं। उसी प्रकार यदि परमानन्द गुप्ता जैसे एडवोकेट को बलात्कार, गैंगरेप एवं एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के दुरुपयोग करने से इस न्यायालय, माननीय उच्च एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया तथा बार काउंसिल ऑफ़ यू०पी० के द्वारा न्यायालयों में प्रवेश एवं प्रैक्टिस करने से नहीं रोका गया तो भारतीय न्यायपालिका के प्रति, जनता के विश्वास को गंभीर धक्का लगेगा। अभी भी समय है, तथा सजगता से प्रयास करने पर ऐसे अपराधियों को कठोर दण्ड देकर उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दौरान विचारण अभियुक्त परमानन्द गुप्ता ने अपना पंजीकरण संख्या नहीं बताया था, अपने विरुद्ध कार्यवाही होने की आशंका से छिपा लिया था, परंतु माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, बाराबंकी के आदेश दिनांकित 10.03.2025 में दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता का पंजीकरण संख्या यू०पी० 2257/2013 उल्लेख किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र सं० 12276/2023 में दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट का ए०ओ०आर०-बी/पी 0867 उल्लिखित है।

इस सम्पूर्ण प्रकरण में दण्डादेश उल्लिखित करने के पूर्व दौरान विचारण विद्वान अधिवक्ता श्री रमाशंकर द्विवेदी, न्यायमित्र द्वारा न्यायालय को

प्रदान किये गये सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एवं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, यह न्यायालय मामले के अंत में तथा उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में यह न्यायालय दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझ रही है:-

आदेश

(क)- दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट को अंतर्गत धारा 217/49 बी०एन०एस० एक वर्ष के साधारण कारावास से एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।

(ख)- अंतर्गत धारा 248/49 भा०दं०सं० दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता को दस वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर बारह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा।

(ग)- अंतर्गत धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता को आजीवन कठोर कारावास व तीन लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर पन्द्रह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा।

(घ)- सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी। पहले धारा 217/49, तत्पश्चात धारा 248/49 भा०दं०सं० एवं उसके उपरांत धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट की सजा भुगतनी होगी। जेल में पूर्व में बितायी गयी अवधि, इस सजा में शामिल होगी।

(ङ)- निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को अविलंब निशुल्क प्रदान की जाये। निर्णय की एक प्रतिलिपि पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि किसी व्यक्ति /महिला द्वारा बार-बार बलात्कार, सामूहिक बलात्कार (धारा 376/376डी भा०दं०सं० एवं एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट) आदि जैसे घृणित अपराधों के अधीन लिखाये जाने वाले एफ०आई०आर० की दशा में इस तथ्य का उल्लेख अवश्य करें कि उस व्यक्ति/महिला के द्वारा स्वयं या

उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पूर्व में इस प्रकार की कुल कितनी एफ०आई०आर०, विपक्षीगण के विरुद्ध या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करायी गयी हैं या इस प्रकार के प्रार्थना पत्र आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर या थाने में प्रेषित किये गये हैं। ऐसी सूचना उसके द्वारा लिखवाये गये चिक एफ०आई०आर० में टिप्पणी के रूप में अंकित कर दी जाये। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के संबंध में, जहां वादी/वादिनी न्यायालय के माध्यम से एफ०आई०आर० दर्ज करवाने आते हैं, उनमें थाने में पहले से दर्ज मुकदमों के बारे में न्यायालय द्वारा जानकारी मांगे जाने पर भी इन तथ्यों की सूचना प्रेषित की जाये। इसके लिए आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल्स (ए०आई० टूल्स) की भी सहायता ली जा सकती है। निर्णय की एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की जाये कि यदि राज्य सरकार के द्वारा पूजा रावत को मु०अ०सं० 40/2025 अंतर्गत धारा 64, 74, 115(2), 316(2), 324(4), 333, 351(3), 352 बी०एन०एस०, 66डी आई०टी० ऐक्ट व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट को दर्ज करवाने के स्तर पर एस०सी०/एस०टी० रूल्स 1995 के अधीन कोई राहत राशि दी गयी हो तो उसको तत्काल वापस लिया जाना सुनिश्चित करें।

(च) किसी आपराधिक मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला (Prima facie case), आरोप पत्र आने पर ही, न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर बनता हुआ माना जाता है। विधायिका का आशय कदापि यह नहीं रहा है, करदाताओं से प्राप्त बहुमूल्य धन एवं करों (Tax payer's hard earned money) की धनराशि को झूठी एफ०आई०आर० लिखवाने वाले शरारती तत्वों को राहत राशि/प्रतिकर के रूप में दिलवाया जाये। अनुसूची संलग्नक-1 में जो राहत राशि के प्रावधान किये गये हैं वे प्रथम दृष्टया मामला बनने पर, एक श्रेणीबद्ध एवं चरणबद्ध रूप में इसलिए दिये गये हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को एकमुश्त रकम दे दिये जाने पर, अत्याचार करने वाले अभियुक्तों द्वारा कहीं राहत राशि के कारण ही एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का वह पीड़ित, कदाचित फिर किसी अन्य अपराध

या हिंसा का शिकार न हो जाये। इस कारण एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट की धारा 15क(7) के अधीन विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण रूल्स 1995 के अधीन राहत राशि के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर, जो राहत राशि क्रमशः (10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत) एवं आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के स्तर पर 50 प्रतिशत की पीड़ित को उपलब्ध करायी जाती है वह समस्त धनराशि एकमुश्त, आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के स्तर पर ही प्रदान की जाये, मात्र एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के स्तर पर ही न दी जाये। एफ०आई०आर० दर्ज कराने के स्तर पर ऐसी राहत राशि दे दिये जाने पर विशेष अधिनियम एस०सी०/एस०टी० के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए, फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। आरोप पत्र के पूर्व मात्र चिकित्सीय, खाद्य या एस०सी०/एस०सी० अधिनियम की धारा 15क(11) के अनुसार अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को वस्तु, खाद्य, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा, भरण पोषण, सुरक्षा आदि के मद् में ही सहायता दी जाये। एफ०आई०आर० दर्ज होने के स्तर पर नगद सहायता उपलब्ध कराने से रोकने पर, विधि के दुरुपयोग करने वालों द्वारा फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज कराने एवं निर्दोषों को फंसाये जाने तथा एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अंतर्गत अत्यधिकवादों के लंबित होने की समस्या पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जिन मामलों में एफ०आई०आर० दर्ज करने के बाद विवेचक के द्वारा विवेचना के उपरांत, प्रथम दृष्टया मामला न बनने के कारण अंतिम रिपोर्ट (एफ०आर०) प्रेषित कर दी गयी हो, उन मामलों में पीड़ित को तब तक कोई प्रतिकर न दिया जाये जब तक कि वादी को सुनकर न्यायालय, विपक्षी को अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु तलब न कर ले। यदि अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तो मात्र एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने के कारण पीड़ित को कोई प्रतिकर न दिया जाये, जिससे इस ऐक्ट को अक्षरशः एवं शब्दशः उसकी मूल भावना (In true letters and spirit) के

अनुसार लागू किया जा सके।

(छ) दोषसिद्ध परमानन्द गुप्ता, एडवोकेट जैसे अपराधी न्यायालय परिसर में प्रवेश और प्रैक्टिस न कर सके, जिससे न्यायपालिका की शुचिता बनी रहे, इस आशय से सूचना एवं निर्णय की प्रतिलिपि बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र के साथ प्रेषित की जाये।

(ज) अभियुक्त पूजा रावत को दोषमुक्त करते हुए उसका रिहाई परवाना तत्काल जिला काराकार, लखनऊ में भेजा जाये तथा उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में यदि उसके द्वारा एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए परमानन्द गुप्ता या अन्य किसी के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके रेप/गैंगरेप आदि के फर्जी मुकदमें लिखवाये गये तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उसे आदेशित किया जाता है कि कारागार से रिहा होने के उपरांत अपील होने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय में उपसंजात होने हेतु धारा 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/-रुपये के दो प्रतिभू व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका, अन्दर सात दिन दाखिल करे।

दिनांक: 19-08-2025
(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6127

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 19-08-2025
(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6127

शैलेन्द्र, आशुलिपिक।